निदेशक
सहकारी समितियाँ एवं पंचायत
लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।

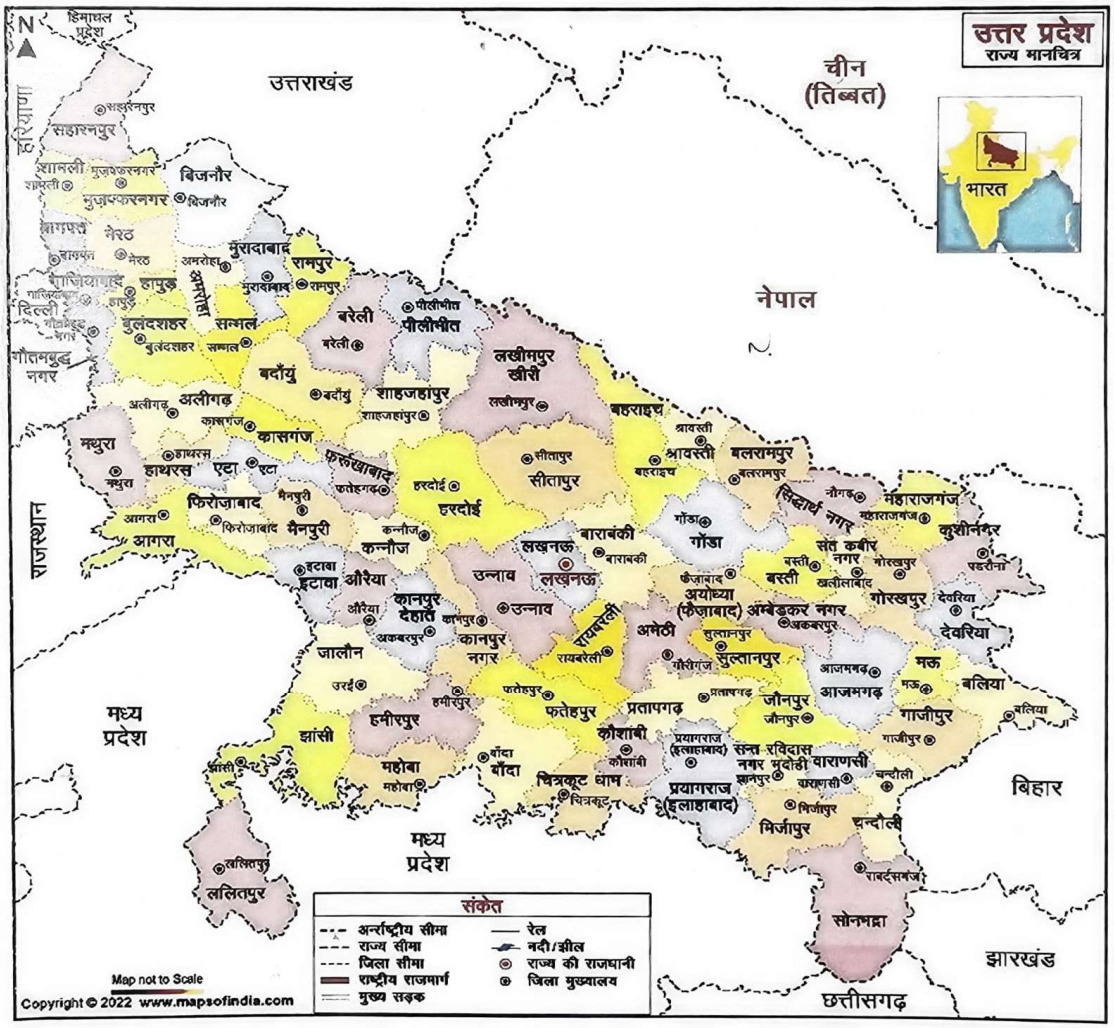

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2021-2022
भाग-13

निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 लखनऊ का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 (भाग 1 से 13 तक) को मा0 राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब का कारण।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवाँ संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम–186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवॉ संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम–176 में संशोधन दिनांक 30 मार्च 2011 के अनुसार निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराया जायेगा और उसे मा0 राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिए राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजा जायेगा।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 (भाग 1 से 13 तक) को मा0 राज्य विधान मण्डल के समक्ष विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 द्वारा निम्नवत् अवगत कराते हुये इस प्रतिवेदन को सदन में रखने का अनुरोध किया गया है–

(क) मा0 पंचायती राज समिति का गठन 24 मार्च, 2014 को हुआ था। तत्पश्चात त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन मा0 राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

(ख) प्रमुख सचिव, पंचायती राज द्वारा प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010–11 दिनांक 25.11.2014 को एवं द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 दिनांक 20.12.2017 को लगभग तीन वर्ष बाद मा0 राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा गया।

(ग) वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 19.02.2020 को, वर्ष 2013–14 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 16.12.2021 को, वर्ष 2014–15 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 24.05.2022 को, वर्ष 2015–16 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 20.02.2023, वर्ष 2016–17 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 29.11.2023, वर्ष 2017–18 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 29.07.2024, वर्ष 2018–19 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 16.12.2024, **वर्ष 2019–20 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 22.12.2025, वर्ष 2020–21 का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 11.02.2026 को** मा0 राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा गया।

तत्क्रम में वित्त विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं पर आधारित वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 (भाग 1 से 13 तक) को मा0 राज्य विधान मण्डल के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकरण में वित्त विभाग के स्तर पर कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(सुरेश कुमार खन्ना)
वित्त मंत्री

<u>अध्याय-4</u>

अधिभार प्रतिवेदन एवं उनमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियॉ

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत	4.3	पृष्ठसंख्या(भाग)
1	वाराणसी मण्डल		**5744-5837(12)** **5838-5993(13)**
2	विन्ध्याचल मण्डल		**5993-6130(13)**

जनपद- जौनपुर मण्डल- वाराणसी

1-ग्राम पंचायत-ताजुद्दीनपुर विकासखण्ड-मड़ियाहूँ वर्ष 2021–22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-1 **ग्राम पंचायत- ताजुद्दीनपुर विकासखण्ड-मड़ियाहूँ जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु (79162.00) का भुगताना/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम	धनराशि
1	14.07.2021	अज्ञात	39400.00
2	03.08.2021	,,	19890.00
3	09.08.2021	,,	19872.00

योग - 79162-00

कोषबहीं में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा -

(1) कार्यवाही रजिस्टर(2) कार्ययोजना(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट(4) स्टीमेट एवं एम0बी0 (5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, (7) स्टाक रजि0(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

- डेड स्टाक रजि0 अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत उपरान्त खराब पार्ट का स्टाक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

- हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

पंचायत राज अनुभाग 3 के आदेश संख्या -27 /2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थाई खराबी को तीन दिन के अंदर दूर किया जाना अनिवार्य है अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश है,का पालन किया गया है या नहीं ,की जांच नहीं की जा सकी ।

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिन्दु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शासनादेश संख्या -4430/33-1-99/एस. पी. आर./99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से संबंधित योजनाओ एवं नलकूपों संबंधी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन/संस्तुति करना है। लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में सीमित हों।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत ताजुद्दीन पुर में हैन्ड पंप मरम्मत मे व्यय दर्शित धनराशि कुल रू0 79162.00 (रु० उन्यासी हजार एक सौ बासठ मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अश्वनी सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-2 ग्राम पंचायत- ताजुद्दीनपुर विकासखण्ड-मड़ियाहूँ जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार 15वां वित्त आयोग मद से इंडिया मार्का 2 हैण्डपम्प रीबोर पर कुल रु (58669.00) का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	07.01.2022	श्री विजय बहादुर के घर के पास हैन्ड पंप रीबोर	29522.00
2	07.01.2022	श्री महेंद्र सिंह के घर के पास हैन्ड पंप रीबोर	29147.00
		योग-	58669.00

कोषबहीं में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-
(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा -
(1) कार्यवाही रजिस्टर(2) कार्ययोजना(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, रीबोर हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट(7) स्टाक रजि0(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली
लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
रीबोर कार्य के सापेक्ष जल निगम की प्रतीक्षा सूची अथवा ग्रा0पं0 स्तर पर सर्वेक्षण के अधार पर खराब हैण्ड पम्पों के कार्ययोजना में सम्मिलित किये जाने की सूची अप्राप्त।
- डेड स्टाक रजि0 अप्रस्तुत रहा जिससे रीबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टाक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- हैण्डपम्प रीबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रीबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010 दिनांक- 29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्क 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनार्थ परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत ताजुद्दीनपुर मे हैन्ड पंप रीबोर पर व्यय दर्शित धनराशि कुल रू0 58669.00 (अट्ठावन हजार छह सौ उनहत्तर रुपए मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री इंद्रजीत पाल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है । उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली अपेक्षित है।

2- ग्राम पंचायत-बहरैचा विकासखण्ड मड़ियाहूँ वर्ष् 2021–22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-3 ग्राम पंचायत-बहरैचा विकासखण्ड मड़ियाहूँ जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार दिनांक 01.07.2021 को ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रु0 98826.00 (अट्ठानबे हजार आठ सौ छब्बीस) भुगतान/व्यय किया गया है ।

कोषबही में दर्षित उक्त भुगतानित धनराशि 98826.00 के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) स्टाक रजिस्टर
(4) कोटेशन पत्रावली/टेण्डर पत्रावली
(5) स्टीमेट एवं एम0बी0
(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र
(7) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(8) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर
(9) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है।

(घ) ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ड) ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।

(च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।

(ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

(झ) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामाग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि ह्यूम पाइप क्रय एवं लगवाने हेतु किया गया उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा0प0 के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए तत्कालीन ग्रामप्रधान श्रीमती शशिकला एवं राजेन्द्र प्रसाद यादव (ग्राम पंचायत अधिकारी) संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः उक्त धनराशि 98826.00रु0 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

3- ग्राम पंचायत- गहनी विकासखण्ड-मड़ियाहूँ वर्ष 2021–22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-4 **ग्राम पंचायत- गहनी विकासखण्ड-मड़ियाहूँ जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार राज्य वित्त मद से श्री अशोक सिंह के घर के पास हैण्डपम्प रीबोर पर कुल रु (33995.00) का भुगतान/व्यय किया गया है ।

कोषबहीं में दर्शित उक्त भुगतानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-
(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा -
(1) कार्यवाही रजिस्टर(2) कार्ययोजना(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट(4) स्टीमेट एवं एम0बी0 (5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, रीबोर हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट(7) स्टाक रजि0(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली
लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
(ग) रीबोर कार्य के सापेक्ष जल निगम की प्रतीक्षा सूची अथवा ग्रा0पं0 स्तर पर सर्वेक्षण के अधार पर खराब हैण्ड पम्पों के कार्ययोजना में सम्मिलित किये जाने की सूची अप्राप्त।
(घ)- डेड स्टाक रजि0 अप्रस्तुत रहा जिससे रीबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टाक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(च)- हैण्डपम्प रीबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रीबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(छ)- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010 दिनांक- 29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्क 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया

जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनार्थ परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत गहनी मे व्यय दर्शित धनराशि कुल रू0 33995.00 (रु० तैतीस हजार नौ सौ पंचानवे मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्णपाल यादव एवं ग्राम प्रधान श्री सूरज कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-5 ग्राम पंचायत गहनी विकासखण्ड मड़ियाहूँ जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रु0 100770 .00 (एक लाख सात सौ सत्तर रु0) भुगतान/व्यय कियो गया है -

कोषबही में दर्षित उक्त भुगतानित राशि 100770 .00 के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।
(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-
(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) स्टाक रजिस्टर
(4) कोटेशन पत्रावली/टेण्डर पत्रावली
(5) स्टीमेट एवं एम0बी0
(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र
(7) उपभोग प्रमाण-पत्र
(8) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(9) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर
(10) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
(ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है।

(घ) ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ड) ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।

(च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।

(ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

(झ) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामाग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि ह्यूम पाइप क्रय एवं लगवाने हेतु किया गया उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा0प0 के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सूरज कुमार एवं पंचायत सचिव श्री कृष्णपाल यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः उक्त धनराशि 100770.00 रु0 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री सूरज कुमार एवं पंचायत सचिव श्री कृष्णपाल यादव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

3- ग्राम पंचायत -आनापुर विकासखण्ड महराजगंज वर्ष् 2021–22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-6 ग्राम पंचायत आनापुर विकासखण्ड महराजगंज जनपद- जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु 18400.00(अट्ठारह हजार चार सौ मात्र) का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम/नाम	धनराशि
1	03.8.2021	हैन्ड पम्प मरम्मत हेतु व्यय	18400.00
		योग	18400.00

धनराशि शब्दों में- (अट्ठारह हजार चार सौ मात्र)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि रु0 18400.00 के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6) हैण्डमम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च)ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनार्थ परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(छ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत आनापुर, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 18400.00(अट्ठारह हजार चार सौ मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम विकास/पंचायत सचिव श्री दिनेश यादव से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

4- ग्राम पंचायत रसूलहां विकासखण्ड रामपुर वर्ष 2021–22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-7 **ग्राम पंचायत रसूलहां विकासखण्ड रामपुर जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल रु0 40124.00 (रुपये चालीस हजार एक सौ चौबीस मात्र) का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	धनराशि
1-	26.08.2021	सामग्री	17184.00
2	27.08.2021	मजदूरी	22940.00
		योग-	40124.00

धनराशि शब्दों में- रुपये चालीस हजार एक सौ चौबीस मात्र

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजि0

(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रिबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) पंचायती राज विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक-19.06.2017 द्वारा जारी हैण्डपम्प रिबोर की गाईड लाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची मार्गदर्शिका तथा तकनीकी अनुश्रवण रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनार्थ परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत रसूलहां, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 40124.00 (रुपये चालीस हजार एक सौ चौबीस मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बिन्दु एवं ग्राम विकास/पंचायत सचिव श्री सिंहासन प्रसाद से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-8 **ग्राम पंचायत रसूलहां विकासखण्ड रामपुर जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रू0 67500.00 रुपये सड़सठ हजार पाँच सौ मात्र भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि
1-	30.07.2021	67500.00
		योग- 67500.00

धनराशि -रुपये सड़सठ हजार पाँच सौ मात्र

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 67500.00 में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) स्टॉक रजिस्टर
(4) कोटेशन पत्रावली
(5) स्टीमेट एवं एम0बी0
(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र
(7) उपभोग प्रमाण-पत्र
(8) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(9) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर
(10) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है

(घ) ह्यून पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ङ) ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।

(च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।

(ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

(झ) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत रसूलहां, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 67500.00 (रुपये सड़सठ हजार पाँच सौ मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बिन्दु एवं ग्राम विकास/पंचायत सचिव श्री सिंहासन प्रसाद से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

5- ग्राम पंचायत-**पाण्डेय पटटी** विकासखण्ड धर्मापुर **वर्ष 2021–22** जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-9 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में हैंडी कैम क्रय किया गया जिसका भुगतान दिनांक 06-05-2021 को रुपया 19500-00 साईं इंटर प्राइजेज को पी0एफ0एम0एस0 द्वारा किया गया किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान बाउचर एवं स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि फर्म से दुरभिसंधि कर धनराशि रुपया 19500-00 का अपहरण कर लिया गया है जिसमें तत्कालीन प्रधान श्री दशरथ बिन्द व सचिव श्री प्रमोद कुमार सिंह समान रूप से उत्तरदायी है जिनसे समान रूप से तातारीख ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है |

6- ग्राम पंचायत घनापुर विकास खण्ड बरसठी **वर्ष 2021–22** जनपद जौनपुर

प्रस्तर-10 **ग्राम पंचायत घनापुर विकास खण्ड बरसठी जनपद जौनपुर** की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष् 2021–22 में सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आय–व्यय के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रू0 1378967.00व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	दिनांक	विवरण	धनराशि
		मेडिकल	
1	28-04-2021	मास्क् सेनेटाइजर	19800.00
2	06-05-2021	कोविड प्रचार प्रसार	9500.00
3	11-06-2021	स्कैनर(थर्मल)	2800.00
		योग–	32100.00
		स्टेशनरी	
1	28-04-2021	स्टोशनरी पर व्यय	18200.00
1	28-04-2021	कैमरा (विडियो) फोन	19300.00
2	27-05-2021	मेगाफोन	8200.00
		योग–	45700.00
1	28-04-2021	टिन रजिस्ट्रेशन	3999.00
1	06-05-2021	कैशबुक में दर्शित नही है।	8327.00
		प्रा0 विद्यालय पर टाइल्स	
1	06-05-2021	–	85823.00
2	06-05-2021	•	19461.00
3	06-05-2021	•	124117.00
4	06-05-2021	•	13410.00
		योग–	255137.00
		सामुदायिक शौचालय	
1	27-05-2021	–	45340.00
2	27-05-2021	–	60945.00
3	27-05-2021	–	23309.00
4	27-05-2021	–	20360.00
5	27-05-2021	–	20000.00
		योग–	169954.00
		मानदेय	
1	12-11-2021	प्रधान	14000.00
2	13-01-2021	प्रधान सहायक	6000.00
		योग–	20000.00
		हैण्डपम्प मरम्मत	
1	06-05-2021	मजदूरी	12000.00
2	06-05-2021	सामाग्री	28525.00
3	12-11-2021		19800.00
4	03-02-2021		21580.00
		योग–	81905.00
		हैण्डपम्प रीवोर	
1	27-07-2021	मुनिराज आदि	30000.00

2	27-07-2021	नन्हे आदि	60000.00
3	28-08-2021	मुनिराज आदि	20000.00
4	28-08-2021	नन्हे आदि	20000.00
5	02-02-2022	मुनिराज आदि	27000.00
		योग–	157000.00
1	19-02-2022	प्रशासनिक मद	11500.00
		सोख्ता निर्माण	
1	06-05-2021	जू0हा0 स्कूल सोखता निर्माण मजदूरी	2665.00
2	06-05-2021	जू0हा0 स्कूल सोखता निर्माण सामग्री क्रय	9542.00
		योग–	23707.00
		स्ट्रीट लाइट	
1	03-02-2022	–	26600.00
2	03-02-2022	–	125400.00
		योग–	152000.00
		इण्टरलाकिंग	
1	11-06-2021	जू0हाई स्कूल	99519.00
2	11-06-2021	जू0हाई स्कूल	166738.00
3	11-06-2021	जू0हाई स्कूल	16543.00
4	09-11-2021	प्राइमरी विद्यालय	55000.00
5	09-11-2021	प्राइमरी विद्यालय	45000.00
		योग–	382800.00
1	25-08-2021	डिजिटल हस्ताक्षर(डोगंल)	2800.00
		दिब्यांग शौचालय	
1	06-05-2021	मजदूरी	3422.00
2	06-05-2021	सामग्री	26421.00
3	06-05-2021	मजदूरी	3036.00
4	06-05-2021	सामग्री	22985.00
		योग–	55864.00

उक्त व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियां पायी गयीः–

1– लेखा परीक्षा वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय की गई धनराशि रू0 1378967.00 की पुष्टि में बार–बार मॉगे जाने के बाद भी केवल स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष दौरान किये गये व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित सुसंगत मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, वर्कआई0डी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति, जल प्रबन्धन समिति, निर्माण समिति आदि की संस्तुति, प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र, अचल सम्पत्ति पंजिका, चल सम्पत्ति पंजिका, कार्य

का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली, क्रय आदेश, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर, डिलवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण प्रतिवेदन आदि उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नही की जा सकी है। किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेंशन लेटर एक्सेप्ट किया गया। किन्तु ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। अभिलेख सुलभ करने हेतु मौखिक एवं अपने पत्र दिनांक– 15-02-2023, 25-03-2023 (हार्ड कापी संलग्न) के माध्यम से अनुरोध किया गया। लेकिन 31-03-2023 तक अभिलेख उपलब्ध नही रहा।

लेखा मैनुअल के अध्याय –8 के खंड–7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खंड–8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्राविधान है।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत घनापुर द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 1378967.00 गबन / अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आजाद यादव व ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

7- ग्राम पंचायत कान्हपुर विकास खण्ड बरसठी **वर्ष 2021–22** जनपद जौनपुर

प्रस्तर-11 **ग्राम पंचायत कान्हपुर विकास खण्ड बरसठी जनपद जौनपुर** की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष् 2021–22 में सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आय–व्यय के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रू0 553911.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

निधि–1 खाता सं0–396802010006402			केन्द्रीय वित्त योजना खाता सं0–396802010037093		
क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	क्र0सं0	दिनांक	धनराशि
1	12-05-2021	19800.00	1	16-06-2021	48560.00
2	12-05-2021	9500.00	2	16-06-2021	11589.00
3	20-05-2021	19300.00	3	16-06-2021	22000.00

4	20-05-2021	8200.00	4	16-06-2021	30200.00
5	16-06-2021	30023.00	5	16-06-2021	11589.00
6	16-06-2021	6500.00	6	16-06-2021	21771.00
7	18-06-2021	37500.00	7	16-06-2021	32574.00
8	25-06-2021	236.00	8	26-07-2021	118.00
9	26-07-2021	256.00	9	23-11-2021	30582.00
10	02-11-2021	2800.00	10	23-11-2021	30851.00
11	02-11-2021	18420.00	11	23-11-2021	31570.00
12	06-11-2021	19260.00	12	23-11-2021	30961.00
13	25-01-2022	21000.00	13	23-11-2021	30751.00
14	17-03-2022	13500.00		योग–	333116.00
15	24-03-2022	6000.00			
16	24-03-2022	8500.00			
	योग–	220795.00			

कुल योग–220795.00+333116.00=553911.00

उक्त व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियां पायी गयीः–

1– लेखा परीक्षा वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय की गई धनराशि रू0 553911.00 की पुष्टि में बार–बार मॉगे जाने के बाद भी केवल स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष दौरान किये गये व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित सुसंगत मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, वर्कआई0डी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति, जल प्रबन्धन समिति, निर्माण समिति आदि की संस्तुति, प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र, अचल सम्पत्ति पंजिका, चल सम्पत्ति पंजिका, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली, क्रय आदेश, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर, डिलवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण प्रतिवेदन आदि उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नही की जा सकी है। किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेंशन लेटर एक्सेप्ट किया गया। किन्तु ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। अभिलेख सुलभ करने हेतु मौखिक एवं अपने पत्र दिनांक 15-02-2023 एवं 25-03-2023 (हार्ड कापी संलग्न) के माध्यम से अनुरोध किया गया। लेकिन 31-03-2023 तक अभिलेख उपलब्ध नही रहा।

लेखा मैनुअल के अध्याय –8 के खंड–7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खंड–8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्राविधान है।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत कान्हपुर द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 553911.00 गबन / अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री जयदीप यादव व ग्राम प्रधान श्रीमती दीपा सिंह से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

8- ग्राम पंचायत गोपालपुर विकास खण्ड बरसठी **वर्ष 2021–22** जनपद जौनपुर

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत गोपालपुर विकास खण्ड बरसठी जनपद जौनपुर की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष् 2021–22 में सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आय–व्यय के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रू0 736646.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

निधि–1 खाता सं0–31674812880 एस0बी0आई0			केन्द्रीय वित्त योजना खाता सं0–39530464880 एस0बी0आई0		
क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	क्र0सं0	दिनांक	धनराशि
1	25-05-2021	19356.00	1	26-05-2021	1845.00
2	25-05-2021	19363.00	2	26-05-2021	62500.00
3	25-05-2021	30511.00	3	26-05-2021	125556.00
4	25-05-2021	62500.00	4	26-05-2021	19343.00
5	25-05-2021	30360.00	5	26-05-2021	13115.00
6	25-05-2021	18445.00	6	03-08-2021	30972.00
7	03-08-2021	19887.00	7	03-08-2021	31138.00
8	03-08-2021	18972.00	8	03-08-2021	30594.00
9	03-08-2021	19386.00	9	20-08-2021	17598.00
10	05-08-2021	50700.00	10	20-08-2021	114495.00
	योग–	289480.00		योग–	447166.00

कुल योग–289480.00+447166.00=736646

उक्त व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियां पायी गयीः–

1– लेखा परीक्षा वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय की गई धनराशि रू0 736646.00 की पुष्टि में बार–बार मॉगे जाने के बाद भी केवल स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष दौरान किये गये व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित सुसंगत मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, वर्कआई0डी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति, जल प्रबन्धन समिति, निर्माण समिति आदि की संस्तुति, प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र, अचल सम्पत्ति पंजिका, चल सम्पत्ति पंजिका, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली, क्रय आदेश, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर, डिलवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण

प्रतिवेदन आदि उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नही की जा सकी है। किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेंशन लेटर एक्सेप्ट किया गया। किन्तु ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। अभिलेख सुलभ करने हेतु मौखिक एवं अपने पत्र दिनांक 09-02-2023, 25-03-2023 (हार्ड कापी संलग्न) के माध्यम से अनुरोध किया गया। लेकिन 31-03-2023 तक अभिलेख उपलब्ध नही रहा।

लेखा मैनुअल के अध्याय –8 के खंड–7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खंड–8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्राविधान है।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत गोपालपुर द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 736646.00 गबन / अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विद्याधर यादव व ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू यादव से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

9- ग्राम पंचायत चक इग्लिस हैदर हुसेन विकास खण्ड बरसठी वर्ष 2021-22

प्रस्तर-13 **ग्राम पंचायत चक इग्लिस हैदर हुसेन विकास खण्ड बरसठी** जनपद जौनपुर की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष् 2021–22 में सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आय–व्यय के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रू0 770483.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	दिनांक	विवरण	धनराशि
1	23-05-2021	पब्लिक एड्रेसिंग	9500.00
2	07-06-2021	विज्ञापन	5750.00
3	12-05-2021	वीडियो कैमरा	19300.00
4	20-05-2021	मेगाफोन	8200.00
		योग–	42750.00
		मेडिकल	
1	03-05-2021	सेनेटाइजर पर	19800.00
2	24-05-2021	अज्ञात	30450.00

		रिवोर–	
1	24-05-2021	श्याम कुमार	29600.00
2	24-05-2021	शम्भू यादव	34200.00
3	16-10-2021	प्रा0पा0 एवं जय प्रकाश	27100.00
4	16-10-2021	प्रा0पा0 एवं जय प्रकाश	65550.00
		योग–	156450.00
		सामुदायिक शौचालय	
1	24-05-2021	अज्ञात	26187.00
2	24-05-2021	अज्ञात	133400.00
3	24-05-2021	अज्ञात	30200.00
		योग–	199787.00
		खडण्जा मरम्मत	
1	18-08-2021	बैजनाथ के घर से समर बहादुर के घर तक(सामग्री)	68496.00
2	18-08-2021	” ” ” ” ” ” ”(मजदूरी)	8387.00
3	03-09-2021	” ” ” ” ” ” ”(मजदूरी)	8387.00
4	06-10-2021	गंगा प्रसाद के घर से हरिशचन्द के घर तक	11220.00
5	06-10-2021	” ” ”	11220.00
6	06-10-2021	” ” ” (ईट क्रय)	84047.00
7	06-10-2021	” ” ”	11220.00
8	06-10-2021	” ” ”	11220.00
9	06-10-2021	” ” ”	11220.00
10	01-11-2021	उमाशंकर के घर से डीहबाबा तक (मजदूरी)	8160.00
11	02-11-2021	उमाशंकर के घर से डीहबाबा तक (ईटक्रय)	12155.00
12	02-12-2021	रामदास के घर से उमाशंकर के घर तक(ईटक्रय)	15190.00
13	02-12-2021	” ” ” ” ” ” ”(मजदूरी)	4692.00
14	02-12-2021	” ” ” ” ” ” ”(मजदूरी)	4896.00
		योग–	270510.00
		मानदेय	
1	25-08-2021	शौचालय निर्माण समूह	9000.00
2	02-12-2021	प्रधान	21000.00
		योग–	30000.00
		स्ट्रीट लाइट	
1	25-08-2021	25 नग	10500.00
		फ्लोरिंग कार्य	
1	01-11-2021	प्रा0पाठशाला	4435.00
2	01-11-2021	” ”	10616.00
3	02-11-2021	” ”	5185.00
		योग–	20236.00

उक्त व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियां पायी गयीः–

1– लेखा परीक्षा वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय की गई धनराशि रू0 770483.00 की पुष्टि में बार–बार मॉगे जाने के बाद भी केवल स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष दौरान किये गये व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित सुसंगत मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, वर्कआई0डी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति, जल प्रबन्धन समिति, निर्माण समिति आदि की संस्तुति, प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र, अचल सम्पत्ति पंजिका, चल सम्पत्ति पंजिका, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली, क्रय आदेश, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर, डिलवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य का भौतिक सत्यापन / निरीक्षण प्रतिवेदन आदि उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नही की जा सकी है। किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेंशन लेटर एक्सेप्ट किया गया। किन्तु ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। अभिलेख सुलभ करने हेतु मौखिक एवं अपने पत्र दिनांक 25-03-2023 (हार्ड कापी संलग्न) के माध्यम से अनुरोध किया गया। लेकिन 31-03-2023 तक अभिलेख उपलब्ध नही रहा।

लेखा मैनुअल के अध्याय –8 के खंड–7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खंड–8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्राविधान है।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत चकइग्लिस हैदर हुसेन द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 770483.00 गबन / अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आजाद कुमार व ग्राम प्रधान श्री उमाशंकर से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

10- ग्राम पंचायत चमरहॉ विकास खण्ड बरसठी **वर्ष 2021-22** जनपद जौनपुर

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत चमरहॉ विकास खण्ड बरसठी जनपद जौनपुर की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष् 2021–22 में सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आय–व्यय के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रू0 841841.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	दिनांक	विवरण	धनराशि

		मेडिकल	
1	20-04-2021	मास्क् सेनिटाइजर	19800.00
2	07-01-2022	मास्क् सेनिटाइजर	20150.00
3	07-01-2022	आक्सीपल्स मीटर	2800.00
		योग–	42750.00
		समरसेबुल टंकी पाइप	
1	28-04-2021	जू0हा0 स्कूल	36910.00
2	28-04-2021	प्रा0पाठशाला	52040.00
		योग–	88950.00
		मानदेय	
1	07-01-2022	प्रधान	24500.00
2	07-01-2022	पंचायत सहायक	6000.00
		योग–	30500.00
1	28-04-2021	टैन रजिस्ट्रेशन	3999.00
1	28-04-2021	स्टोशनरी	19200.00
1	25-05-2021	वीडियो कैमरा मेगाफोन	19300.00
1	30-09-2021	डिजिटल सिंगनेचर(डोगंल)	2061.00
		हैण्डपम्प मरम्मत	
1	03-09-2021	–	18600.00
2	06-09-2021	–	19800.00
3	07-01-2022	–	19800.00
4	07-01-2022	–	19750.00
		योग–	122510.00
1	07-09-2021	ह्यूमपाइप	60795.00
		कायाकल्प कार्य	
1	03-10-2021	जू0 हाई स्कूल टाइल्स	14994.00
2	28-10-2021	” ” ” ”	14994.00
3	28-10-2021	” ” ” ”	17900.00
4	28-10-2021	” ” ” ”	200000.00
5	28-10-2021	प्रा0 पाठशाला	13974.00
6	06-11-2021	” ”	220500.00
7	06-11-2021	” ”	13974.00
		योग–	496336.00

उक्त व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियां पायी गयीः–

1– लेखा परीक्षा वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय की गई धनराशि रू0 841841.00 की पुष्टि में बार–बार मॉगे जाने के बाद भी केवल स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष दौरान किये गये व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित सुसंगत मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, वर्कआई0डी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति, जल प्रबन्धन समिति, निर्माण समिति आदि की संस्तुति, प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र, अचल सम्पत्ति पंजिका, चल सम्पत्ति पंजिका, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली, क्रय आदेश, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर, डिलवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण प्रतिवेदन आदि उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नही की जा सकी है। किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेंशन लेटर एक्सेप्ट किया गया। किन्तु ऑडिट हेतु निर्धारति तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। अभिलेख सुलभ करने हेतु मौखिक एवं अपने पत्र दिनांक– 14-12-2022,15-02-2023, 25-03-2023 (हार्ड कापी संलग्न) के माध्यम से अनुरोध किया गया। लेकिन 31-03-2023 तक अभिलेख उपलब्ध नही रहा।

लेखा मैनुअल के अध्याय –8 के खंड–7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खंड–8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्राविधान है।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत चमरहॉ द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 841841.00 गबन / अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आजाद यादव व ग्राम प्रधान श्रीमती आशा से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

11- ग्राम पंचायत गारोपुर विकास खण्ड बरसठी **वर्ष 2021-22** जनपद जौनपुर

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत गारोपुर विकास खण्ड बरसठी जनपद जौनपुर की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष् 2021–22 में सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आय–व्यय के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रू0 1135662.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र0सं0	दिनांक	विवरण	धनराशि
1		वीडियो कैमरा	19300.00
2		मेगाफोन	8200.00
		योग–	27500.00
		मेडिकल	

1	03-05-2021	मास्क सेनेटाइजर	19800.00
2	21-01-2022	पल्स आक्सीमीटर	2800.00
		योग–	22600.00
1	25-08-2021	प्रशसनिक व्यय	19200.00
1	03-05-2021	टैन रजिस्ट्रेशन	3999.00
1	19-05-2021	पब्लिक एड्रोसिंग	9500.00
1	03-08-2021	डोगंल	2061.00
		खडण्जा निर्माण	
1	13-05-2021	पिचरोड से जगनारायन और झुल्ल्न के घर तक	17487.00
2	13-05-2021	” ” ” ” ” ” ”	66000.00
3	13-05-2021	” ” ” ” ” ” ”	80800.00
		योग–	199047.00
		सोख्ता व स्नानागार	
1	27-05-2021	आरती देवी	9547.00
2	04-08-2021	आरती देवी	3860.00
3	05-08-2021	आरती देवी	13200.00
		योग–	26607.00
		हैण्डपम्प रिवोर	
1	24-05-2021	जंग बहादुर	30050.00
2	24-05-2021	राम प्रसाद	30500.00
		योग–	60550.00
		सामुदायिक शौचालय	
1	27-07-2021	सामाग्री क्रय	50000.00
2	24-05-2021	मजदूरी	18713.00
		योग–	68713.00
		स्ट्रीट लाइट	
1	04-09-2021	अज्ञात	196000.00
2	04-09-2021	अज्ञात	49000.00
3	02-02-2021	40 नग	63015.00
		योग–	308015.00
1	04-09-2021	हाईमास्क लाइट	98600.00
1	03-02-2022	इण्टरलाकिंग	80280.00
1	14-01-2022	प्रा0पाठशाला	118500.00
		प्राकिंग बेंच	
1	21-01-2022	12 नग	100200.00
2	21-01-2022	03 नग	25050.00
		योग–	422630.00

उक्त व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियां पायी गयीः–

1– लेखा परीक्षा वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय की गई धनराशि रू0 1135662.00 की पुष्टि में बार–बार मॉगे जाने के बाद भी केवल स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष दौरान किये गये व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित सुसंगत मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, वर्कआई0डी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति, जल प्रबन्धन समिति, निर्माण समिति आदि की संस्तुति, प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र, अचल सम्पत्ति पंजिका, चल सम्पत्ति पंजिका, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली, क्रय आदेश, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर, डिलवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण प्रतिवेदन आदि उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नही की जा सकी है। किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेंशन लेटर एक्सेप्ट किया गया। किन्तु ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। अभिलेख सुलभ करने हेतु मौखिक एवं अपने पत्र दिनांक– 30-12-2022,15-02-2023, 25-03-2023 (हार्ड कापी संलग्न) के माध्यम से अनुरोध किया गया। लेकिन 31-03-2023 तक अभिलेख उपलब्ध नही रहा।

लेखा मैनुअल के अध्याय –8 के खंड–7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खंड–8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्राविधान है।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत गारोपुर द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 1135662.00 गबन / अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आजाद यादव व ग्राम प्रधान श्री अजीत कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

12- ग्राम पंचायत पिलकथुआ विकास खण्ड बरसठी **वर्ष 2021-22** जनपद जौनपुर

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायत पिलकथुआ विकास खण्ड बरसठी जनपद जौनपुर की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष् 2021–22 में सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आय–व्यय के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रू0 799101.80 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

निधि–1	केन्द्रीय वित्त योजना
खाता सं0–39680201006382	खाता सं0–396802010037141

क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	क्र0सं0	दिनांक	धनराशि
1	23-04-2021	3999.00	1	25-05-2021	27306.00
2	23-04-2021	19300.00	2	25-05-2021	19235.00
3	23-04-2021	19800.00	3	25-05-2021	101325.00
4	19-05-2021	8200.00	4	08-06-2021	9500.00
5	27-05-2021	2800.00	5	18-06-2021	19600.00
6	08-06-2021	4975.00	6	18-06-2021	19800.00
7	22-07-2021	40708.00	7	09-07-2021	9000.00
8	04-08-2021	31000.00	8	12-07-2021	6000.00
9	04-08-2021	23684.00	9	04-08-2021	83000.00
10	18-08-2021	11247.00	10	01-11-2021	18690.00
11	25-08-2021	15100.00	11	02-11-2021	30282.00
12	25-08-2021	28611.00	12	02-11-2021	2278.00
13	14-10-2021	25000.00	13	12-11-2021	16900.00
14	26-10-2021	94.40	14	16-11-2021	2800.00
15	28-10-2021	30053.00	15	23-11-2021	5500.00
16	15-03-2022	18670.00	16	03-12-2021	17500.00
	योग–	283241.40	17	14-12-2021	6000.00
			18	26-10-2021	94.40
			19	08-02-2022	115050.00
			20	15-02-2022	6000.00
				योग–	515860.40

कुल योग–283241.40+515860.40=799101.80

उक्त व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियां पायी गयीः–

1– लेखा परीक्षा वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय की गई धनराशि रू0 799101.80 की पुष्टि में बार–बार मॉगे जाने के बाद भी केवल स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष दौरान किये गये व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित सुसंगत मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, वर्कआई0डी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति, जल प्रबन्धन समिति, निर्माण समिति आदि की संस्तुति, प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र, अचल सम्पत्ति पंजिका, चल सम्पत्ति पंजिका, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली, क्रय आदेश, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर, डिलवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण प्रतिवेदन आदि उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नही की जा सकी है। किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेंशन लेटर एक्सेप्ट किया गया। किन्तु ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। अभिलेख सुलभ करने हेतु मौखिक एवं अपने पत्र दिनांक 15-02-2023 (हार्ड कापी संलग्न) के माध्यम से अनुरोध किया गया। लेकिन 31-03-2023 तक अभिलेख उपलब्ध नही रहा।

लेखा मैनुअल के अध्याय –8 के खंड–7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खंड–8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्राविधान है।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत पिलकथुआ द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 799101.80 गबन / अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील कुमार पाल व ग्राम प्रधान श्री हरिश्याम से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है

13- ग्राम पंचायत खोइरी विकास खण्ड बरसठी **वर्ष 2021-22** जनपद जौनपुर

प्रस्तर-17 **ग्राम पंचायत खोइरी विकास खण्ड बरसठी जनपद जौनपुर** की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष् 2021–22 में सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आय–व्यय के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रू0 3156047.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

निधि–1 खाता सं0–396802010006365			केन्द्रीय वित्त योजना खाता सं0–396802010087105		
क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	क्र0सं0	दिनांक	धनराशि
1	05-04-2021	21000.00	1	07-06-2021	26377.00
2	20-04-2021	138000.00	2	07-06-2021	133250.00
3	20-04-2021	19500.00	3	07-06-2021	248850.00
4	20-04-2021	40530.00	4	07-06-2021	30467.00
5	21-04-2021	19300.00	5	07-06-2021	6906.00
6	01-05-2021	16900.00	6	07-06-2021	29319.00
7	01-05-2021	19800.00	7	07-06-2021	44540.00
8	07-06-2021	8200.00	8	07-06-2021	128270.00
9	07-06-2021	2800.00	9	07-06-2021	16887.00
10	09-07-2021	18100.00	10	07-06-2021	31407.00
11	12-07-2021	18900.00	11	07-06-2021	99800.00
12	19-07-2021	256.00	12	07-06-2021	2613.00
13	27-07-2021	6444.00	13	07-06-2021	36002.00
14	27-07-2021	138000.00	14	07-06-2021	9422.00
15	27-07-2021	19124.00	15	07-06-2021	56751.00
16	27-07-2021	6322.00	16	07-06-2021	96814.00
17	27-07-2021	2880.00	17	07-06-2021	8857.00
18	27-07-2021	21092.00	18	07-06-2021	12279.00
19	27-07-2021	2880.00	19	08-06-2021	89453.00
20	27-07-2021	2800.00	20	08-06-2021	145068.00
21	08-10-2021	14000.00	21	15-06-2021	80900.00
22	13-10-2021	179598.00	22	09-07-2021	6000.00
23	16-10-2021	4488.00	23	12-07-2021	9000.00

24	16-10-2021	4488.00	24	19-07-2021	118.00
25	16-10-2021	9680.00	25	27-07-2021	43800.00
26	28-10-2021	19961.00	26	27-07-2021	7920.00
27	03-12-2021	94.40	27	27-07-2021	28764.00
28	28-12-2021	10500.00	28	27-07-2021	43831.00
29	17-01-2021	138000.00	29	30-07-2021	12057.00
30	27-01-2021	6000.00	30	30-07-2021	19542.00
31	07-02-2022	8550.00	31	30-07-2021	39919.00
32	10-02-2022	5000.00	32	30-07-2021	24578.00
33	17-03-2022	8500.00	33	11-08-2021	52970.00
34	17-03-2022	5000.00	34	11-07-2021	54097.00
35	22-03-2022	17520.00	35	14-10-2021	302028.00
36	22-03-2022	19900.00	36	14-10-2021	78977.00
37	23-03-2022	7990.00	37	22-03-2022	6000.00
38	23-03-2022	3468.00		योग–	2067832.00
	योग–	1088215.40			

कुल योग–1088215.40+2067832.00=3156047.40

उक्त व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियां पायी गयीः–

1– लेखा परीक्षा वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय की गई धनराशि रू0 3156047.40 की पुष्टि में बार–बार मॉगे जाने के बाद भी केवल स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष दौरान किये गये व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित सुसंगत मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, वर्कआई0डी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति, जल प्रबन्धन समिति, निर्माण समिति आदि की संस्तुति, प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र, अचल सम्पत्ति पंजिका, चल सम्पत्ति पंजिका, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली, क्रय आदेश, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर, डिलवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण प्रतिवेदन आदि उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नही की जा सकी है। किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेंशन लेटर एक्सेप्ट किया गया। किन्तु ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। अभिलेख सुलभ करने हेतु मौखिक एवं अपने पत्र दिनांक 25-03-2023 (हार्ड कापी संलग्न) के माध्यम से अनुरोध किया गया। लेकिन 31-03-2023 तक अभिलेख उपलब्ध नही रहा।

लेखा मैनुअल के अध्याय –8 के खंड–7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खंड–8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्राविधान है।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत खोइरी द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 3156047.40 गबन / अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदीप यादव व ग्राम प्रधान श्री बडेलाल से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

14- ग्राम पंचायत धनीपुर विकास खण्ड बरसठी वर्ष 2021-22 जनपद जौनपुर

प्रस्तर-18 **ग्राम पंचायत धनीपुर विकास खण्ड बरसठी जनपद जौनपुर** की लेखा परीक्षा वित्तीय वर्ष् 2021–22 में सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट में दर्शित आय–व्यय के आधार पर सम्पन्न की गयी। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रू0 803342.84 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

निधि–1 खाता सं0–396802010035153			केन्द्रीय वित्त योजना खाता सं0–396802010037048		
क्र0सं0	दिनांक	धनराशि	क्र0सं0	दिनांक	धनराशि
1	27-05-2021	157754.00	1	01-10-2021	133000.00
2	07-06-2021	19800.00	2	01-10-2021	30180.00
3	25-08-2021	33991.00	3	01-10-2021	29980.00
4	25-08-2021	19095.00	4	01-10-2021	29980.00
5	20-08-2021	118.00	5	08-10-2021	9000.00
6	26-10-2021	94.40	6	28-10-2021	5023.00
7	28-10-2021	64600.00	7	28-10-2021	5500.00
8	02-11-2021	105.02	8	07-11-2021	94.40
9	07-01-2022	21000.00	9	07-11-2021	105.02
10	17-01-2022	6000.00	10	18-02-2022	79000.00
11	27-01-2022	35664.00	11	15-03-2022	17000.00
12	14-02-2022	15500.00	12	15-03-2022	24198.00
13	14-02-2022	9500.00	13	15-03-2022	11499.00
14	23-02-2022	11500.00	14	15-03-2022	5095.00
	योग–	400221.42	15	15-03-2022	7656.00
			16	15-03-2022	10500.00
			17	23-03-2022	6000.00
				योग–	403121.42

कुल योग–4000221.42+403121.42=803342.84

उक्त व्यय के संबंध में निम्न आपत्तियां पायी गयीः–

1– लेखा परीक्षा वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय की गई धनराशि रू0 803342.84 की पुष्टि में बार–बार मॉगे जाने के बाद भी केवल स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष दौरान किये गये व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित सुसंगत मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, वर्क आई0डी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति, जल प्रबन्धन समिति, निर्माण समिति आदि की संस्तुति, प्रिया साफ्ट के 8 प्रपत्र, अचल सम्पत्ति पंजिका, चल सम्पत्ति पंजिका, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली, क्रय आदेश, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर, डिलवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण प्रतिवेदन आदि उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नही की जा सकी है। किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेंशन लेटर एक्सेप्ट किया गया। किन्तु ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। अभिलेख सुलभ करने हेतु मौखिक एवं अपने पत्र दिनांक–15-02-2023 / 25-03-2023 (हार्ड कापी संलग्न) के माध्यम से अनुरोध किया गया। लेकिन 31-03-2023 तक अभिलेख उपलब्ध नही रहा।

लेखा मैनुअल के अध्याय –8 के खंड–7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खंड–8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किये जाने का प्राविधान है।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत धनीपुर द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 803342.84 गबन / अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार व ग्राम प्रधान श्री आशीष भारती से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

15- ग्राम पंचायत-तरहटी विकासखण्ड- मुँगराबादशाहपुर वर्ष 2021-22 जनपद- जौनपुर

प्रस्तर-19 **ग्राम पंचायत- तरहटी विकासखण्ड- मुँगरा बादशाहपुर .जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान हैन्ड पम्प मरम्मत हेतु कुल रू0 61200.00 (रुपए इकसठ हजार दो सौ मात्र) भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	07-09-2021	61200.00	20 नग हैन्डपम्प मरम्मत हेतु लालबहादुर ट्रेडर्स को भुगतान
	योग	61200.00	

(**धनराशि शब्दों में- रुपए इकसठ हजार दो सौ मात्र)**

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि रू0 61200.00 (रुपए इकसठ हजार दो सौ मात्र) में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर ।

(2) कार्ययोजना ।

(3) स्टॉक रजिस्टर ।

(4) टेंडर कोटेशन पत्रावली

(5) स्टीमेट एवं एम0बी0 ।

(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र ।

(7) उपभोग प्रमाण-पत्र ।

(8) हैन्डपम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट ।

(9) जल प्रबंधन समिति की संस्तुति रिपोर्ट।

(10) त्रिस्तरीय फोटोग्रा लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(छ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत तरहटी द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 61200.00 (रुपए इकसठ हजार दो सौ मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रशांत कुमार यादव एवं ग्राम प्रधान श्री चन्देश कुमार गुप्ता से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

16- ग्राम पंचायत-मुरखा विकास खण्ड-डोभी वर्ष 2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-20 **ग्राम पंचायत-मुरखा विकास खण्ड-डोभी जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोष बही के अनुसार इंटरलॉकिंग पर कुल रुo 343493-00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	स्थान का नाम जहाँ इंटरलॉकिंग दर्शित है	भुगतान का दिनांक	धनराशि	फर्म का नाम जिसको भुगतान किया गया
1	राजाराम के घर से मुन्नीलाल का खेत तक इंटरलॉकिंग निर्माण	29-10-2021	161700-00	आर्यन इंटरप्राइजेज
2	सी०सी० रोड से मुंशी के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण	29-10-2021	82848-00	आर्यन इंटरप्राइजेज
3	सी०सी० रोड से जयहिंद विश्वकर्मा के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण	29-10-2021	72553-00	आर्यन इंटरप्राइजेज
4	सी०सी० रोड से मुंशी के घर तक इंटरलॉकिंग निर्माण हेतु सामग्री	08-12-2021	26392-00	आर्यन इंटरप्राइजेज
	योग		343493-00	

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि रुo 343493-00 के सापेक्ष निम्नलिखित लेखा परीक्षा आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. उपरोक्त इंटरलॉकिंग निर्माण में मजदूरी का भुगतान आलोच्य वर्ष के दौरान नही किया गया है जिससे कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है |
2. क्रय स्टॉक की पुष्टि हेतु उ० प्र० पं० रा० नि०1947 के नियम 202 के अनुसार एक स्टॉक बुक रूप पत्र 25 पर रखी जाएगी, जो नही प्रस्तुत किया गया |
3. उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिंदु 8 के अनुसार ग्राम पंचायत के द्वारा रूप पत्र 21 पर सार्वजनिक निर्माण कार्य के रजिस्टर रखा जाना है। जिसमें किए जाने वाले प्रत्येक कार्य का विवरण तथा प्राक्कलित लागत, वास्तविक लागत इत्यादि प्रत्येक विवरण भरे जाएगे ,लेखा परीक्षा के समय माँगोंपरांत यह रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक अप्राप्त
5. कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त
6. कार्य योजना अप्राप्त
7. स्टीमेट एवं एम0बी0अप्राप्त

8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ एवं जी0ई0ओ0 टैगिंग नही किया गया है |
9. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
10. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि रु० 343493-00 ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशिरु० 343493-00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार एवं पंचायत सचिव श्री सुशील कुमार से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

17- ग्राम पंचायत बनबीरपुर विकास खण्ड मुँगरा बादशाहपुर वर्ष 2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-21 **ग्राम पंचायत बनबीरपुर विकास खण्ड मुँगरा बादशाहपुर जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रू0 59920-00 (उनसठ हजार नौ सौ बीस) भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	दिनांक	धनराशि	विवरण
1-	14.10.2021	59920-00	ह्यूम पाइप क्रय
	योग	59920-00	

धनराशि शब्दों में-

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि रू0 59920.00 (उनसठ हजार नौ सौ बीस) में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर ।
(2) कार्ययोजना ।
(3) स्टॉक रजिस्टर ।
(4) टेंडर कोटेशन पत्रावली
(5) स्टीमेट एवं एम0बी0 ।
(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र ।
(7) उपभोग प्रमाण-पत्र ।
(8) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट ।
(9) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर ।
(10) त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है।

(घ) ह्यून पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ङ) ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।

(च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।

(ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

(झ) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामाग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत बनबीरपुर द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 59920.00 (उनसठ हजार नौ सौ बीस) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रेम नारायण एवं ग्राम प्रधान श्री राजकपूर से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

18- ग्राम पंचायत-लेबरुआ विकास खण्ड-डोभी वर्ष 2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-22 **ग्राम पंचायत-लेबरुआ विकास खण्ड-डोभी जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में 5वा राज्य वित्त आयोग कोष बही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु0 217729-00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	दिनांक	कार्य का नाम/नाम	भुगतान प्राप्तकर्ता	धनराशि
01	24-07-2021	हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य	अजय सिंह हार्डवेयर	19725-00
02	24-07-2021	,, ,,	,,	19525-00
03	13-08-2021	,, ,,	साईं यन्त्रालय	19909-00

04	27-10-2021	,, ,,	,,	19680-00
05	27-10-2021	,, ,,	अजय सिंह हार्डवेयर	19780-00
06	05-12-2021	,, ,,	साईं यन्त्रालय	19700-00
07	05-12-2021	,, ,,	अजय सिंह हार्डवेयर-15850-00 रिंकू प्रकाश यादव-4000-00(मजदूरी)	19850-00
08	19-01-2022	,, ,,	प्रकाश कृषि यन्त्रालय-15780-00 सत्यप्रकाश यादव-4000-00	19780-00
09	19-01-2022	,, ,,	प्रकाश कृषि यन्त्रालय-15950-00 सत्यप्रकाश यादव-4000-00	19950-00
10	15-03-2022	,, ,,	अजय सिंह हार्डवेयर	39830-00
		योग		217729-00

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि रु0 217729-00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में निम्नलिखित आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6) हैण्डमम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र,मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजि0

(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010 दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(छ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि रु0 217729-00 ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशि रु0 217729-00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिभा यादव एवं पंचायत सचिव श्री किशन कुमार से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

19- ग्राम पंचायत कोठवार विकासखण्ड करंजाकला जनपदजौनपुर

प्रस्तर-23 **ग्राम पंचायत कोठवार विकासखण्ड करंजाकला जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रु0 151040.00 व्यय किया गया।

क्र.सं.	कैशबुक के अनुसार दिनांक	भुगतान प्राप्त कर्ता फर्म का नाम	धनराशि
1.	18.10.2021	राजपूत इन्टर प्राइजेज	75520
2	18.10.2021	राजपूत इन्टर प्राइजेज	75520
			151040

धनराशि शब्दों में- (एक लाख इक्यावन हजार चालीस रू0 मात्र)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 151040 के संबंध में निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियाँ पाई गई है-

1. उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. स्टॉक रजिस्टर
4. टेंडर/कोटेशन पत्रावली
5. स्टीमेट एवं एम0बी0
6. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र
7. निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
8. सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर
9. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है।

2. ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।
3. ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।
4. ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।
6. ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, मीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामाग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत कोठवार, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 151040.00 **(एक लाख इक्यावन हजार चालीस रू0 मात्र)** गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवीश मौर्या एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा सिंह से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

20- ग्राम पंचायत परसनी, विकासखण्ड करंजाकला **वर्ष 2021-22** जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-24 ग्राम पंचायत परसनी, विकासखण्ड करंजाकला जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोष-बही के अनुसार वर्ष के दौरान हैण्डपम्प मरम्मत क्रय पर कुल रु0 58180.00 भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	कैशबुक के अनुसार दिनांक	भुगतान प्राप्त कर्ता फर्म का नाम	धनराशि
1.	04.08.2021	पाल हार्ड वेयर स्टोर	16440.00
2	04.08.2021	पाल हार्ड वेयर स्टोर	18100.00
3	04.08.2021	पाल हार्ड वेयर स्टोर	11400.00
4	09.08.2021	किसान हार्ड वेयर स्टोर	12240.00
		योग	58180.00

धनराशि शब्दों में- (अट्ठावन हजार एक सौ अस्सी रु0)

कोष-बही में दर्शित उक्त भुगतानित धनराशि-58180.00 में निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियाँ पायी गई है-
कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्
(6) हैण्डमम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंपरांत परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(छ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत परसनी, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 58180.00 गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रवीश मौर्या एवं ग्राम प्रधान श्रीमती केवला देवी से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

21-ग्राम पंचायत -चकनारायनपुर विकासखंड बरसठी जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-25 **ग्राम पंचायत चकनारायनपुर विकास खंड बरसठी** के वर्ष-2021-22 के लेखा परीक्षा मे रु 676894.80 के गम्भीर प्रकरण प्रकाश मे आये जिन पर आवश्यक कार्यवायी अपेक्षित है ।

क्रम सं0	**निधि-ए/सी 396802010027748**		क्रम सं0	**के0वी0वाई0 ए/सी 396802010037024**		
1	28.04.2021	19300	1	24.05.2021	8200	
2	28.04.2021	3999	2	1611.2021	9000	
3	28.04.2021	19800	3	10.12.2021	150000	
4	19.05.2021	35177	4	14.12.2021	64180	
5	19.05.2021	19750	5	14.12.2021	42500	
6	19.05.2021	19800	6	14.12.2021	42500	
7	19.05.2021	3500	7	14.12.2021	42500	
8	24.05.2021	9500	8	29.12.2022	94.40	
9	16.11.2021	2061	9		358974.4	
10	16.11.2021	110886				
11	16.11.2021	31125				
12	18.11.2021	14000				
13	18.11.2021	6160				
14	18.11.2021	6160				
15	18.11.2021	2448				
16	20.11.2021	2652				
17	10.12.2021	6000				
18	14.12.2021	5508				
19	29.12.2021	94.40				
		317920.4				

<u>आपत्तियों का विस्तृत विवरण -</u>

1-उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष मे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि मे बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका,कार्य योजना,स्टीमेट,वर्क आई0डी0,बिल वाउचर मस्टर रोल,कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र,प्रधान मानदेय रजिस्टर,डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स,विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति,प्रिया सॉफ्ट के 8 प्रपत्र,प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा,समेकित सार , बैंक समाधान विवरण पत्र,प्राप्ति व भुगतान योग विवरण,स्टाक पंजिका ,मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख एवं किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ,उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे दर्शित किए गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। संभव है, किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण किया गया ।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर एक्सेप्ट किया गया। किन्तु ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। अभिलेख सुलभ करने हेतु अपने पत्र दिनांक 14.12.2022,07.02.2023,25.03.2023 (हार्ड कॉपी सलग्न) के माध्यम से अनुरोध किया गया लेकिन 31-03-2023 तक अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत चकनारायनपुर द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 676894.80 गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विद्याधर यादव एवं ग्राम प्रधान श्री होरीलाल से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

22-ग्राम पंचायत दियावाँ विकास खंड बरसठी वर्ष-2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत दियावाँ विकास खंड बरसठी के वर्ष-2021-22 के लेखा परीक्षा मे रु 455505.20 के गम्भीर प्रकरण प्रकाश मे आये जिन पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

क्रम सं0	**निधि-ए/सी 396802010037913**		क्रम सं0	**के0वी0वाई0 ए/सी 396802010037054**	
1	12.05.2021	18442	1	16.7.2021	118.00
2	12.05.2021	18680	2	23.08.2021	28764.00
3	13.05.2021	9500	3	20.09.2021	118
4	1305.2021	19300	4	05.10.2021	99800
5	13.05.2021	4500	5	05.10.2021	4429
6	13.05.2021	13500	6	05.10.2021	35320
7	13.05.2021	2325	7	05.10.2021	32902
8	24.05.2021	8200	8	03.12.2021	94.40
9	16.07.2021	256	9	17.02.2022	8251
10	23.08.2021	19800	10	17.02.2022	30201
11	20.09.2021	118	11	17.02.2022	33300
12	26.11.2021	19600	12	17.02.2022	18141
13	03.12.2021	94.40	13	17.02.2022	18216
14	11.12.2021	17.70			309654.4
15	13.03.2022	17.70			
16	15.03.2022	11500.00			
		145850.8			

आपत्तियों का विस्तृत विवरण -

1-उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष मे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि मे बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका,कार्य योजना,स्टीमेट,वर्क आई0डी0,बिल वाउचर मस्टर रोल,कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र,प्रधान मानदेय रजिस्टर,डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स,विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति,प्रिया सॉफ्ट के 8 प्रपत्र,प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा,समेकित सार , बैंक समाधान विवरण पत्र,प्राप्ति व भुगतान योग विवरण,स्टाक पंजिका ,मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख एवं किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ,उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे दर्शित किए गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। संभव है, किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण किया गया ।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर एक्सेप्ट किया गया। किन्तु ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया अभिलेख सुलभ करने हेतु अपने पत्र दिनांक 23.12.2022,15.02.2023,25.03.2023 (हार्ड कॉपी सलग्न) के माध्यम से अनुरोध किया गया लेकिन 31-03-2023 तक अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत दियावाँ द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 455505.20 गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विद्याधर यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अंजू से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

23 - ग्राम पंचायत-बेलौना कला विकास खंड बरसठी वर्ष-2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत बेलौना कला विकास खंड बरसठी के वर्ष-2021-22 के लेखा परीक्षा मे रु 1882154.00 के गम्भीर प्रकरण प्रकाश मे आये जिन पर आवश्यक कार्यवायी अपेक्षित है ।

क्रम सं0	**निधि-ए/सी 396802010009459**		क्रम सं0	**के0वी0वाई0 ए/सी 396802010037003**	
1	28.04.2021	3999	1	15.06.2021	231600
2	28.04.2021	19800	2	27.07.2021	9000

3	28.04.2021	19300	3	05.08.2021	2061
4	06.05.2021	43901	4	01.09.2021	196000
5	24.05.2021	9500	5	01.09.2021	99800
6	24.05.2021	8200	6	27.09.2021	12000
7	24.05.2021	19750	7	29.09.2021	210000
8	24.05.2021	19800	8	13.10.2021	120000
9	11.06.2021	4975	9	10.11.2021	94.40
10	11.06.2021	2800	10	03.12.2021	94.40
11	05.08.2021	99800	11	25.01.2022	94.40
12	25.08.2021	98000	12	24.02.2022	11500
13	25.08.2021	196000	13	24.02.2022	81925
14	13.10.2021	2000			974169.2
15	16.10.2021	14000			
16	02.11.2021	124705			
17	10.11.2021	94.40			
18	23.11.2021	25140			
19	23.11.2021	19030			
20	03.12.2021	94.40			
21	29.01.2022	97581			
22	29.01.2022	10500			
23	09.02.2022	13140			
24	11.02.2022	6000			
25	15.03.2022	49875			
		907984.8			

आपत्तियों का विस्तृत विवरण -

1-लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय की गई धनराशि रु 0 1882154.00 की पुष्टि मे बार-बार मांगे जाने के बाद केवल बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया।

लेखा परीक्षा वर्ष मे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि मे बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका,कार्य योजना,स्टीमेट,वर्क आई0डी0,बिल वाउचर मस्टर रोल,कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र,प्रधान मानदेय रजिस्टर,डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स,विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति,प्रिया सॉफ्ट के 8 प्रपत्र,प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा,समेकित सार , बैंक समाधान विवरण पत्र,प्राप्ति व भुगतान योग विवरण,स्टाक पंजिका ,मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख एवं किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ,उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे दर्शित किए गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। संभव है, किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण किया गया ।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर एक्सेप्ट किया गया। किन्तु ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया अभिलेख सुलभ करने हेतु अपने पत्र दिनांक 09.02.2023,25.03.23 (हार्ड कॉपी सलग्न) के माध्यम से अनुरोध किया गया लेकिन 31-03-2023 तक अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत बेलौना कला द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 1882154.00 गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार पटेल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती ईसरावती से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

24 - ग्राम पंचायत चंद्रभानपुर विकास खंड बरसठी वर्ष-2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-28 **ग्राम पंचायत चंद्रभानपुर विकास खंड बरसठी** के वर्ष-2021-22 के लेखा परीक्षा मे रु 710040.20 के गम्भीर प्रकरण प्रकाश मे आये जिन पर आवश्यक कार्यवायी अपेक्षित है ।

क्रम सं0	**निधि- ए/सी 396802010006388**		क्रम सं0	**के0वी0वाई0 ए/सी 396802010037036**		
1	28.04.2021	2316	1	13.05.2021	17986	
2	28.04.2021	17800	2	13.05.2021	2577	
3	28.04.2021	19800	3	19.05.2021	77927	
4	03.05.2021	19300	4	19.05.2021	19656	
5	19.05.2021	8200	5	02.09.2021	98800	
6	13.10.2021	140600	6	13.09.2021	29837	
7	13.10.2021	2800	7	13.10.2021	30601	
8	10.12.2021	94.40	8	13.10.2021	30000	
9	30.12.2021	21000	9	22.10.2021	18552	
10	04.02.2022	10500	10	22.10.2021	12690	
11	23.02.2022	6000	11	28.10.2021	7500	
12	17.03.2023	31985	12	28.10.2021	14000	
		280395.4	13	10.11.2021	94.40	
			14	25.01.2022	94.40	
			15	04.02.2022	7140	
			16	04.02.2022	35190	
			17	04.02.2022	12500	
			18	18.02.2022	5500	
			19	23.02.2022	9000	
					429644.8	

1-उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष मे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि मे बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका,कार्य योजना,स्टीमेट,वर्क आई0डी0,बिल वाउचर मस्टर रोल,कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र,प्रधान मानदेय रजिस्टर,डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स,विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति,प्रिया सॉफ्ट के 8 प्रपत्र,प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा,समेकित सार , बैंक

समाधान विवरण पत्र,प्राप्ति व भुगतान योग विवरण,स्टाक पंजिका ,मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख एवं किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ,उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे दर्शित किए गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। संभव है, किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण किया गया ।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर एक्सेप्ट किया गया। किन्तु ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया अभिलेख सुलभ करने हेतु अपने पत्र दिनांक 14.12.2022,07.02.2023,25.03.2023 (हार्ड कॉपी सलग्न) के माध्यम से अनुरोध किया गया लेकिन 31-03-2023 तक अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत चंद्रभानपुर द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 710040.00 गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार पटेल] एवं ग्राम प्रधान श्री अमरनाथ से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

25- ग्राम पंचायत सोनाई विकास खंड बरसठी वर्ष-2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-29 **ग्राम पंचायत सोनाई विकास खंड बरसठी** के वर्ष-2021-22 के लेखा परीक्षा मे रु 713350.00 के गम्भीर प्रकरण प्रकाश मे आये जिन पर आवश्यक कार्यवायी अपेक्षित है ।

क्रम सं0	**निधि- ए/सी 396802010014456**		क्रम सं0	**के0वी0वाई0 ए/सी 396802010037165**	
1	08-06-2021	2800	1	08.06.2021	5500
2	08-06-2021	8200	2	08.06.2021	5500
3	28-10-2021	35182	3	08.06.2021	19800
4	28-10-2021	2190	4	27.07.2021	18019
5	28-10-2021	2190	5	27.07.2021	85379
6	28-10-2021	1224	6	27.07.2021	36850
7	28-10-2021	40963	7	24.09.2021	118
8	28-10-2021	1428	8	10.11.2021	94.40

9	28-10-2021	2190	9	07.12.2021	9000
10	28-10-2021	1428	10	23.12.2021	93762
11	28-10-2021	1224	11	19.10.2022	46750
12	28-10-2021	1428	12	21.01.2022	10812
13	28-10-2021	14000	13	25.01.2022	94.40
14	28-10-2021	1224			331678.8
15	28.10.2021	40863			
16	10-11-2021	94.40			
17	07-12-2021	6000			
18	07-12-2021	19900			
19	28-12-2021	31755			
20	28-12-2021	122450			
21	15-01-2022	28438			
22	11-02-2022	6000			
23	23-02-2022	10500			
		381671.4			

1-उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष मे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि मे बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका,कार्य योजना,स्टीमेट,वर्क आई0डी0,बिल वाउचर मस्टर रोल,कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र,प्रधान मानदेय रजिस्टर,डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स,विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति,प्रिया सॉफ्ट के 8 प्रपत्र,प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा,समेकित सार , बैंक समाधान विवरण पत्र,प्राप्ति व भुगतान योग विवरण,स्टाक पंजिका ,मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख एवं किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ,उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे दर्शित किए गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। संभव है, किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण किया गया ।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर एक्सेप्ट किया गया। किन्तु ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहि कराया गया अभिलेख सुलभ करने हेतु अपने पत्र दिनांक 25-03.2023 (हार्ड कॉपी सलग्न) के माध्यम से अनुरोध किया गया लेकिन 31-03-2023 तक अभलेख उपलब्ध नहीं रहा।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत सोनाई द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 713350.00 गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुण कुमार पटेल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

26-ग्राम पंचायत-धर्मदासपुर विकास खंड बरसठी वर्ष-2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-30 **ग्राम पंचायत धर्मदासपुर विकास खंड बरसठी** के वर्ष-2021-22 के लेखा परीक्षा मे रु 1324401.80 के गम्भीर प्रकरण प्रकाश मे आये जिन पर आवश्यक कार्यवायी अपेक्षित है ।

क्रम सं0	**निधि- ए/सी 396802010027845**		क्रम सं0	**के0वी0वाई0 ए/सी 396802010037051**		
1	03.05.2021	19300	1	01.09.2021	67327	
2	03.05.2021	9500	2	01.09.2021	75090	
3	12.05.2021	19800	3	01.09.2021	14062	
4	13.05.2021	5250	4	21.12.2021	7600	
5	24.05.2021	8200	5	21.12.2021	4080	
6	26.08.2021	19850	6	23.12.2021	4080	
7	26.08.2021	32940	7	14.01.2022	47400	
8	26.08.2021	19780	8	25.01.2022	42500	
9	01.09.2021	30472	9	25.01.2022	42500	
10	01.09.2021	11000	10	25.01.2022	25500	
11	01.09.2021	5730	11	25.01.2022	42500	
12	01.09.2021	52993	12	03.02.2022	26392	
13	01.09.2021	4185	13	03.02.2022	38232	
14	01.09.2021	26666	14	09.02.2022	38232	
15	01.09.2021	4916	15	09.02.2022	3000	
16	01.09.2021	10852	16	09.02.2022	3000	
17	01.09.2021	9560	17	10.02.2022	33411	
18	01.09.2021	8142	18	18.02.2022	43750	
19	01.09.2021	30531	19	18.02.2022	43750	
20	01.09.2021	6372	20	18.02.2022	33600	
21	01.09.2021	19500	21	18.02.2022	33600	
22	01.09.2021	2618	22	18.02.2022	33600	
23	03.12.2021	94.40			703206	
24	21.12.2021	19200				
25	21.12.2021	19800				
26	23.12.2021	19600				
27	29.12.2021	94.40				
28	03.01.2022	19900				
29	13.01.2022	19800				
30	29.01.2022	37750				
31	29.01.2022	5700				
32	03.02.202	16800				
33	03.02.2022	16800				
34	18.02.2022	43750				
35	18.02.2022	43750				
		621195.8				

1-उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष मे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि मे बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका,कार्य योजना,स्टीमेट,वर्क आई0डी0,बिल वाउचर मस्टर रोल,कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र,प्रधान मानदेय रजिस्टर,डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स,विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति,प्रिया सॉफ्ट के 8 प्रपत्र,प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा,समेकित सार , बैंक समाधान विवरण पत्र,प्राप्ति व भुगतान योग विवरण,स्टाक पंजिका ,मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख एवं किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ,उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे दर्शित किए गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। संभव है, किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण किया गया ।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर एक्सेप्ट किया गया। किन्तु ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया अभिलेख सुलभ करने हेतु अपने पत्र दिनांक 21.12.2022,07.02.2023,25.03.2023 (हार्ड कॉपी सलग्न) के माध्यम से अनुरोध किया गया लेकिन 31-03-2023 तक अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत धर्मदासपुर द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 1324401.80 गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विद्याधर यादव] एवं ग्राम प्रधान श्री समलावती से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

27- ग्राम पंचायत सहरमा विकास खंड बरसठी जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-31 **ग्राम पंचायत सहरमा विकास खंड बरसठी** के वर्ष-2021-22 के लेखा परीक्षा मे रु 2064041.60 के गम्भीर प्रकरण प्रकाश मे आये जिन पर आवश्यक कार्यवायी अपेक्षित है ।

क्रम सं0	**निधि-ए/सी 396802010027613**		क्रम सं0			
1	12.05.2021	30900	23	13.02.2021	7040	
2	12.05.2021	30700	24	29.10.2021	94.40	
3	12.05.2021	14300	25	02.11.2021	19890	
4	12.05.2021	30200	26	23.11.2021	17500	
5	12.05.2021	19800	27	29.12.2021	94.40	
6	12.05.2021	9500	28	03.01.2022	43450	

7	12.05.2021	16500	29	03.01.2022	39500	
8	12.05.2021	30600	30	18.02.2022	66800	
9	12.05.2021	30900	31	24.02.2022	18750	
10	12.05.2021	30600	32	17.03.2022	15000	
11	12.05.2021	18700	33	17.03.2022	11500	
12	12.05.2021	3999	34	22.03.2022	5508	
13	12.05.2021	19300	35	22.03.2022	5508	
14	12.05.2021	30300	36	22.03.2022	119753	
15	12.05.2021	29200			957353.80	
16	05.10.2021	171697				
17	05.10.2021	48858				
18	13.10.2021	3468				
19	13.10.2021	3468				
20	13.02.2021	3468				

क्रम सं0	**निधि- ए/सी 396802010027613**	
1	08.06.2021	3015
2	08.06.2021	20900
3	08.06.2021	94300
4	08.06.2021	20900
5	08.06.2021	81100
6	08.06.2021	30200
7	08.06.2021	30300
8	08.06.2021	6130
9	08.06.2021	8442
10	08.06.2021	30900
11	08.06.2021	30200
12	08.06.2021	29950
13	08.06.2021	30400
14	08.06.2021	3015
15	08.06.2021	29800
16	08.06.2021	30200
17	08.06.2021	30450
18	08.06.2021	34900
19	08.06.2021	6130
20	15.06.2021	4975
21	15.06.2021	160300
22	16.05.2021	9500
23	16.06.2021	8200
24	18.06.2021	19800
25	18.06.2021	19700
26	01.09.2021	9000
27	27.09.2021	80467
28	29.10.2021	94.40
29	18.11.2021	133225
30	03.12.2021	94.40
31	25.01.2022	57113
32	25.01.2022	3060

33	27.01.2022	8460
34	27.01.2022	3672
35	27.01.2022	31795
36	17.03.2022	6000
		1106687.8

<u>आपत्तियों का विस्तृत विवरण –</u>

लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय की गई धनराशि रु 2064041.60 की पुष्टि मे बार-बार मांगे जाने के बाद केवल बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया।

1-उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष मे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि मे बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका,कार्य योजना,स्टीमेट,वर्क आई0डी0,बिल वाउचर मस्टर रोल,कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र,प्रधान मानदेय रजिस्टर,डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स,विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति,प्रिया सॉफ्ट के 8 प्रपत्र,प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा,समेकित सार , बैंक समाधान विवरण पत्र,प्राप्ति व भुगतान योग विवरण,स्टाक पंजिका ,मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख एवं किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ,उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे दर्शित किए गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। संभव है, किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण किया गया ।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर एक्सेप्ट किया गया। किन्तु ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया अभिलेख सुलभ करने हेतु अपने पत्र दिनांक 15.02.2023,25.03.2023(हार्ड कॉपी सलग्न) के माध्यम से अनुरोध किया गया लेकिन 31-03-2023 तक अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत सहरमा द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 2064041.60 गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री जयदीप यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रन्नो देवी से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

28-ग्राम पंचायत रसूलहां विकास खंड बरसठी जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-32 **ग्राम पंचायत रसूलहां विकास खंड बरसठी** के वर्ष-2021-22 के लेखा परीक्षा मे रु 676894.80 के गम्भीर प्रकरण प्रकाश मे आये जिन पर आवश्यक कार्यवायी अपेक्षित है ।

क्रम सं0	**निधि- ए/सी 396802010027748**		क्रम सं0	**के0वी0वाई0 ए/सी 396802010037024**	
1	28.04.2021	19300	1	24.05.2021	8200
2	28.04.2021	3999	2	1611.2021	9000
3	28.04.2021	19800	3	10.12.2021	150000
4	19.05.2021	35177	4	14.12.2021	64180
5	19.05.2021	19750	5	14.12.2021	42500
6	19.05.2021	19800	6	14.12.2021	42500
7	19.05.2021	3500	7	14.12.2021	42500
8	24.05.2021	9500	8	29.12.2022	94.40
9	16.11.2021	2061	9		358974.4
10	16.11.2021	110886			
11	16.11.2021	31125			
12	18.11.2021	14000			
13	18.11.2021	6160			
14	18.11.2021	6160			
15	18.11.2021	2448			
16	20.11.2021	2652			
17	10.12.2021	6000			
18	14.12.2021	5508			
19	29.12.2021	94.40			
		317920.4			

-उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष मे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि मे बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका,कार्य योजना,स्टीमेट,वर्क आई0डी0,बिल वाउचर मस्टर रोल,कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र,प्रधान मानदेय रजिस्टर,डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स,विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति,प्रिया सॉफ्ट के 8 प्रपत्र,प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा,समेकित सार , बैंक समाधान विवरण पत्र,प्राप्ति व भुगतान योग विवरण,स्टाक पंजिका ,मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख एवं किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ,उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे दर्शित किए गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। संभव है, किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण किया गया ।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर एक्सेप्ट किया गया। किन्तु ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया अभिलेख सुलभ करने हेतु अपने पत्र दिनांक 15.02.2023,25.03.2023 (हार्ड कॉपी सलग्न) के माध्यम से अनुरोध किया गया लेकिन 31-03-2023 तक अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हूए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत रसूलहां द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 676894.80 गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता पटेल से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

29-ग्राम पंचायत राजापुर विकास खंड बरसठी वर्ष-2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-33 **ग्राम पंचायत राजापुर विकास खंड बरसठी** के वर्ष-2021-22 के लेखा परीक्षा मे रु 1058457.00 के गम्भीर प्रकरण प्रकाश मे आये जिन पर आवश्यक कार्यवायी अपेक्षित है ।

क्रम सं0	**निधि- ए/सी 478502010087646**		क्रम सं0	**के0वी0वाई0 ए/सी 478502010104533**	
1	18.08.2021	19700	1	18.08.2021	37651
2	18.08.2021	18700	2	18.08.2021	9000
3	18.08.2021	2800	3	18.08.2021	5950
4	18.08.2021	19800	4	18.08.2021	108892
5	18.08.2021	19800	5	01.09.2021	5091
6	18.08.2021	101325	6	01.09.2021	7344
7	06.09.221	29737	7	01.09.2021	15840
8	06.09.2021	29737	8	06.09.2021	20000
9	14.09.2021	20800	9	06.09.2021	9898
10	14.09.2021	16325	10	23.09.2021	29477
11	10.12.2021	66375	11	24.09.2021	42121
12	10.12.2021	20568	12	24.09.2021	85841
13	14.12.2021	20000	13	03.02.2022	20800
14	03.02.2022	24500	14	03.02.2022	85723
15	03.02.2022	6000	15	03.02.2022	12545
16	10.02.2022	16500	16	03.02.2022	28430
17	10.02.2022	25340	17	22.03.2022	9867
18	24.02.2022	11500			534470
19	21.03.2022	6000			
20	22.03.2022	28700			
21	22.03.2022	19780			
		523987.00			

1-उक्त विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष मे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि मे बार-बार मांगे जाने के बाद भी मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका,कार्य योजना,स्टीमेट,वर्क आई0डी0,बिल वाउचर मास्टर रोल,कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र,प्रधान मानदेय रजिस्टर,डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स,विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति,प्रिया सॉफ्ट के 8 प्रपत्र,प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा,समेकित सार , बैंक समाधान विवरण पत्र,प्राप्ति व भुगतान योग विवरण,स्टाक पंजिका ,मांग वसूली व अवशेष पंजिका,अचल संपत्ति पंजिका व चल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख एवं किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ,उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे दर्शित किए गये व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। संभव है, किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण किया गया ।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इंटीमेशन लेटर एक्सेप्ट किया गया। किन्तु ऑडिट हेतु निर्धारित तिथि पर अभिलेख उपलब्ध नहि कराया गया अभिलेख सुलभ करने हेतु अपने पत्र दिनांक 15.02.2023,25.03.2023 (हार्ड कॉपी सलग्न) के माध्यम से अनुरोध किया गया लेकिन 31-03-2023 तक अभलेख उपलब्ध नहीं रहा।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत राजापुर द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु 1058457.00 गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री कलिंदर से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

30- ग्राम पंचायत- हुरहुरी, विकासखंड- केराकत, वर्ष 2021-22 जौनपुर

प्रस्तर-34 ग्राम पंचायत- हुरहुरी, विकासखंड- केराकत, जौनपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कमियां प्रकाश में आयी :-

1- हैण्डवास निर्माण पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण-

क्र.सं.	दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
1	06.09.2021	पूर्व मा0वि0 हुरहुरी में हैण्डवास निमा0 पर ईंट का भुगतान	13823.00
2	06.09.2021	पूर्व मा0वि0 हुरहुरी में हैण्डवास निमा0 पर मजदूरी भुगतान	816.00

3	06.09.2021	उपरोक्त कार्य पर हार्डवेयर का भुगतान	21395.00
4	06.09.2021	उपरोक्त कार्य पर हार्डवेयर का भुगतान	17530.00
5	06.09.2021	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी पर भुगतान	1020.00
6	06.09.2021	उपरोक्त कार्य पर मैटेरियल पर भुगतान	10400.00
7	06.09.2021	उपरोक्त कार्य पर मैटेरियल पर भुगतान	19391.00
8	06.09.2021	उपरोक्त कार्य पर हार्डवेयर का भुगतान	30030.00
9	06.09.2021	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी पर भुगतान	1020.00
10	06.09.2021	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी पर भुगतान	1880.00
11	06.09.2021	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी पर भुगतान	3000.00
12	06.09.2021	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी पर भुगतान	8505.00
13	06.09.2021	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी पर भुगतान	5500.00
		योग	134310.00

1. पंचायत अनुभाग के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.01.2016 के बिंदु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त आयोग में दिए गए निर्देशों के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए था परंतु उससे संबंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई।

2. कार्य प्रारंभ मध्य एवं समाप्ति की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।
3. सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0 वाला बिल नहीं प्रस्तुत किया गया।
4. कार्य से संबंधित एम0बी0 एवं स्टीमेट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
5. श्रमिकों को भुगतानित मजदूरों की मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल अप्राप्त रहा।
6. पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या-234-33-3-2016-2/2016 दिनांक 18.02.2016 चौदहवें वित्त की गाईडलाईन के बिंदु-2 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद बिंदु-1 के उपनियम-12 के अनुसार कार्य के स्थलीय निरीक्षण सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी पंचायत को अधिकृत किया गया है । लेखा परीक्षा में कार्य की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।
7. स्टॉक, संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माणकार्य, निर्माण कार्य समिति की अनुशंसा रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र अप्राप्त रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8क, 8-ख, एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम -204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम -256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि रु 134310.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

31- ग्राम पंचायत- सहाबुद्दीनपुर, विकासखंड- केराकत, जौनपुर

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायत- सहाबुद्दीनपुर, विकासखंड- केराकत, जौनपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कमियां प्रकाश में आयी :-

1- विभिन्न् स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

क्र.सं.	दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
1	03.07.2021	5 नग हैण्डपम्प मरम्मत यादव मशीनरी स्टोर	19500.00
2	27.07.2021	हैण्डपम्प मरम्मत यादव मशीनरी स्टोर	19300.00
3	27.07.2021	हैण्डपम्प मरम्मत यादव मशीनरी स्टोर	19700.00
4	27.07.2021	हैण्डपम्प रिबोर संतोष हार्डवेयर	31105.00
		योग	89605.00

कोषबही में दर्शित उक्त धनराशि/व्यय के सापेक्ष निम्न आपतियां पाई गई हैं :-

1. लेखा परीक्षा में भुगतानित की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल/बाउचर)
क. सामग्री व मजदूरी दोनों राशियां अंकित है जबकि सामग्री एवं श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित धनराशि अलग अलग होना चाहिए।
ख. किसी पंजीकृत फर्म का न होकर सादा छपा (कैशमेमो) है।
2. उक्त भुगतानित धनराशि/व्यय की पुष्टि अन्य प्रमाणक ।
क. कार्यवाही रजिस्टर
ख. कार्ययोजना
ग. जल प्रबंधन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
घ. इस्टीमेट एवं एम0बी0
च. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
छ. हैंडपंप से संबंधित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट
ज. स्टॉक रजिस्टर
झ. कराए गए कार्य की आईडी एवं मासिक प्रिया सॉफ्ट फीडिग लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
3. डेड स्टॉक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे मरम्मत के उपरांत खराब पार्ट्स का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात प्राप्त आय की पुष्टि नहीं किया जा सका।
4. श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा ।
5. हैंडपंप मरम्मत पश्चात अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैंडपंप मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8क, 8-ख, एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947

के नियम -204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम -256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि रु 89605.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

32- ग्राम पंचायत- गुलरा, विकासखंड- केराकत, वर्ष 2021-22 जौनपुर

प्रस्तर-36 ग्राम पंचायत- गुलरा, विकासखंड- केराकत, जौनपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कमियां प्रकाश में आयी :-

1- कलनी के घर से अवधेश गोड़ के घर तक भूमिगत नाली निर्माण का विवरण निम्न प्रकार है –

क्र.सं.	दिनांक	व्यय का विवरण	धनराशि
1	03.01.2022	ईंट क्रय	27993.00
2	03.01.2022	ह्यूम पाईप क्रय	192915.00
3	03.01.2022	निर्माण सामग्री क्रय	40922.00
4	03.01.2022	मजदूरी	24684.00
5	03.01.2022	मजदूरी	16450.00
		योग	302964.00
रूपया तीन लाख दो हजार नौ सौ चौसठ			

1. पंचायत अनुभाग के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.01.2016 के बिंदु 2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त आयोग में दिए गए निर्देशों के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए था परंतु उससे संबंधित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई।

2. कार्य प्रारंभ मध्य एवं समाप्ति की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।
3. सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0 वाला बिल नहीं प्रस्तुत किया गया।
4. कार्य से संबंधित एम0बी0 एवं स्टीमेट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
5. श्रमिकों को भुगतानित मजदूरों की मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल अप्राप्त रहा।
6. पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या-234-33-3-2016-2/2016 दिनांक 18.02.2016 चौदहवें वित्त की गाईडलाईन के बिंदु-2 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद बिंदु-1 के उपनियम-12 के अनुसार कार्य के स्थलीय निरीक्षण सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी पंचायत को अधिकृत किया गया है । लेखा परीक्षा में कार्य की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।
7. स्टॉक, संपत्ति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माणकार्य, निर्माण कार्य समिति की अनुशंसा रिपोर्ट, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र अप्राप्त रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8क, 8-ख, एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम -204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम -256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है। अतः उक्त धनराशि रु 302964.00 की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

33- ग्राम पंचायत जुड़ऊपुर विकासखण्ड मछलीशहर जनपद जौनपुर के वर्ष 2021

प्रस्तर-37 **ग्राम पंचायत जुड़ऊपुर विकासखण्ड मछलीशहर जनपद जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के मनरेगा मद में भूमि विकास कार्य पर कुल 84048.00 रू0 भुगतान/व्यय किया गया है । जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0	कार्य का नाम	दिनाँक	धनराशि

1- फेरुलाल रजक के चक से प्रेमचन्द के घर तक 3-12-21 से 18-12-21तक 84048.00 कुल चौरासी हजार अड़तालिस रूपया मात्र ।

एफ0 टी0 ओ0 में दर्शित भुगतानित उक्त धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं रहा।

1- कार्यवाही रजिस्टर
2- कार्य योजना
3- मस्टररोल
4- एम0 बी0 एवं स्टीमेट
5- त्रिस्तरीय फोटोग्राफ
6- कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र
7- निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
8- मजदूरों के मांग पत्र एवं स्वीकृति पत्र
9- परिसम्पत्ति रजिस्टर

उपर्युक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहने के कारण व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षक को समस्त व्यय बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें । लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई बाउचर/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव, टी0 ए0 एवं रोजगार सेवक से वसूली की जायेगी।

अतः उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आरती एवं ग्रा0 पं0/ विकास अधिकारी श्री प्रवेश तिवारी , टी0 ए0 अजय सिन्हा एवं रोजगार सेवक अमरीश सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

34- ग्राम पंचायत कौरहा विकासखण्ड मछलीशहर जनपद जौनपुर

प्रस्तर-38 **ग्राम पंचायत कौरहा विकासखण्ड मछलीशहर जनपद जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 के कोषवही के अनुसार उपरोक्त कार्य पर 198000.00 रू0 का भुगतान ए0 के0 इण्टरप्राइजेज को किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0	दिनाँक	सामाग्री	फर्म का नाम	धनराशि
1-	05-10-21	का नाम दर्शित नहीं है	ए0 के0 इण्टरप्राइजेज	198000.00 रू0 कुल एक लाख अठ्ठानबे हजार रूपये मात्र।

कोषवही में दर्शित उक्त भुगतानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं रहा।

1- कार्यवाही रजिस्टर
2- कार्य योजना
3- बिल बाउचर
4- स्टीमेट एवं एम0 बी0
5- टेण्डर पत्रावली
6- स्टाक रजिस्टर
7- मस्टररोल
8- त्रिस्तरीय फोटोग्राफ
9- कार्य एवं समाग्री का नाम दर्शित नहीं है।
10- शासनादेश संख्या आर0 जी0 एस0 ए0 / 197/219-4/379/2015 दिनाँक 2मई 2019 के बिन्दु(3) में कार्य स्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपर्युक्त अभिलेख लेखा परीक्षा के समक्ष अप्रस्तुत रहने के कारण व्यय धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षक को समस्त व्यय बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें । लेखा परीक्षा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड क के अनुसार यदि दर्शायी गये व्यय के सम्बंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से वसूली की जायेगी। अतः उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुषुमा देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पं0 अधिकारी श्री आलोक कुमार से संयुक्त रूप में तातारिक ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

35-ग्रामपंचायत जीरिकपुर विकासखण्ड मछलीशहर जनपद जौनपुर

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत जीरिकपुर विकासखण्ड मछलीशहर जनपद जौनपुर वर्ष 2021-22 के मनरेगा मद की लेखा परीक्षा मे मेढ़ बन्दी एवं समतलीकरण कार्यों पर कुल 55896.00 रू0 भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्न
प्रकार है।

क्र0	दिनाँक	मस्टरोल सं0	खेत के मालिक का नाम	धनराशि
1-	28-08-21	3566	कृपाशंकर s/o रामसागर	21012
2-	18-08-21	3298	अच्छेलाल s/o मथईलाल	18768
3-	07-09-21	3647	बरसाती s/o नैपाल	16116

योग- 55896 कुल पचपन हजार आठ सौ छानवे रूपये मात्र।

एफ0 टी0 ओ0 में दर्शित उक्त भुगतानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं रहा।

1- कार्यवाही रजिस्टर

2- कार्य योजना एवं कार्यपुर्ति प्रमाण पत्र

3- स्टीमेट एवं एम0 बी0

4- त्रिस्तरीय फोटोग्राफ

5- निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट

6- मजदूरो का माँग पत्र एवं स्वीकृत पत्र

7- परिसम्पत्ति रजिस्टर

8- खेत की नकल उपर्युक्त अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशिरू0 55896.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा मैनुअल के अध्याय 8 क खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षक को समस्त व्यय बाउचर एवं नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई बाउचर/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव, टी0 ए0 एवं रोजगार सेवक से वसूली की जायेगी।

अतःउक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री छोटेलाल यादव एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अरुण प्रजापति,टी0 ए0 श्री अजय सिन्हा एवं रोजगार सेवक श्री बसन्त लाल यादव से संयुक्त रूप में तातारिख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

36- ग्राम पंचायत कुधुआ , विकासखण्ड बदलापुर , वर्ष 2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-40 ग्राम पंचायत कुधुआ , विकासखण्ड बदलापुर , जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प रीबोर पर कुल रु0 32200=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम	बाउचर	धनराशि
1.	29-11-2021	स्वदीप इंटरप्राइजेज	--------	32200=00
योग				32200=00

धनराशि शब्दों में- (बत्तीश हजार दो सौ रु0)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 32200=00 के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
4. स्टीमेट एवं एम0बी0
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र
6. हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, रीबोर हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
7. स्टॉक रजि0
8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
9. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रीबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. हैण्डपम्प रीबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
3. हैण्डपम्प रीबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रीबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
4. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेजयल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत कुधुआ मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 32200=00 (रु० बत्तीश हजार दो

सौ) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीलालचंद से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

37- ग्राम पंचायत भूला , विकासखण्ड बदलापुर , **वर्ष 2021-22** जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायत भूला , विकासखण्ड बदलापुर , जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प रीबोर पर कुल रु0 64939=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम	बाउचर	धनराशि
1.	16-10-2021	अंश इंटरप्राइजेज	--------	32200=00
2.	16-10-2021	अंश इंटरप्राइजेज	---------	32739=00
				64939=00

धनराशि शब्दों में- (चौसठ हजार नौ सौ उन्तालिश रु0)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 64939=00 के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
4. स्टीमेट एवं एम0बी0
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र
6. हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, रीबोर हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
7. स्टॉक रजि0
8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
9. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रीबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. हैण्डपम्प रीबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

3. हैण्डपम्प रीबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रीबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
4. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेजयल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत **भूला** मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 **64939=00** (रु० चौसठ हजार नौ सौ उन्तालिश) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव **श्री बृजेश सिंह** एवं ग्राम प्रधान **श्रीमती रीता** से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

38- ग्राम पंचायत- उमरी कलां , विकासखण्ड-महाराजगंज , वर्ष 2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायत- उमरी कलां , विकासखण्ड-महाराजगंज , जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष **2021-22** में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु0 **58200=00** का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम/नाम	धनराशि
1.	22-03-2022	ऍम. वि. इंटर प्राइजेज	58200=00
		योग-	58200=00

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
4. स्टीमेट एवं एम0बी0
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र
6. हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
7. स्टॉक रजि0
8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
9. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
3. हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
4. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेजयल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत उमरी कलां , मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 58200=00 गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री करुणेश शर्मा से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत उमरी कलां , विकासखण्ड महाराजगंज , जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प रीबोर पर कुल रु0 192000=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम	बाउचर	धनराशि
1.	10-10-2021	बालाजी इंटर प्राइजेज	--------	63000=00
2.	22-12-2021	बालाजी इंटर प्राइजेज	---------	31500=0
3.	26-03-2022	बालाजी इंटर प्राइजेज	---------	97500=00
योग				192000=00

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
4. स्टीमेट एवं एम0बी0
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र
6. हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, रीबोर हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
7. स्टॉक रजि0
8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
9. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रीबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. हैण्डपम्प रीबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
3. हैण्डपम्प रीबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रीबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
4. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेजयल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया

जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत उमरीकलांमे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू 192000=00 गबन/अप हरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवश्री विनोदसिंह एवं ग्राम प्रधान श्री
करुणेशशर्मा से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

39- ग्राम पंचायत- केवटली , विकासखण्ड-महाराजगंज , वर्ष 2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-44 **ग्राम पंचायत- केवटली , विकासखण्ड-महाराजगंज , जनपद- जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु0 217196=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम/नाम	धनराशि
1.	27-10-2021	ऍम.वि. इंटर प्राइजेज	55440=00
2.	16-01-2022	ऍम.वि. इंटर प्राइजेज	96638=00
3.	21-01-2022	ऍम.वि. इंटर प्राइजेज	65118=00
		योग-	217196=00

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना

3. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
4. स्टीमेट एवं एम0बी0
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र
6. हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
7. स्टॉक रजि0
8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
9. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
3. हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
4. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेजयल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत केवटली , मे व्यय दर्शित धनराशि कुल रू0 217196=00 गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

40-ग्राम पंचायत-बिशुनपुर मझवारा, विकासखण्ड-सिरकोनी, वर्ष 2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-45 ग्राम पंचायत-बिशुनपुर मझवारा , विकासखण्ड-सिरकोनी, जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु0 96760=00का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम/नाम	धनराशि
1.	27-11-2021	यस इंटरप्राइजेज	39600=00
2.	02-12-2021	यस इंटरप्राइजेज	37630=00
3.	19-12-2021	यस इंटरप्राइजेज	19530=00
		योग-	96760=00

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
4. स्टीमेट एवं एम0बी0
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र
6. हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
7. स्टॉक रजि0
8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
9. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
3. हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
4. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेजयल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतःउक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत बिशुनपुरमझवारा , मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 96760=00 गबन / अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुणेश चतुर्वेदी एवं ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार यादव से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

41- ग्राम पंचायत-खलीलपुर , विकासखण्ड-सिरकोनी, वर्ष 2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-46 **ग्राम पंचायत-खलीलपुर , विकासखण्ड-सिरकोनी, जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु0 138382=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम/नाम	धनराशि
1.	30-07-2021	जय माँ वैष्णो हार्डवेयर	39600=00
2.	12-11-2021	जय माँ वैष्णो हार्डवेयर	39900=00
3.	16-02-2022	जय माँ वैष्णो हार्डवेयर	19882=00
4.	14-03-2022	जय माँ वैष्णो हार्डवेयर	39000=00
		योग-	138382=00

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
4. स्टीमेट एवं एम0बी0
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र
6. हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
7. स्टॉक रजि0
8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
9. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
3. हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
4. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेजयल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत खलीलपुर, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 138382=00 गबन/अप हरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव नीरजकुमारश्रीवास्तव एवं ग्राम प्रधान श्रीमनोजकुमार से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

42- ग्राम पंचायत-बंदीपुर , विकासखण्ड-सिरकोनी, वर्ष 2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-47 ग्राम पंचायत-बंदीपुर , विकासखण्ड-सिरकोनी, जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु0 116820=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम/नाम	धनराशि
1.	23-11-2021	यश इंटर प्राइजेज	39945=00

2.	02-12-2021	यश इंटर प्राइजेज	37640=00
3.	19-12-2021	यश इंटर प्राइजेज	19335=00
4.	17-02-2022	यश इंटर प्राइजेज	19900=00
		योग-	116820=00

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
4. स्टीमेट एवं एम0बी0
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र
6. हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
7. स्टॉक रजि0
8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
9. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
3. हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
4. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेजयल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो

दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत बंदीपुर, मे व्यय दर्शित धनराशि कुल रू0 116820=00 गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरुणेश चतुर्वेदी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा सिंह से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

43- ग्राम पंचायत-सिरकोनी, विकासखण्ड-सिरकोनी, वर्ष 2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत-सिरकोनी, विकासखण्ड-सिरकोनी, जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष **2021-22** में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु0 **79225=00** का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम/नाम	धनराशि
1.	18-11-2021	यश इ0प्रा0	39325=00
2.	29.03.22	सिद्धि इ0प्रा0	39900=00
		योग-	79225=00

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
4. स्टीमेट एवं एम0बी0
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र
6. हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
7. स्टॉक रजि0
8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
9. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

3. हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
4. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेजयल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत सिरकोनी, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 79225=00 गबन/ अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव अरुणेश चतुर्वेदी एवं ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

44- ग्राम पंचायत- भुईधरा विकासखण्ड सुजानगंज **वर्ष 2021-22** जनपद- जौनपुर

प्रस्तर-49 **ग्राम पंचायत भुईधरा विकासखण्ड सुजानगंज जनपद- जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रु 58670.00 (अट्ठावन हजार छः सौ सत्तर मात्र) का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्

(6) हैण्डमम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजि0

(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रिबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 51/2017/12-11/33-3-17-46/2015 दिनांक 19.06.2017 द्वारा जारी हैण्डपम्प रिबोर के गाइड लाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के संदर्भ में जल निगम प्रतीक्षा सूची मार्गदर्शिका तथा तकनीकी अनुश्रवण रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ) विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशि 58670.00 (अट्ठावन हजार छः सौ सत्तर मात्र) की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं ग्राम विकास /पंचायत सचिव श्री शैलेन्द्र पटेल से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

45-ग्राम पंचायत सूरापुर विकासखण्ड सुइथाकला जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-50 ग्राम पंचायत सूरापुर विकासखण्ड सुइथाकला जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु 96700.00 (छानबे हजार सात सौ) का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम/नाम	धनराशि
1	23.07.2021	इन्द्र इन्टर प्राइजेज	32500.00
2	08.12.2021	विजय इन्टर प्राइजेज	23300.00

3	08.12.2021	विजय इन्टर प्राइजेज	19400.00
4	12.01.2022	प्रिन्स हार्डवेयर	21500.00
		योग	96700.00

1. कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(6) हैण्डमम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली
10 लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च). पंचायती राज विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 5/2017/2011/33-03-2017-41/2015 दिनांक 19.06.2017 द्वारा जारी हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के संदर्भ में जल निगम प्रतीक्षा सूची मार्गदर्शिका तथा तकनीकी अनुश्रवण रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशि 96700.00 (छानबे हजार सात सौ) की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा एवं पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र नाथ से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

46-ग्राम पंचायत सुइथाकला विकासखण्ड सुइथाकला जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत सुइथाकला विकासखण्ड सुइथाकला जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रु0 64950.00 (रु0 चौसठ हजार नौ सौ पचास मात्र) भुगतान/व्यय कियो गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	**दिनांक**	**फर्म का नाम/नाम**	**धनराशि**
1	30.10.2021	जायसवाल मशीनरी स्टोर	32700
2	30.10.2021	मनोज मिश्र को	32250
		योग	64950

धनराशि शब्दों में- (रु0 चौसठ हजार नौ सौ पचास मात्र)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(6) हैण्डमम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(छ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशि 64950.00 **(रु0 चौसठ हजार नौ सौ पचास मात्र)**की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रतिमा एवं पंचायत सचिव श्री संदीप यादव एवं श्री अजय मिश्रा से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

47-ग्राम पंचायत दुमदुमा विकासखण्ड सुईथाकला जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-52 ग्राम पंचायत दुमदुमा विकासखण्ड सुईथाकला जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रु0 106900=0 के अनुसार भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	कैशबुक के अनुसार दिनांक	धनराशि
1.	03-01-2022	106900=0
		106900=0

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 106900=0 में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

1. उक्त ब्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. स्टॉक रजिस्टर
4. कोटेशन पत्रावली
5. स्टीमेट एवं एम0बी0
6. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र

7. उपभोग प्रमाण-पत्र
8. निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
9. सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर
10. त्रिस्तरीय फोटग्राफ

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है।
2. ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।
3. ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।
4. ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।
6. ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत दुमदुमा मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 106900=0 गबन/अप हरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री हरेन्द्रयादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमतीपुनीता से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

48- ग्राम पंचायत- हुसेनाबाद, विकासखण्ड-सुईथाकला, वर्ष 2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-53 ग्राम पंचायत- हुसेनाबाद, विकासखण्ड-सुईथाकला , जनपद- जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु0 25900=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम/नाम	धनराशि

1.	20-12-2021		25900=00
		योग-	25900=00

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
4. स्टीमेट एवं एम0बी0
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र
6. हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
7. स्टॉक रजि0
8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
9. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
3. हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
4. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेजयल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत हुसेनाबाद , मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 25900=00 गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दिपक यादव एवं ग्राम प्रधान मनोज कुमार यादव से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

49- ग्राम पंचायत- मरहट , विकासखण्ड-खुटहन , जनपद- जौनपुर

प्रस्तर-54 **ग्राम पंचायत- मरहट , विकासखण्ड-खुटहन , जनपद- जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु0 24515=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम/नाम	धनराशि
1.	11-11-2021	लक्ष्मी हार्डवेयर	24515=00
		योग-	24515=00

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
4. स्टीमेट एवं एम0बी0
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र
6. हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
7. स्टॉक रजि0
8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
9. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
3. हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
4. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेजयल योजनाएं

कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत मरहट , मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 24515=00 गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विधाधर शुक्ला एवं ग्राम प्रधान सुमन से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

50-ग्राम पंचायत- बीरी सम्शुद्दीनपुर , विकासखण्ड-खुटहन , वर्ष 2021-22 जनपद- जौनपुर

प्रस्तर-55 ग्राम पंचायत- बीरी सम्शुद्दीनपुर , विकासखण्ड-खुटहन , जनपद- जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु0 26555=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम/नाम	धनराशि
1.	25-08-2021		13500=00
2.	21-10-2021		13055=00
		योग-	26555=00

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
4. स्टीमेट एवं एम0बी0

5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र
6. हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
7. स्टॉक रजि0
8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
9. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
3. हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
4. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेजयल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत बीरी सम्शुद्दीनपुर , मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 26555=00 गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विधाधर शुक्ला एवं ग्राम प्रधान लाल बहादुर से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

51- ग्राम पंचायत- पसियाही खुर्द विकासखण्ड-रामनगर जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-56 **ग्राम पंचायत- पसियाही खुर्द विकासखण्ड-रामनगर जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प रीबोर पर कुल रु (70200.00) का भुगताना/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	आनलाईन के अनुसार फर्म का नाम	धनराशि
1	24.09.21	ए0एस0इ0प्रा0	35100.00
2	14.10.21	ए0एस0इ0प्रा0	35100.00
		योग-	70200.00

(सत्तर हजार दो सौ रूपया)

कोषबहीं में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतान्ति धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा -

(1) कार्यवाही रजिस्टर(2) कार्ययोजना(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट(4) स्टीमेट एवं एम0बी0 (5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र (6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, रीबोर हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट(7) स्टाक रजि0(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

रीबोर कार्य के सापेक्ष जल निगम की प्रतीक्षा सूची अथवा ग्रा0पं0 स्तर पर सर्वेक्षण के अधार पर खराब हैण्ड पम्पों के कार्ययोजना में सम्मिलित किये जाने की सूची अप्राप्त।

- कोष बही के अनुसार एक ही कार्य पर दो बार भुगतान किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि एक भुगतान तो पूर्णतया फर्जी है जबकि दूसरे भुगतान की पुष्टि अभिलेखो के अभाव में नही किया जा सका।

- डेड स्टाक रजि0 अप्रस्तुत रहा जिससे रीबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टाक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

- हैण्डपम्प रीबोर पश्चात् अलग-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रीबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010 दिनांक- 29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्क 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया

जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत पसियाही खुर्द, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 70200.00 (रु० सत्तर हजार दो सौ मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री राजीव से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-57 ग्राम पंचायत पसियाही खुर्द विकासखण्ड रामनगर जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रु0 141840.00 (एक लाख इक्तालिस हजार आठ सौ चालीस रु0) भुगतान/व्यय कियो गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम/नाम	धनराशि
1	17.01.22	ए0एस0इ0प्रा0	47280.00
2	17.01.22	ए0एस0इ0प्रा0	47280.00
3	17.01.22	ए0एस0इ0प्रा0	47280.00
		योग-	**141840.00**

धनराशि शब्दों में- (एक लाख इक्तालिस हजार आठ सौ चालीस रु0)

केषबही में दर्षित उक्त भुगतानित राशि 141840.00 में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) स्टाक रजिस्टर
(4) कोटेशन पत्रावली/टेण्डर पत्रावली
(5) स्टीमेट एवं एम0बी0
(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र
(7) उपभोग प्रमाण-पत्र
(8) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(9) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर
(10) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है।

(घ) ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ड) ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।

(च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।
(ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।
(झ) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामाग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि ह्यूम पाइप क्रय एवं लगवाने हेतु किया गया उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा0प0 के वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। जिसके लिए तत्कालीन ग्रामप्रधान श्री राजीव एवं आशीष कुमार पंचायत सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

अतः उक्त धनराशि 141840.00रु0 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजीव एवं एवं आशीष कुमार पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

52- ग्राम पंचायत-वासापुर, विकासखण्ड-रामनगर, **वर्ष 2021-22** जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत-वासापुर, विकासखण्ड-रामनगर, जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान सोलर लाइट क्रय पर कुल रु० 214000.00 भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	कोष बही के अनुसार दिनांक	ऑन लाईन के अनुसार फर्म का नाम/दिनांक	**केश रिकार्ड/डब्लू.एल.डी.**	**धनराशि**
1.	01.07.2021	आस्था इ०प्रा० /01.02.22	41968558	214000.00
			योग-	214000.00

धनराशि राशि में- (दो लाख चौदह हजार रु० मात्र)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 214000.00 के सापेक्ष निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियों पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे। जिससे उक्त क्रय की पुष्टि नहीं होती है
(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-
(1) कार्यावाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) स्टॉक रजिस्टर
(4) टेंडर/कोटेशन पत्रावली
(5) स्टीमेट एवं एम0बी0
(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र
(7) निर्माण समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(8) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर
(9) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग)- शासनादेश सं0-33/2017/979/45-वि/2017 दि0-29 अगस्त 2017, तथा निदेशक यू0पी0 नेड़ा के पत्र सं0-3599/यूपीनेड़ा/एस0एस0एल0 (डब्ल्यू0एलई0डी0)/2018 के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्रों के क्रय, **अधिष्ठापन तथा मानक व गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए एक मात्र अधिकृत नोडल एजेंसी यू0पी0 नेड़ा** द्वारा निविदा के माध्यम से आपूर्ति, स्थापना एवं पाँच वर्ष की काम्प्रीहेन्सीव वारन्टी के साथ प्रति संयंत्र नेड़ा की निर्धारित दर से क्रय किये जाय परन्तु ग्रा0पं0 द्वारा सोलर लाईट क्रय में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया।

(घ)-सौर संयंत्रो के अधिष्ठापित स्थलों की सूची अप्राप्त।

(ड़)- उक्त धनराशि से कितने नग सोलर सयंत्र क्रय किये गये तथा उसके स्टाक रजि0 में दर्ज कराये जाने की पुष्टि नही कराया गया।

(च)- पूर्व में स्थापित सौर संयंत्रों के पुनः स्थापित की दशा में डेड स्टाक रजि0 ले0प0 में अप्राप्त।

(छ)-काम्प्रीहेन्सिव वारंटी, एवं तकनीकि अवयवों की सूची ले0प0 में अप्राप्त।

(ज)-शासन देश सं0-आर.जी.एस.ए./197/2019-41379/2015 दि0-2 मई 2019 के बिन्दु 3 में कार्य स्थाल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना जाता है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत **वासापुर,** मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 214000.00 (दो लाख चौदह हजार रु० मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अश्वनी पटेल एवं ग्राम प्रधान श्री ललित कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-59 लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान मास्क एवं सेनेटाइजर क्रय पर कुल रु० 76800.00 भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	कोष बही के अनुसार दिनांक	ऑन लाईन के अनुसार फर्म का नाम/दिनांक	**केश रिकार्ड/डब्लू.एल.डी.**	**धनराशि**

1.	27.07.2021	ए0एस0 इन्टरप्राइजेज	पी0/4	50000.00
2	09-09-2021	ए0एस0 इन्टरप्राइजेज	पी0/6	26800.00
			योग-	76800.00

धनराशि राशि में- (छिहत्तर हजार आठ सौ मात्र)

(2)- व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई बिल-वाउचर्स एवं व्यय पत्रावली प्रस्तुत नही किया गया, जिससे उक्त क्रय की पुष्टि नही होती है।

1. बिल-वाउचर्स ले0प0 में प्रस्तुत न किये जाने से यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि कोविड़ मैटेरियल के अन्तर्गत किस प्रकार की मेड़िकल सामग्री मगाई गई, क्या नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी/विभागी अधिकारी/आदेश द्वारा सामग्री क्रय हेतु कोई अनुमोदन प्राप्त रहा कि पुष्टि नही कराई गई।
2. उक्त क्रय से सम्बन्धित स्टाक रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. उक्त सामग्री के स्टाक वितरण रजिस्टर एवं वितरण की फोटोग्राफ ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत **वासापुर,** मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 76800.00 (छिहत्तर हजार आठ सौ मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अश्वनी पटेल एवं ग्राम प्रधान श्री ललित कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

53- ग्राम पंचायत कनॉवाँ, विकासखण्ड रामनगरजनपद-जौनपुर

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायत कनॉवाँ, विकासखण्ड रामनगर, जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 मेंम

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम	बाउचर	धनराशि
1.	27.07.21	आस्था इ0प्रा0/ 26.07.21	42181121/पी-5	29000.00
2.	01.09.21	आस्था इ0प्रा0/ 28.08.21	42181121/ पी.-1	42250.00
3.	13.10.21	आस्था इ0प्रा0/ 08.10.21	39695916/ पी.-4	32250.00
4.	20.11.21	आर्शी इ0प्रा0/ 18.11.21	39695916 पी.-6	32400.00
			योग-	135900.00

कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प रीबोर पर कुल रु0 135900.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

धनराशि शब्दों में- (एक लाख पैतीस हजार नौ सौ रु0)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
4. स्टीमेट एवं एम0बी0
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
6. हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, रीबोर हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
7. स्टॉक रजि0
8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
9. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रीबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. हैण्डपम्प रीबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
3. हैण्डपम्प रीबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रीबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
4. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेजयल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत **कनॉवा** मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 **135900.00** (रु० एक लाख पैतीस हजार नौ मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज गौतम एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

54- ग्राम पंचायत दमोदरा, विकासखण्ड-रामनगर, **वर्ष 2021-22** जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-61 ग्राम पंचायत दमोदरा,विकासखण्ड-रामनगर, जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प रीबोर पर कुल रु0 449240.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम/नाम	केश रिकार्ड/वी.एन.	धनराशि	मद/वित्त आयोग
1.	25.04.21	ईश्वर पेन्ट एवं हार्डवेयर	142602959/P-5	96200.00	5 वाँ रा0वि0
2.	25.04.21		/ P-6	96380.00	5 वाँ रा0वि0
3.	08.7.21	ईश्वर पेन्ट एवं हार्डवेयर	52667289	96250.00	14 वाँ वि0आ0
4.	08.07.21	ए0एस0 इ0प्रा0	52667289	96260.00	4TH वाँ रा0वि0
5	08.07.21	ईश्वर पेन्ट एवं हार्डवेयर	52667289	64150.00	4THरा0वि0
			योग	449240.00	

धनराशि शब्दों में- (चार लाख उनचास हजार दो सौ चालीस रु0)

ग्राम पंचायत-दमोदरा की हस्त-लिखित कैशबुक लिखित एवं मौखिक रुप से बारम्बारआग्रह के बाद भी पंचायत सचिव द्वारा नहीं दिया गयाअतः ई-ग्रामस्वराज पर फीड़ ई-कैशबुकसे ले0प0 किया गया है।

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
4. स्टीमेट एवं एम0बी0
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र
6. हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, रीबोर हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
7. स्टॉक रजि0
8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
9. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रीबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. हैण्डपम्प रीबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
3. हैण्डपम्प रीबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रीबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
4. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेजयल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत दमोदरा, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 449240.00 (रु० चार लाख उन्नचास हजार दो सौ चालीस मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है।

जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज गौतम एवं ग्राम प्रधान श्री अजीत से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-62 **ग्राम पंचायत-दमोदरा, विकासखण्ड-रामनगर जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रू0 98200.00 भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	कैशबुक के अनुसार दिनांक	ऑनलाईन के अनुसार फर्म का नाम/दिनांक	केश रिकार्ड/(डब्लू.एल.डी.)	धनराशि
1	17.09.2021	आस्था इ0प्रा0 (14वॉ वि0आ0)	42604332/P-2	98200.00
			योग-	**98200.00**

धनराशि शब्दों में- (अठ्ठानबे हजार दो सौरू0)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 98200.00 में निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) स्टॉक रजिस्टर

(4) टेंडर/कोटेशन पत्रावली

(5) स्टीमेट एवं एम0बी0

(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र

(7)निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(8) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर

(9) त्रिस्तरीय फोटोग्राफ

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है।

(घ) ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ड) पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।

(च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अलग-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।

(छ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

(ज) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामाग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत दमोदरा, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 98200.00(रु० अट्ठानवे हजार दो सौ मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज गौतम एवं ग्राम प्रधान श्री अजीत से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

55- ग्राम पंचायत **जयरामपुर** विकासखण्ड-**रामनगर वर्ष 2021-22** जनपद-**जौनपुर**

प्रस्तर-63 ग्राम पंचायत-जयरामपुर विकासखण्ड-रामनगर जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रु0 157600.00 भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	दिनांक	फर्म का नाम/दिनांक	केश रिकार्ड/वी.एन.	धनराशि
1	08.07.21	आस्था इ0प्रा0/07.07.21	39613075/P-1	157600.00
			योग-	157600.00

धनराशि शब्दों में- (एक लाख सन्तावन हजार छः सौ रु0)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 157600.00 में निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियॉ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यावाही रजिस्टर (2) कार्ययोजना (3) स्टॉक रजिस्टर

(4) टेंडर/कोटेशन पत्रावली (5) स्टीमेट एवं एम0बी0 (6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र

(7) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(8) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर (9) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है

(घ) ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ङ) ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहींकिया गया।

(च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले०प० में अप्रस्तुत रहा।

(ज) शासनादेश संख्या-आर०जी०एस०ए०/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु- (3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

(झ) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामाग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत **जयरामपुर,** मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 157600.00 (एक लाख सत्तावन हजार छः सौ रु० मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज गौतम एवं ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-64 -ग्राम पंचायत जयरामपुर विकासखण्ड-रामनगर जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरानस्ट्रीटलाईट क्रय पर कुल रु0-148500.00 भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	दिनांक	फर्म का नाम/दिनांक	केश रिकार्ड/वी.एन.	धनराशि
1	01-09-21	आस्था इ0प्रा0/30-08-21	39613075/P-4	99000.00
2	13-08-21	आस्था इ0प्रा0/31-08-21	39613075/P-6	49500.00
			योग-	**148500.00**

धनराशि शब्दों में- (एक लाख अड़तालिस हजार पॉच सौ रु0)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 148500.00 में निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यावाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) स्टॉक रजिस्टर

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र

(6) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(7) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर (8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) शासनादेश सं.-51/2018/1701/33-3-2018-2018-40 दि0-13.06.2018 के अनुसार ग्रामीण निकायों में एल0ई0डी0 स्टीट लाईट की स्थापना हेतु निम्नलिखित-

प्रमाणक यथा-

i. ग्राम पंचायत वार स्थलीय सर्वे एवं निर्धारित संख्या का प्रस्ताव
ii. जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा एल0ई0डी0 लाईटों के क्रय हेतु प्रचलित वित्तीय नियमों, जिसमें वाट एवं दरो का निर्धारण किया गया हो।
iii. भारतीय मानक ब्यूरो (बी0आई0एस0) के अनुसार क्रय किये जाने का प्रमाण।
iv. स्ट्रीटलाईट हेतु विद्युतसंयोजन लिए जाने का प्रमाण, जिसके अनुसार विद्युत बिल भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(घ) उक्त धनराशि से कितने नग क्रय एवं किन-किन स्थलों पर स्थापित किया गया की पुष्टि ले0प0 में नही कराया गया।

(ड) उक्त क्रय हेतु टेण्डर प्रत्रावली प्रस्तुत नही किया गया जिससे स्पष्ट नहीं किया जा सका कि आस्था इ0प्रा0 की निविदा स्वीकृति की गई है।

(च) शासनादेश सं0-आ0जी0एस0ए0/197/2019-4-379/2015 दि0-2 मई 2019 के बिन्दु (3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत **जयरामपुर,** मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 148500.00 (एक लाख अडतलिस हजार पाँच सौ रु० मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली

अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज गौतम एवं ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

56- ग्राम पंचायत- **हुसैनपुर**, विकासखण्ड-**रामनगर**, **वर्ष 2021-22** जनपद-**जौनपुर**

प्रस्तर-65 **ग्राम पंचायत- हुसैनपुर**, **विकासखण्ड-रामनगर**, **जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प रीबोर परकुल रु० 105000.00 भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	दिनांक के अनुसार कोष बही	ऑनलाईन के अनुसार फर्म का नाम/दिनांक	केश रिकार्ड/डब्लू0एल0डी0)	धनराशि
1.	17.07.21	महावीर पेन्ट एवं हार्डवेयर स्टोर/16.07.21	42509062	105000.00
			योग-	**105000.00**

धनराशि शब्दों मेंः- (एक लाख पाँच हजार रु०)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले०प० आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम०बी०

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, रिबोर हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजि०

(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि० ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रीबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रीबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रीबोर पश्चात् अलग-अलग निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रीबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56 सम्/2010 दिनांक- 29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प ओर एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।
(छ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 के बिन्दु (3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत हुसैनपुर, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 105000.00 (एक लाख पाँच हजार रु० मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती विष्णु प्रिया सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-66 ग्राम पंचायत हुसैनपुर विकासखण्ड रामनगर जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान हयूम पाइप क्रय पर कुल रु0 180750.00 भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	**कोष बही के अनुसार दिनांक**	**ऑनलाईन के अनुसार फर्म का नाम/दिनांक**	**केश रिकार्ड/डब्लू0एल0डी0)**	**धनराशि**
1.	22.07.21	आस्था इ0प्रा0/15.07.21	42509062	90375.00
2.	26.07.21	आस्था इ0प्रा0/20.07.21	42509062	90375.00
			योग-	180750.00

धनराशि शब्दों में- (एक लाख अस्सी हजार सात सौ पचास रू)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 180750.00 में निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियॉ पाई गई हैं-
(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।
(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-
(1) कार्यावाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना
(3) स्टॉक रजिस्टर
(4) कोटेशन पत्रावली
(5) स्टीमेट एवं एम0बी0
(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र
(7) उपभोग प्रमाण-पत्र
(8) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(9) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर (10) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
(ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है
(घ) ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नही है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।
(ङ) ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नही किया गया।
(च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अलग-अलग निवासरत ग्रामीणों/किसानों ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले०प० में अप्रस्तुत रहा।
(ज) शासनादेश संख्या-आर०जी०एस०ए०/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थलविहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।
(झ) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामाग्री का प्रयोग न होने से कार्यहोने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत हुसैनपुर, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 180750.00 (एक लाख अस्सी हजार सात सौ पचास रु० मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती विष्णु प्रिया सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

57- ग्राम-पंचायत हरसिंगपुर विकासखण्ड-रामनगर जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-67 **ग्राम पंचायत-हरसिंगपुर, विकासखण्ड-रामनगर, जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रु० 238100.00 भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	कोष बही के अनुसार दिनांक	ऑन लाईन के अनुसार फर्म का नाम/दिनांक	केश रिकार्ड/डब्लू0एल0डी0	धनराशि
1.	18.08.22	आदित्य इ०प्रा० /13.08.21	42606470	140100.00
2.	03.02.22	आस्था इ०प्रा० /01.02.22	42606470	98000.00
			योग-	**238100.00**

धनराशि राशि में- (दो लाख अडतीस हजार एक सौ रु०)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 238100.00 में निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियों पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यावाही रजिस्टर (2) कार्ययोजना (3) स्टॉक रजिस्टर

(4) टेंडर/कोटेशन पत्रावली (5) स्टीमेट एवं एम0बी0 (6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र

(7) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ (8) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(9) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है

1. एक ही वर्क आई०डी० पर दोनो भुगतान किया गया है पूर्णांक अलग-अलग आई०डी० पर भुगतान किया जाना चाहिए था।
2. ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नही है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।
3. ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नही किया गया।
4. ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अलग-अलग निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले०प० में अप्रस्तुत रहा।
5. शासनादेश संख्या-आर०जी०एस०ए०/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

6. हयूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामाग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत **हरसिंगपुर** मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 **238100.00** (रु० दो लाख अड़तीस हजार एक सौ मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती विष्णु प्रिया सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तारा से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-68ग्राम पंचायत-हरसिंगपुर, विकासखण्ड- रामनगर, जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प रीबोर पर कुल रु 120000.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है

क्र० सं०	कोष बही के अनुसार दिनांक	ऑन लाईन के अनुसार फर्म का नाम/दिनांक	**केश रिकार्ड/वी0एन0**	**धनराशि**
1.	16.10.21	त्रिदेव ईट उद्योग/13.10.21	51194893	50000.00(25000-25000)
2.	16.10.21	आदित्य इ०प्र०/13.10.21	51194893	70000.00 (35000-35000)
			योग-	**120000.00**

धनराशि शब्दों में- (एक लाख बीस हजार रु०)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले०प० आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम०बी०

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र

(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, रीबोर हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि०
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली
लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
(ग) एक ही वर्क आई०डी० () पर दोनो भुगतान किया गया है जबकि अलग-अलग पर भुगतान किया जाना चाहिए था।
(घ) तालिका में क्रम सं०-1 का भुगतान त्रिदेव ईट उद्योग को किया गया है जिससे स्पष्ट है कि रीबोर हेतु किया गया भुगतान पूर्णतया फर्जी है।
(ङ)डेड स्टॉक रजि० ले०प० में अप्रस्तुत रहा जिससे रीबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
(च)हैण्डपम्प रीबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
(छ)हैण्डपम्प रीबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रीबोर होने का प्रमाणक ले०प० में अप्राप्त रहां।
(ज)ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010 दिनांक- 29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।
(झ)शासनादेश संख्या-आर०जी०एस०ए०/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत **हरसिंगपुर** मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 **120000.00** (रु० एक लाख बीस हजार मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती विष्णु प्रिया सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तारा से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-69 **ग्राम-पंचायत हरसिंगपुर विकासखण्ड-रामनगर जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु० (26650.00) का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	दिनांक के अनुसार कोष बही	ऑन लाईन के अनुसार फर्म का नाम/दिनांक	केश रिकार्ड/वी0एन0	धनराशि
1.	04.02.22	यादव ऑफसेट प्रिंटर्स/31.01.22	51194893	26550.00
			योग-	26550.00

धनराशि शब्दों में- (छब्बीस हजार पाँच सौ पचास रु०)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले०प० आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर (2) कार्ययोजना (3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम०बी० (5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र

(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, रीबोर हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजि० (8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ (9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) ऑनलाईन भुगतान के अनुसार हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान यादव ऑफसेट प्रिंटर्स को किया गया है जिससे स्पष्ट है कि मरम्मत हेतु भुगतान पूर्णतया फर्जी है।

(घ) डेड स्टॉक रजि० ले०प० में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि की जा सकी।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(च) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाण ले०प० में अप्राप्त रहा।

(छ) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010 दिनांक- 29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प ओर एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ज) शासनादेश संख्या-आर०जी०एस०ए०/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत **हरसिंगपुर** मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 **26550.00** (रु०छब्बीस हजार पाँच सौ पचास मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती विष्णु प्रिया सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तारा से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

58- ग्राम पंचायत भटवार विकास खण्ड राम नगर जनपद.जौनपुर

प्रस्तर-70 **ग्राम पंचायत भटवार विकास खण्ड राम नगर जनपद.जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान हयूम पाईप क्रय पर कुल रू0 153750.00भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	कैश बैक दिनांक	आनलाईन के अनुसार फर्म का नाम	चेक रिमाइंड	धनराशि
1	04.02.2022	साईं कृपा इ0प्रा0/31.01.2022	43617100	153750.00
			योग	**153750.00**

धनराशि शब्दों में (एक लाख तिरपन हजार सात सौ पचास रू0)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 153750.00में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई है.

- उक्त व्यय के सापेक्ष बिलउचर अप्रस्तुत रहे।
- उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही 2. कार्ययोजना 3. स्टॉक रजिस्टर 4. टेंडर/कोटेशन पत्रावली 5. स्टीमेट एवं एम0बी0

6. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र 7. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ 8-निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट

9. सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

- हयूम पाईप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नही किया गया है।
- हयूम पाईप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की संभावना संदिग्ध प्रतीत होती है।
- हयूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नही किया गया।
- हयूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल.बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानोंसे हयूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 मेंअप्रस्तुत रहा।
- शासनादेश संख्याआर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/20 दिनांक 2 मई 2019 के बिन्दु—(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

- ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईंट ,गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामाग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत भटवार, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 153750.00)रु० एक लाख तिरपन हजार सात सौ पचास मात्र (गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती विष्णु प्रिया सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती महराजी से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

59- ग्राम पंचायत गोपालपुर विकासखण्ड रामनगर **वर्ष 2021-22** जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-71 ग्राम पंचायत गोपालपुर विकासखण्ड रामनगर जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 मेंई-कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रु0 144800.00(ई कैशबुक) के अनुसार भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	ई0 कैशबुक के अनुसार दिनांक	ऑनलाइन के अनुसारफर्म का नाम	चेक सं0 (बाउचर सं) केश रिकार्ड/वी0एन0	धनराशि
1.	19-05-21	सीमेंट पाईप वर्क/ 19-05-21	41231064/ P-1	69480.00
2.	11-08-21	सीमेंट पाईप वर्क/ 11-08-21	41231064/ P-6	27020.00
3.	10-11-21	अयांश इ0प्रा0/ 10-11-21	51707506 P-26	48300.00
			योग-	144800.00

धनराशि शब्दों में- (एक लाख चौवालिस हजार आठ सौ रु0)

1-ग्रा0पं0- गोपालपुर की हस्तलिखित कोष-बही, लिखित एवं मौखिक रुप से बारम्बार आग्रह के बाद भी पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। ई- कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 144800.00 में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

1. उक्त ब्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. स्टॉक रजिस्टर
4. कोटेशन पत्रावली
5. स्टीमेट एवं एम0बी0
6. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र
7. उपभोग प्रमाण-पत्र
8. निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
9. सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन ई-कोषबही में नहीं किया गया है।
2. ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान ई-कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।
3. ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी ई0-कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।
4. ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।
6. ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत गोपालापुर मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 **144800.00** (रु० एक लाख चौवालीस हजार आठ सौ मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण चन्द्र यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती माया मौर्या से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-72 **ग्राम पंचायत गोपालपुर विकासखण्ड रामनगर जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान सोलर लाईट मरम्मत कार्य पर कुल रु0 179400.00

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम/नाम	चेक सं0 (बाउचर सं) केश रिकार्ड/वी0एन0	धनराशि
1.	06-08-21	डी0पी0एस0 इण्टरप्राइजेज	52924341/ पी-2	85500.00
2.	06-08-21	डी0पी0एस0 इण्टरप्राइजेज	52924341/ पी-3	85500.00
3.	06-08-21	डी0पी0एस0 इण्टरप्राइजेज	52924341 पी-4	8400.00
			योग-	179400.00

धनराशि शब्दों में- (एक लाख उन्यासी हजार चार सौ रु0)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 179400.00 में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई है-

1. उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर 2. कार्ययोजना 3.स्टॉक रजिस्टर 4. टेंडर/कोटेशन पत्रावली/टेण्डर पत्रावली

5. स्टीमेट एवं एम0बी0 6.कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र 7. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ 8. निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट 9. सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर .
   लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. ई-कोष-बही के अनुसार सोलर मरम्मत कार्य परएक ही दिनांक में अलग-अलग डोंगल के माध्यम से

कुल- 179400.00रु0 का भुगतान किया गया, जब एक ही फर्म को भुगतान किया जाना था तो अलग-अलग डोंगल से भुगतान क्यों किया गया, जिसकी पुष्टि नहीं कराया गया।

1. टेण्डर पत्रावली ले0प0 में अप्राप्त रहा, जिससे यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि उक्त कार्य का टेण्डर डी0पी0एस0 इ0प्रा0 को ही दिया गया था तथा इसकी पुष्टि भी नहीं कराया गया कि डी0पी0एस0 इ0प्रा0 सोलर मरम्मत में पारंगत एजेंसी है।
2. उक्त धनराशि से कितने नग तथा किन-किन स्थलों पर मरम्मत कार्य किया गया, की पुष्टि नहीं कराया गया।
3. मरम्मत कार्य की त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ ले0प0 में अप्राप्त रहा।
4. पूर्व में स्थापित सोलर लाईट से सम्बन्धित स्टॉफ रजि0 एवं परिसम्पत्ति रजि0 लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
5. पूर्व में स्थापित सोलर लाईट, जिनका मरम्मत किया गया, ग्राम पंचायत में कब स्थापित किया गया था तथा क्रय से सम्बन्धित काम्प्रीहेन्सीव वारंटी, एवं फर्म/एजेंसी की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं कराया गया, जबकि शासनादेश सं0- 33/2017/977/45-वि/2017 दि0-29 अगस्त 2017 तथा यू0पी0

नेड़ा के पत्र सं0-3599/यू0पी0नेड़ा/एस0एस0एल (डब्ल्यू एल0ई0डी/2018 के अनुसार सोलर लाईट क्रय, एक मात्र अधिकृत नोडल एजेंसी यू0पी नेड़ा से पाँच वर्ष की काम्पीहेन्सीव वारंटी के साथ क्रय किया जाना अपेक्षित था।

6. सौर संयंत्रों के किन तकनीकि अवयवों की मरम्मत किया गया, तथा उससे प्राप्त निष्प्रयोज्य सामग्रियों का डेड-स्टाक रजि0 ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया।
7. सौर संयत्र के खराबी का शिकायती-पत्र एवं मरम्मत के पश्चात् आस-पास निवासरत ग्रामीणों द्वारा संतुष्टि-पत्र ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखा मैनुअल के अध्याय8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत गोपालापुर मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 **179400-00**(रु० एक लाख उन्नयासी हजार चार सौ मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री कृष्ण चन्द्र यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती माया मौर्या से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

60-ग्राम पंचायत छांगापुर-। विकास खण्ड राम नगर वर्ष 2021-22 जनपद.जौनपुर

प्रस्तर-73 **ग्राम पंचायत छांगापुर-। विकास खण्ड राम नगर जनपद.जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-2022 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यों पर कुल रू0-616198.00 भुगतान/व्यय किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	कोषबही के अनुसार कार्य का नाम	आनलाईन के अनुसार फर्म का नाम/भुगतान तिथि	केस रिकार्ड /वा0स0	धनराशि	मद/वित्त आयोग
1	राम नगर रोड से प्रहलाद के घर तक मि0/ख0 कार्य	राजेशईट उद्योग/16.08.2021	51189095/पी-3	115000.00	15वां वि0आ0
2	श्री कान्त गिरि के घर से लल्लू के घर तक ख0 नि0	राजेशईट उद्योग/29.09.2021	42573225/पी-13	157198.00	15वां वि0आ0
3	प्रा0वि0 छांगापुर-। में क्लास रूम पेंटिंग का कार्य	रवि इलेक्ट्रिक/22.01.2022	51189095/पी-15	114000.00	15वां वि0आ0
4	मैदान से सुरेन्द्र के खेत तक मि0/ख0 नि0	राजेशईट उद्योग/25.07.2021	42591859/पी-1	230000.00	चतुर्थ रा0वि0
			योग	**616198.00**	

धनराशि शब्दों में (छः लाख सोलह हजार एक सौ अठ्ठानबे रू0)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 616198.00 में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई है.

- उक्त व्यय के सापेक्ष बिलबाउचर अप्रस्तुत रहे।
- उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही 2. कार्ययोजना3. स्टॉक रजिस्टर 4.टैंडर/ कोटेशन पत्रावली 5. स्टीमेट एवं एम0बी0

6. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र 7. 8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ 9-निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट

9. सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

- उपरोक्त समस्त कार्यों की व्यय पत्रावली ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- उपरोक्त सभी कार्यों पर एक लाख से अधिक का भुगतान किया गया है अतः निविदा के माध्यम से टेण्डर प्रक्रिया की पत्रावली ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।
- उपरोक्त कार्यों पर श्रमांश भुगतान नहीं किया गया है जिससे कार्य के कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत छांगापुर-।, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 616198.00 (रु० छः लाख सोलह हजार एक सौ अट्ठानवे मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री कमलेश कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है

61- ग्राम पंचायत-छांगापुर-II, विकासखण्ड-रामनगर, वर्ष 2021-22

जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-74 **ग्राम पंचायत-छांगापुर-II, विकासखण्ड-रामनगर, जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु0 216560.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम/नाम	केस रिकार्ड /वी.एन.	धनराशि	मद/वित्त आयोग
1.	03.09.21	ए0एस0 इ0प्रा0	43933925/पी-3	108280.00	14 वाँ वि0आ0
2.	03.09.21	ए0एस0 इ0प्रा0	43933925/पी-4	108280.00	14 वाँ वि0आ0
			योग-	**216560.00**	

धनराशि शब्दों में- (दो लाख सोलह हजार पॉच सौ साठ रु0)

ग्राम पंचायत-छांगापुर-II की हस्त-लिखित कैशबुक लिखित एवं मौखिक रुप से बारम्बार आग्रह के बाद भी पंचायत सचिव द्वारा नहीं दिया गया अतः ई-ग्रामस्वराज पर फीड़ ई-कैशबुक से ले0प0 किया गया है।

ई-कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 216560.00 के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
4. स्टीमेट एवं एम0बी0
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
6. हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
7. स्टॉक रजि0
8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
9. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

2. हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
3. हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
4. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेजयल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत चढ़ई ढ़ेकहां, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 216560.00 (दो लाख सोलह हजार पाँच सौ साठ मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज कुमार गौतम एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सरसों से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-75 **ग्राम पंचायत-छांगापुर-II, विकासखण्ड-रामनगर, जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रू0 343780.00भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	कैशबुक के अनुसार दिनांक	ऑनलाईन के अनुसार फर्म का नाम/दिनांक	केश रिकार्ड(डब्लू0एल0डी0)	धनराशि
1	03.09.21	आदित्य कन्सटक्सन एण्ड सप्लायर	42933926/पी-7	178300.00
2	06.09.21	आस्था इ0प्रा0	42934128/पी-8	165480.00
			योग-	**343780.00**

धनराशि शब्दों में- (तीन लाख तिरालिस हजार सात सौ अस्सी रू0)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 343780.00 में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) स्टॉक रजिस्टर

(4) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

(5) स्टीमेट एवं एम0बी0

(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र

(7) उपभोग प्रमाण-पत्र

(8) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(9) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर

(10) त्रिस्तरीय फोटोग्राफ

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है।

(घ) ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ड) पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।

(च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अलग-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टिका प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।

(छ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

(ज) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामाग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत चढ़ई ढ़ेकहां, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 343780.00 (तीन लाख तिरालिस हजार सात सौ अस्सी मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज कुमार गौतम एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सरसों से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

62- ग्राम पंचायत- अहिरौली, वि.ख.-रामनगर, वर्ष 2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-76 ग्राम पंचायत- अहिरौली, वि.ख.-रामनगर, जनपद-जौनपुर के-लेखा परीक्षा वर्ष - 2021-22 में सोलर लाईट क्रय एवं इस पर व्यय के सापेक्ष कुल- 80000 रु0के गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये- अतः कार्यवाही अपेक्षित है।

1-कोषबहीके अनुसार दि - 13-09-21कों ग्रामनिधि-1 (5वॉ रा0वि0आ0)से ग्रामपंचायत में सोलर लाईट क्रय पर 80000.00 रू0 व्यय दर्शित रहा, जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई बिल-बाउचर एवं व्यय-पत्राक्ली प्रस्तुत नही किया गया, जिससे उक्त क्रय की पुष्टि नही होती है

(ख)- ऑन लाईन पेमेंन्ट के अनुसार दिनांक- 14/04/2021 को 5वॉ रा0वि0आ0 मद से ग्राम पंचायत में सोलरलाईट क्रयपर80000.00 का भुगतान ''राज इण्टर प्राइजेज '' (वा0सं0पी/2) को किया गया, जबकि शासनादेशसं0-33/2017/977/45-वि/2019 दि0-29अगस्त 2017 तथा निदेशक यू0पी0 नेडा के पत्र सं0-3599/यू0पी0नेडा/एस0एस0एल0/डब्ल्यू0एल0ई0डी0/2018 के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्रों के क्रय, अधिष्ठापन तथा मानक व गुणवता को सुनिश्चित किये जाने के लिए एक मात्र अधिकृत नोडल एजेंसी यू0पी0_नेडा द्वारा निविदा के माध्यम से आपूर्ति, स्थापना, एवं पाँच वर्ष की काम्प्रीहेन्सिव वांरटी के साथ प्रति संयंत्र नेडा कीनिर्धारित दर परक्रय किया जाये, परन्तु ग्रा0पं0द्वारा सोलर लाईट क्रय में मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का पालन नहींकिया गया है।

3. सौर संयंत्र के अधिष्ठापन स्थल की सूची ले0प0 मे अप्राप्त।
4. उक्त धनराशि से कितने नग क्रय किये गये तथा उसके स्टाक रजि0 में दर्ज कराये जाने की पुष्टि नहीं कराया गया।
5. कार्यवाही रजि0, स्टीमेट, एम0बी0 एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ले0प0 में अप्राप्त।
6. व्रिस्तरीय फोटोग्राफ अप्राप्त।
7. कोटेशन पत्रावली अप्राप्त। (लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)) का उल्लंघन
8. काम्पीहेन्सिव वारंटी, एवं तकनीकि अवयवों की सूची ले0प0 में अप्राप्त।.
9. शासनादेश् सं0- आर0जी0एस0ए0/179/2019-4/379/2015 दिनांक-02 मई 2019 के बिन्दु 3 में कार्य स्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना जाता है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया

जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत , अहिरौली मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 80000.00 (रु० अस्सी हजार मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री शैलेन्द्र सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती कनक दूबे से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है

63- ग्राम पंचायत नेवादा-1 विकासखण्ड रामनगर वर्ष 2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत नेवादा-1, विकासखण्ड रामनगर जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोष-बही के अनुसार वर्ष के दौरान हैण्डपम्परिबोर व सोलर लाईट क्रय पर कुल रु0343000.00भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	कैशबुक के अनुसार दिनांक	आनलाइन के अनुसारफर्म का नाम	केश रिकार्ड/वी0एन0 (डब्लू0एल0डी0)	धनराशि
1.	27-07-21	आस्था इ0प्रा/21-07-21	51249260-	343000.00
			योग-	343000.00

धनराशि शब्दों में- (तीन लाख तिरालिस हजार रु0)

कोष-बही में दर्शित उक्त भुगतानित धनराशि-343000.00 में निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियाँ पायी गई है-

1. उक्त ब्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित धनराशि से कितने नग तथा किन-किन स्थलों पर रीबोर कार्य एवं सोलर लाईट की स्थापनाकिया गया, कि पुष्टि हेतु न तो व्यय पत्रावलीप्रस्तुत किया गया, न, ही इसके विवरण का अंकन कोष-बही में किया गया है। जिससे उक्त क्रय एवं कार्यों की पुष्टि नहीं होती है।
3. उक्त कार्य पर भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा- (1) कार्यवाही रजि0 (2) कार्य योजना (3) स्टॉफ रजि0 (4) कोटेशन/टेण्डर पत्रावली (5) स्टीमेट एवं एम0बी0 (6) कार्य पूर्ति प्रमात्र-पत्र (7) निर्माण कार्य की संस्तुति रिपोर्ट (8) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0 (9) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

   लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

1. ऑनलाईन के अनुसार उक्त भुगतान आस्था इ0प्रा0 को किया गया है, एक ही वर्क आई0डी0 से दो कार्य का भुगतान एक साथ किया गया है, जो नियम संगत नहीं है।
2. उक्त भुगतानित धनराशि 343000.00 से रीबोर एवं सोलर लाईट क्रय पर कितना-कितना रुपया ब्यय किया गया की पुष्टि ले0प0 में नहीं कराया गया।

(च)-हैण्ड पम्प रीबोर से सम्बन्धित अन्य आपतियाँ-

1. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट अप्राप्त।
2. हैण्ड पम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत-पत्र रीबोर हेतु माँग पत्र पंजिका एवं तकनीकि रिपोर्ट अप्राप्त।
3. डेड स्टाफ रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा, जिससे समान रीबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टाक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

4. हैण्ड पम्प रीबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है, साथ ही त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ जो किसी कार्य के कराये जाने का प्रमाण है को ले0प0 में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. हैण्ड पम्प रीबोर के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्ड पम्परीबोर कार्य कराये जाने का प्रमाण-पत्र ले0प0 में अप्राप्त रहा।

6. ग्राम विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-1134/38-5-11-56 सम्/2010 दिनांक- 29-06-2021 के बिंदु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का-2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्थापित कये जाने के बाद एवं रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा, तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजि0 प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

(छ)-सोलर लाईट से सम्बन्धित अन्य आपतियाँ-

1. ऑनलाईन पेमेंट के अनुसार दि0 21-07-21 को उक्त भुगतान आस्था इ0प्रा0 को किया गया है, जबकि शासनादेश सं0-33/2017/977/45-वि/2017 दि029 अगस्त 2017, तथा निदेशक यू0पी0 नेड़ा के पत्र सं0-3599/यूपी नेड़ा/एस0एस0एल0 (डब्ल्यू एल0ई0डी0)/2018 के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्रों के क्रय, अधिष्ठापन तथा मानक व गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए **एक मात्र अधिकृत नोडल एजेंसी यू0पी0 नेड़ा** द्वारा निविदा के माध्यम से आपूर्ति स्थापना एवं पाँच वर्ष की काम्प्रीहेन्सीव वारण्टी के साथ प्रति संयंत्र नेड़ा की निर्धारित दर से क्रय किया जाय, परन्तु ग्रा0पं0 द्वारा सोलर लाईट क्रय में मार्ग दर्शक सिध्दांत का पालन नहीं किया गया।
2. सौर संयंत्रों के अधिष्ठापन स्थलों की सूची ले0प0 में अप्राप्त।
3. उक्त धनराशि से कितने नग क्रय किया गया तथा उसके स्टाक रजि0 में दर्ज कराये जाने की पुष्टि नहीं कराया गया।
4. त्रिस्तरीय फोटोग्राफ अप्राप्त।
5. काम्प्रीहेन्सिव वारंटी, एवं तकनीकि अवयवों की सूची ले0प0 में अप्राप्त।

1. शासनादेश सं0- आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु (3) के अनुसार कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य संदिग्ध है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत नेवादा I, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 343000.00 (रु० तीन लाख तिरालिस हजार मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविंद सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री बृजनरायन से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-78 **ग्राम पंचायत नेवादा-1 विकासखण्ड रामनगर जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान हयूम पाइप क्रय पर कुल रु0 75520.00 व्यय किया गया।

क्र.सं.	**कैशबुक के अनुसार दिनांक**	**ऑनलाईन के अनुसार फर्म का नाम/नाम**	**चेक सं0 (बाउचर सं)** **केश रिकार्ड/वी0एन0 डब्लू0एल0डी0**	**धनराशि**
1.	17.07.21	आस्था इ0प्रा0/15.07-21	43728066	75520.00
			योग-	75520.00

धनराशि शब्दों में- (पचहत्तर हजार पाँच सौ बीस रु0)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 75520.00 में निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियाँ पाई गई है-

1. उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. स्टॉक रजिस्टर
4. टेंडर/कोटेशन पत्रावली
5. स्टीमेट एवं एम0बी0
6. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र
7. उपभोग प्रमाण-पत्र
8. निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट

9. सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर
10. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. हयूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है।
2. हयूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।
3. हयूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।
4. हयूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से हयूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।
6. हयूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, मीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामाग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत नेवादा I, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 75520.00(रु० पचहत्तर हजार पाँच सौ बीस मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविंद सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री बृजनरायन से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

64- ग्राम पंचायत-**उसरॉव,** विकासखण्ड-**रामनगर, वर्ष 2021-22** जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-79 **ग्राम पंचायत उसराँव विकासखण्ड रामनगर जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान हयूम पाइप क्रय पर कुल रू0 307190.00 तीन लाख सात हजार एक सौ नब्वे रुपया) भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	कैशबुक के अनुसार दिनांक	ऑनलाईन के अनुसार फर्म का नाम/दिनांक	केश रिकार्ड (डब्लू0एल0डी0)	धनराशि
1	14.09.2021	आस्था इ0प्रा0/14.09.2021	3750956.00	163890.00

2	16.10.2021	आर0के0एस0 इ0प्रा0/16.10.2021	50602882.00	93800.00
3	03.01.2022	आस्था इ0प्रा0/03.01.2022	50602882.00	49500.00
			योग-	**307190.00**

धनराशि शब्दों में- (तीन लाख सात हजार एक सौ नब्बे रू0)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 307190.00 में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) स्टॉक रजिस्टर

(4) टेंडर/कोटेशन पत्रावली

(5) स्टीमेट एवं एम0बी0

(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र

(7)निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(8) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है।

(घ) ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ड) पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।

(च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अलग-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।

(छ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

(ज) क्रम सं0-02,03 में दोनों भुगतान एक ही वर्क आई0डी0/के रिकार्ड पर किया गया है। जबकि प्रत्येक कार्य की अलग-अलग वर्क आई0डी0 पर भुगतान किया जाना चाहिए।

(झ) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामाग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत उसराँव, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 307190.00 (रु० तीन लाख सात हजार एक सौ नब्बे मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री

महेन्द्र प्रताप सिंह से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-80 -ग्राम पंचायत-उसरॉव, विकासखण्ड-रामनगर, जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर पर कुल रु0 156300.00 भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है

क्र.सं.	**कैशबुक के अनुसार दिनांक**	**ऑनलाईन के अनुसार फर्म का नाम/दिनांक**	**केश रिकार्ड (डब्लू0एल0डी0)**	**धनराशि**
1	13.09.2021	अस्था इण्टर प्राइजेज/13.09.2021		156300.00
			योग-	**156300.00**

धनराशि शब्दों में- (एक लाख छप्पन हजार तीन सौ रुपया)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले०प० आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम०बी०

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, रीबोर हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकि रिपोर्ट-

(7) स्टॉक रजि०

(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

- रिबोर कार्य के सापेक्ष जल निगम की प्रतीक्षा सूची अथवा ग्रा०पं० स्तर पर सर्वेक्षण के आधार पर खराब, हैण्ड पम्पों के कार्य योजना में सम्मिलित किये जाने की सूची अप्रस्तुत।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रीबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रीबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रीबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रीबोर होने का प्रमाणक ले०प० में अप्राप्त रहा।

(च) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या1134/38-5-11-56सम्/2010 दिनांक 29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया

जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

(छ) शासनादेश संख्या-आर०जी०एस०ए०/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत उसराँव, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 156300.00 (रु० एक लाख छप्पन तीन सौ मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र प्रताप सिंह से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

65- ग्राम पंचायत चिताँव विकासखण्ड मछलीशहर **वर्ष 2021-22** जनपद जौनपुर

प्रस्तर-81 **ग्राम पंचायत चिताँव विकासखण्ड मछलीशहर जनपद जौनपुर** के वर्ष 2021-22 के लेखा परीक्षा में कोषवही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल 44875.00 रू0 का भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र0	दिनाँक	फर्म का नाम	धनराशि
1-	10.09.21	प्रधान इण्टरप्राइजेज	15390.00 रू0
2-	03.09.21	मजदूरी	4500.00 रू0
3-	02.11.21	प्रधान इण्टरप्राइजेज	25000.00 रू0

योग- 44890.00 चौवालिस हजार आठ सौ नब्बे रूपये मात्र

.कोषबही वर्ष के अनुसार उक्त भुगतानित धनराशियों के सापेक्ष निम्नलिखित अभिलेख लेखा परीक्षा के समय अप्रस्तुत रहा।

1- बिल बाउचर
2- कार्यवाही रजिस्टर
3- कार्ययोजनना
4- जल प्रबन्ध समाग्री संस्तुति रिपोर्ट
5- स्टीमेट एंव एम0 बी0
6- कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र

7- हैण्डपम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र एंव रिपोर्ट हेतु माँग पंजिका।

8- स्टाक रजिस्टर एंव त्रिस्तरीय फोटोग्राफ

9- टेण्डर/ कोटेशन पत्रावली

10- डेड स्टाक रजिस्टर अप्राप्त होने के कारण मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टाक एवं नीलामी के पश्चात प्राप्त आय की पुष्टि नहीं हुई। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राज जारी शासनादेश सं0 1134/38-5-11-56सम्/2010 दिनाँक 29-06-2021 के बिन्दू (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाये कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तानांतरित किया जायेगा तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदन के उपरान्त परिसम्पत्ति के रजिस्टर के दर्ज किया जायेगा । लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। उपरोक्त अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण स्पष्ट है कि लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षक को सम स्त व्यय बाउचर एवं नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें । लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से वसूली की जायेगी अतः उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्री छोटेलाल एवं ग्राम विकास/ पं0 अधिकारी श्री अमित कुमार से संयुक्त रुप में तातारिख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

66- ग्राम पंचायत- गैरवाह , विकासखण्ड-सुईथाकला

वर्ष 2021-22 जनपद- जौनपुर

प्रस्तर-82 **ग्राम पंचायत- गैरवाह , विकासखण्ड-सुईथाकला , जनपद- जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु0 37050=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम/नाम	धनराशि
1.	24-05-2021		37050=00
		योग-	37050=00

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

4. स्टीमेट एवं एम0बी0
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र
6. हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
7. स्टॉक रजि0
8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
9. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
3. हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
4. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेजयल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत गैरवाह , मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 37050=00 गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेन्द्र नाथ एवं ग्राम प्रधान विजय कुमार सिंह से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

67- ग्राम पंचायत-चढ़ई ढ़ेकहां, विकासखण्ड-रामनगर, वर्ष 2021-22

जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-83 **ग्राम पंचायत-चढ़ई ढ़ेकहां, विकासखण्ड-रामनगर, जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु0 76425.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.सं.	दिनांक	फर्म का नाम/नाम	केश रिकार्ड /वी0एन0	धनराशि	मद/वित्त आयोग
1.	12.08.21	शिवलाल मशीनरी स्टोर	51188146/पी-3	48680.00	5 वाँ वि0आ0
2.	23.03.22	ए0एस0 इ0प्रा0	51188146/पी-15	27745.00	5 वाँ वि0आ0
			योग-	**76425.00**	

धनराशि शब्दों में- (छिहत्तर हजार चार सौ पच्चीस रू0)

ग्राम पंचायत-चढ़ई ढ़ेकहांकी हस्त-लिखित कैशबुक लिखित एवं मौखिक रुप से बारम्बारआग्रह के बाद भी पंचायत सचिव द्वारा नहीं दिया गयाअतः ई-ग्रामस्वराज पर फीड़ ई-कैशबुकसे ले0प0 किया गया है।

ई-कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

1. भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
4. स्टीमेट एवं एम0बी0
5. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र
6. हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
7. स्टॉक रजि0
8. त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
9. टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
2. हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

3. हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
4. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेजयल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंरात परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत चढ़ई ढ़ेकहां, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 76425.00 (रु० छिहत्तर हजार चार सौ पच्चीस मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश राजभर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती आभा सिंह से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत-चढ़ई ढ़ेकहां, विकासखण्ड-रामनगर, जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ई-कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान हयूम पाइप क्रय पर कुल रू0 123575.00 भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	कैशबुक के अनुसार दिनांक	ऑनलाईन के अनुसार फर्म का नाम/दिनांक	केश रिकार्ड (डब्लू0एल0डी0)	धनराशि	मद/वित्त आयोग
1	09.07.21	आस्था इ0प्रा0	21013883/पी-1	98375.00	14 वाँ वि0आ0
2	16.10.21	आर0के0एस0 इण्टरप्राइजेज	54923268/पी-4	25200.00	15 वाँ वि0आ0
			योग-	**123575.00**	

धनराशि शब्दों में- (एक लाख तेईस हजार पॉच सौ पचहत्तर रू0)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 123575.00 में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) स्टॉक रजिस्टर

(4) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

(5) स्टीमेट एवं एम0बी0 (6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र

(7)निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(8) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर

(9) त्रिस्तरीय फोटोग्राफ

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है।

(घ) ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ड) पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।

(च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अलग-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टिका प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।

(छ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

(ज) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामाग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत चढ़ई ढ़ेकहां, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 123575.00 (एक लाख तेइस हजार पाँच सौ पचहत्तर मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश राजभर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती आभा सिंह से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

68- ग्राम पंचायत -औरा विकासखण्ड-रामनगर वर्ष 2021-22 जनपद-जौनपुर

प्रस्तर-85 ग्राम पंचायत -औरा, विकासखण्ड रामनगर, जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रु0 77905.00 भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	दिनांक	फर्म का नाम/दिनांक	केश रिकार्ड /वी0एन0	धनराशि
1	05.08.21	आस्था इ0प्रा0/04.08.21	52438913/पी-2	77905.00
			योग-	**77905.00**

धनराशि शब्दों में- (सतहत्तर हजार नौ सौ पॉच रु0)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 77905.00 में निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियॉ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यावाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) स्टॉक रजिस्टर

(4) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

(5) स्टीमेट एवं एम0बी0

(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र

(7) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(8) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर

(9) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है

(घ) ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ङ) ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहों किया गया।

(च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अलग-अलग निवासरत ग्रामीणों/किसानों ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले०प० में अप्रस्तुत रहा।

(ज) शासनादेश संख्या-आर०जी०एस०ए०/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

(झ) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामाग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत औरा, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 77905.00 (रु० सतहत्तर हजार नौ सौ पाँच मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राकेश त्रिपाठी एवं ग्राम प्रधान श्री बच्चन लाल से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-86 ग्राम पंचायत- औरा विकासखण्ड-रामनगर जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईटक्रय पर कुल रु0-247000.00 भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	दिनांक	फर्म का नाम/दिनांक	केश रिकार्ड/वी0एन0	धनराशि
1	13-08-21	आस्था इ0प्रा0/10-08-21	43411916.00	123500.00
2	13-08-21	आस्था इ0प्रा0/10-08-21	43411916.00	123500.00
			योग-	**247000.00**

धनराशि शब्दों में- (दो लाख सैतालिस हजार रु0)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 247000.00 में निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियॉ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यावाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) स्टॉक रजिस्टर

(4) कोटेशन पत्रावली/टेण्डर पत्रावली

(5) स्टीमेट एवं एम0बी0

(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र

(7) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(8) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर

(9) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) शासनादेश सं.-51/2018/1701/33-3-2018-2018-40 दि0-13.06.2018 के अनुसार ग्रामीण निकायों में एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट की स्थापना हेतु निम्नलिखित-

प्रमाणक यथा-

i. ग्राम पंचायत वार स्थलीय सर्वे एवं निर्धारित संख्या का प्रस्ताव

ii. जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा एल0ई0डी0लाईटों के क्रय हेतु प्रचलित वित्तीय नियमों, जिसमें वाट एवं दरो का निर्धारण किया गया हो।

iii. भारतीय मानक ब्यूरो (बी0आई0एस0) के अनुसार क्रय किये जाने का प्रमाण।

iv. स्ट्रीटलाईट हेतु विद्युत संयोजन लिए जाने का प्रमाण, जिसके अनुसार विद्युत बिल भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(घ) उक्त धनराशि से कितने नग क्रय एवं किन-किन स्थलों पर स्थापित किया गया की पुष्टि ले0प0 में नही कराया गया।

(ड) त्रिस्तरीय फोटो, ग्राफ ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।

(च) शासनादेश सं0-आ0जी0एस0ए0/197/2019-4-379/2015 दि0-2 मई 2019 के बिन्दु (3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध माना गया है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत औरा, मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 247000(रु० दो लाख नौ सैतालीस हजार मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राकेश त्रिपाठी एवं ग्राम प्रधान श्री बच्चन लाल से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

69- ग्राम पंचायत गोपालापुर (पपरावन) विकास खण्ड बरसठी वर्ष 2021-22 जनपद जौनपुर

प्रस्तर-87 **ग्राम पंचायत गोपालापुर (पपरावन) विकास खण्ड बरसठी जनपद जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021–22 में कोषवही के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर कार्य पर कुल रू0 188862.00 का भुगातन / व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	दिनांक	फर्म का नाम	चेक सं0	धनराशि
1	15-03-2022	विन्द्याचल इ0प्रा0	पी0एफ0एम0एस0	31966.00
2	15-03-2022	विन्द्याचल इ0प्रा0	पी0एफ0एम0एस0	32155.00

3	15-03-2022	विन्द्याचल इ0प्रा0	पी0एफ0एम0एस0	31836.00
4	15-03-2022	जय श्री विन्धवासिनी इ0 प्रा0	पी0एफ0एम0एस0	31900.00
5	10-06-2021	कंचन इ0प्रा0	पी0एफ0एम0एस0	30323.00
6	10-06-2021	विंधवासिनी इ0प्रा0	पी0एफ0एम0एस0	30682.00
			योग–	188862.00

धनराशि शब्दो में–एक लाख अठ्ठासी हजार आठ सौ बरसठ रू0 मात्र।

कोषवही में दर्शित उक्त् भुगतानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपतित्यॉ पायी गयी है–

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त् भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र

(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधिति शिकायत पत्र मरम्मत हेतु मॉग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजिस्टर

(8) त्रिस्तरीय फोटोग्राफ

(9) टेण्डर / कोटेशन पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।जिससे रिवोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात प्राप्त आय की पुष्टि नही की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिवोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नही किया गया है।

(ड) हैण्डपम्प रिवोर पश्चात अगल–बगल निवासरत ग्रामीणो से हैण्डपम्प रिवोर होने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

(च) ग्राम्य विकास द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 1134 /38- 5- 11 सम / 2010 दिनांक 29-06-2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(छ) शासनादेश संख्या- आर0जी0एस0ए0 /197 /2019 -4 /397 /2015 दिनांक 2 मई 2019 के बिन्दु (3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड -7 के अन्तर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह

संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण –दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, जिसका पूर्णतः पालन नही किया गया।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड-8 ख के अन्तर्गत यह उल्लिखित है कि – " अभिलेखो के सम्प्रेक्षण के उपरान्त यदि सम्प्रेक्षक दल द्वारा किसी दावे को अमान्य करते हुए भुगतान की गयी धनराशि की वसूली का आदेश दिया जाता है, तो ग्राम पंचायत द्वारा सम्बंधित व्यक्ति से नियमानुसार तत्काल वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 क के अन्तर्गत यह उल्लिखित है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर नही उपलब्ध कराया जाता है तो व्यय दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय धनराशि रू0 188862.00.00 अपहरण / गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार तथा तत्कालीन कार्यरत ग्राम वि0/ पं0 अधिकारी श्री जयदीप यादव से उ0 प्र0 पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम 256 से 259 के प्राविधानानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-88 **ग्राम पंचायत गोपालापुर (पपरावन)विकास खण्ड बरसठी जनपद जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021–22 में कोषवही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रू0 19130.00 का भुगातन / व्यय किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	दिनांक	फर्म का नाम	चेक सं0	धनराशि
1	11-08-2021	अनुराग वि0 में0		9430.00
2	11-08-2021	विन्ध्वासिनी इ0 प्रा0		9700.00
			योग–	19130.00

धनराशि शब्दो में– उन्नीस हजार एक सौ तीस रू0 मात्र

कोषवही में दर्शित उक्त् भुगतानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपतित्यॉ पायी गयी है–

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त् भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र

(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधिति शिकायत पत्र मरम्मत हेतु मॉग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजिस्टर

(8) त्रिस्तरीय फोटोग्राफ

(9) टेण्डर / कोटेशन पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।जिससे रिवोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात प्राप्त आय की पुष्टि नही की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिवोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नही किया गया है।

(ड) हैण्डपम्प रिवोर पश्चात अगल–बगल निवासरत ग्रामीणो से हैण्डपम्प रिवोर होने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

(च) ग्राम्य विकास द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 1134 /38- 5- 11 सम / 2010 दिनांक 29-06-2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(छ) शासनादेश संख्या- आर0जी0एस0ए0 /197 /2019 -4 /397 /2015 दिनांक 2 मई 2019 के बिन्दु (3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड -7 के अन्तर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण –दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, जिसका पूर्णतः पालन नही किया गया।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड-8 ख के अन्तर्गत यह उल्लिखित है कि – " अभिलेखो के सम्प्रेक्षण के उपरान्त यदि सम्प्रेक्षक दल द्वारा किसी दावे को अमान्य करते हुए भुगतान की गयी धनराशि की वसूली का आदेश दिया जाता है, तो ग्राम पंचायत द्वारा सम्बंधित व्यक्ति से नियमानुसार तत्काल वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 क के अन्तर्गत यह उल्लिखित है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर नही उपलब्ध कराया जाता है तो व्यय दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय धनराशि रू0 19130.00 अपहरण / गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार तथा तत्कालीन कार्यरत ग्राम वि0/ पं0 अधिकारी श्री जयदीप यादव से उ0 प्र0

पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम 256 से 259 के प्राविधानानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-89 आलोच्य वर्ष 2021-22 में धनराशि रू0 63600.00 सोलर लाइट हेतु भुगतान दर्शित है-

क्र0सं0	दिनांक	सामाग्री सं0	फर्म का नाम	धनराशि
01	24-08-2021	सोलर लाइट	एम0एस0 उद्योग	63600.00
			योग–	63600.00

धनराशि शब्दो में– तिरसठ हजार छः सौ रू0 मात्र।

कोषवही में दर्शित उक्त् भुगतानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपतित्यॉ पायी गयी है

1- सोलर लाइट की स्थापना ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय किया गया है। लेकिन सक्षम अधिकारी से अनुमति नही ली गयी है।
2- सोलर लाइट एक ही प्रोजेक्ट है जी0पी0डी0पी0 कार्य योजना में एक कार्य है लेकिन इसे टुकडों में तोडकर सम्पादित किया जा रहा है।
3- इसके लिए अलग से टेंडर /कोटेशन से सम्बंधित पत्रावली अप्राप्त रही।
4– स्थान का चयन कार्ययोजना में कैसे और किस प्रकार किया गया है। यह अस्पष्ट रहा।
5- सोलर लाइट खरीद में नेडा का रेट की पत्रावली प्रस्तुत नही रही।
6- लेखा परीक्षा के दौरान बिल बाउचर अप्रस्तुत रहा

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड -7 के अन्तर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण –दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, जिसका पूर्णतः पालन नही किया गया।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड-8 ख के अन्तर्गत यह उल्लिखित है कि – " अभिलेखो के सम्प्रेक्षण के उपरान्त यदि सम्प्रेक्षक दल द्वारा किसी दावे को अमान्य करते हुए भुगतान की गयी धनराशि की वसूली का आदेश दिया जाता है, तो ग्राम पंचायत द्वारा सम्बंधित व्यक्ति से नियमानुसार तत्काल वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 क के अन्तर्गत यह उल्लिखित है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर नही उपलब्ध कराया जाता है तो व्यय दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय धनराशि रू0 63600.00 अपहरण / गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार तथा तत्कालीन कार्यरत ग्राम वि0/ पं0 अधिकारी श्री जयदीप यादव से उ0 प्र0 पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम 256 से 259 के प्राविधानानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-90 आलोच्य वर्ष 2021-22 में धनराशि रू0 168000.00 सीमेंट बेंच निर्माण पर भुगतान दर्शित है–

क्र0सं0	दिनांक	सामाग्री	फर्म का नाम	धनराशि
1	28-08-2021	सीमेंट बेंच निर्णाण	एम0एस0 उद्योग	83000.00
2	03-12-2021	सीमेंट बेंच निर्णाण	एम0एस0 उद्योग	42500.00
3	03-12-2021	सीमेंट बेंच निर्णाण	एम0एस0 उद्योग	42500.00
			योग–	168000.00

धनराशि शब्दो में– एक लाख अरसठ हजार रू0 मात्र।

कोषवही में दर्शित उक्त् भुगतानित राशि के सापेक्ष् निम्नलिखित लेखा परीक्षा आपत्तियॉ पायी गयी है–

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल बाउचर अप्रस्तुत रहा।

(ख) उक्त् भुगतानित राशि की पुष्टि अन्य प्रमाणक यथा-

(1) वार्षिक कार्ययोजना
(2) स्टीमेट
(3) एम0बी0
(4) मस्टररोल
(5) डिलवरी चालान
(6) कार्यवाही पुस्तिका / रजिस्टर
(7) त्रिस्तरीय फोटोग्राफ
(8) क्रय आदेश
(9) टेण्डर/ कोटेशन पत्रावली
(10) कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण रजिस्टर एवंनिरीक्षण प्रतिवेदन।
(11) सार्वजनिक निर्माण कार्यो का रजिस्टर /निर्माण कार्यो की प्रगति रिपोर्ट।
(12) अनुमति रजिस्टर प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति।
(13) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र।
(14) निर्माण समिति की अनुशंशा रिपोर्ट।
(15) चल / अचल सम्पत्ति रजिस्टर।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड -7 के अन्तर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण –दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, जिसका पूर्णतः पालन नही किया गया।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के खण्ड-8 ख के अन्तर्गत यह उल्लिखित है कि – " अभिलेखो के सम्प्रेक्षण के उपरान्त यदि सम्प्रेक्षक दल द्वारा किसी दावे को अमान्य करते हुए भुगतान की गयी धनराशि की वसूली का आदेश दिया जाता है, तो ग्राम पंचायत द्वारा सम्बंधित व्यक्ति से नियमानुसार तत्काल वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8 क के अन्तर्गत यह उल्लिखित है कि- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर नही उपलब्ध कराया जाता है तो व्यय दर्शाई गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय धनराशि रू0 168000.00 अपहरण / गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्री जितेन्द्र कुमार तथा तत्कालीन कार्यरत ग्राम वि0/ पं0 अधिकारी श्री जयदीप यादव से उ0 प्र0 पंचायतीराज नियमावली-1947 के नियम 256 से 259 के प्राविधानानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

70- ग्राम पंचायत मलिकानपुर विकासखण्ड बक्शा वर्ष 2021-22 जनपद जौनपुर

प्रस्तर-91 **ग्राम पंचायत मलिकानपुर विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही एवं प्रियसाफ्ट के अनुसार वर्ष के दौरान जूनियर हाई स्कूल मे मिट्टी पटाई कार्य पर कुल रु0 129000.00 के अनुसार भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	धनराशि
1.	12.08.2021	जूनियर हाई स्कूल मे मिट्टी पटाई कार्य पर मजदूरी का भुगतान	श्री विनोद कुमार सिंह	72352.00
2.	12.08.2021	जूनियर हाई स्कूल मे मिट्टी पटाई कार्य पर कारटेज का भुगतान	श्री विनोद कुमार सिंह	56648.00
			योग-	129000.00

धनराशि शब्दों में- (रु० एक लाख उन्नतिस हजार मात्र)

उक्त व्यय के संबंध मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियाँ पायी गई है।

1. वर्ष दौरान किये गये व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित सुसंगत मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, वर्कआई0डी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण प्रतिवेदन आदि उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नही की जा सकी है। संभव है कि किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

2. मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में आपत्ति यह की जिस विनोद कुमार सिंह को मजदूरी का भुगतान किया गया है। वह उक्त ग्राम पंचायत का निवासी नही है। भुगतान सम्बन्धी डोंगल विवरण के अनुसार उक्त विनोद कुमार सिंह जिनको मजदूरी भुगतान किया गया है। वह विकास खण्ड सिकरारा के किसी ग्राम पंचायत का निवासी है।
3. जूनियर हाई स्कूल मे मिट्टी पटाई कार्य पर कारटेज क्रय हेतु किए गए भुगतान का औचित्य संदिग्ध है ।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत मलिकानपुर मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 129000.00 (रु० एक लाख उन्नतिस हजार मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री अवनीश कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-92 **ग्राम पंचायत मलिकानपुर विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही एवं प्रियसाफ्ट के अनुसार वर्ष के दौरान जूनियर हाई स्कूल मे इन्टर लॉकिंग कार्य पर कुल रु0 **41043.00**के अनुसार भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	धनराशि
1.	12.08.2021	जूनियर हाई स्कूल मे इन्टर लॉकिंग कार्य हेतु ईट क्रय	साई बाबा ईट उधोग	28135.00
2.	12.08.2021	जूनियर हाई स्कूल मे इन्टर लॉकिंग कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान	श्री विनोद कुमार सिंह	12908.00
			योग-	**41043.00**

धनराशि शब्दों में- (रु० एकतालीस हजार तिरालिस रु0 मात्र)
उक्त व्यय के संबंध मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियाँ पायी गई है।

1. वर्ष दौरान किये गये व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित सुसंगत मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, वर्कआई0डी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति, निर्माण समिति आदि की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,

स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली, क्रय आदेश, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर, डिलवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण प्रतिवेदन आदि उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नही की जा सकी है। संभव है कि किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

2. मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में आपत्ति यह की जिस विनोद कुमार सिंह को मजदूरी का भुगतान किया गया है। वह उक्त ग्राम पंचायत का निवासी नही है। भुगतान सम्बन्धी डोंगल विवरण के अनुसार उक्त विनोद कुमार सिंह जिनको मजदूरी भुगतान किया गया है। वह विकास खण्ड सिकरारा के किसी ग्राम पंचायत का निवासी है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत मलिकानपुर मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 **41043.00** (रु० एकतालीस हजार तिरालिस रु0 मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री अवनीश कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है

71- ग्राम पंचायत उमरछा वर्ष 2021-22 विकासखण्ड बक्शा जनपद जौनपुर

प्रस्तर-93 **ग्राम पंचायत उमरछा विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही एवं प्रियसाफ्ट के अनुसार वर्ष के दौरान गौशाला में नाद एवं चन्न निर्माण कार्य पर कुल रु0 202067.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता व्यक्ति/ फर्म का नाम	धनराशि
1.	07.08.2021	गौशाला में नाद एवं चन्न निर्माण कार्य पर सामग्री क्रय हेतु भुगतान	बजरंग इन्टर प्राइजेज	47620.00
2	07.08.2021	गौशाला में नाद एवं चन्न निर्माण कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान	श्री विनोद कुमार सिंह	18708.00
3	10.08.2021	गौशाला में नाद एवं चन्न निर्माण कार्य पर ईट क्रय	सुधा सिंह ईट भटठ्ठा	55440.00

		हेतु भुगतान		
4	10.08.2021	गौशाला में नाद एवं चन्न निर्माण कार्य पर ईट क्रय हेतु भुगतान	साई बाबा ईट भटठ्ठा	72751.00
5	11.08.2021	गौशाला में नाद एवं चन्न निर्माण कार्य पर ईट क्रय हेतु भुगतान	साई बाबा ईट भटठ्ठा	7548.00
			योग-	**202067.00**

धनराशि शब्दों में- (रु० दो लाख दो हजार सड़सठ मात्र)

उक्त व्यय के संबंध मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियाँ पायी गई है।

1. वर्ष दौरान किये गये व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित सुसंगत मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, वर्कआई0डी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली, क्रय आदेश, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर, डिलवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण प्रतिवेदन आदि उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नही की जा सकी है। संभव है कि किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।
2. मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में आपत्ति यह कि जिस विनोद कुमार सिंह को मजदूरी का भुगतान किया गया है। वह उक्त ग्राम पंचायत का निवासी नही है। भुगतान सम्बन्धी डोंगल विवरण के अनुसार उक्त विनोद कुमार सिंह जिनको मजदूरी भुगतान किया गया है। वह विकास खण्ड सिकरारा के किसी ग्राम पंचायत का निवासी है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत उमरछा मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 202067.00 (रु० दो लाख दो हजार सड़सठ मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार सिंह एवं श्री नगेन्द्र प्रताप सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-94 **ग्राम पंचायत उमरछा विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही एवं प्रियसाफ्ट के अनुसार वर्ष के दौरान गौशाला में टिन शेड निर्माण कार्य पर कुल रु0 **415205.00** के अनुसार भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता व्यक्ति/ फर्म का नाम	धनराशि
1.	20.08.2021	गौशाला में टिन शेड निर्माण कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान	श्री विनोद कुमार सिंह	18688.00
2	20.08.2021	गौशाला में टिन शेड निर्माण कार्य पर हेतु माइल्ड स्टील क्रय हेतु भुगतान	माँ गायत्री एवं कंपनी	175500.00
3	20.08.2021	गौशाला में टिन शेड निर्माण कार्य पर स्टेनलेस स्टील सीट क्रय हेतु भुगतान	प्रांजल हार्ड वेयर बिल्डिंग मैटेरियाल	177142.00
7	20.08.2021	गौशाला में टिन शेड निर्माण कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान	श्री विनोद कुमार सिंह	43875.00
			योग-	**415205.00**

रु० चार लाख पंद्रह हजार दो सौ पाँच रु0 मात्र

उक्त व्यय के संबंध मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियाँ पायी गई है।

1. वर्ष दौरान किये गये व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित सुसंगत मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, वर्कआई0डी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण समिति की संस्तुति, , कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली, क्रय आदेश, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर, डिलवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण प्रतिवेदन आदि उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नही की जा सकी है। संभव है कि किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।
2. मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में आपत्ति यह कि जिस विनोद कुमार सिंह को मजदूरी का भुगतान किया गया है। वह उक्त ग्राम पंचायत का निवासी नही है। भुगतान सम्बन्धी डोंगल विवरण के अनुसार उक्त विनोद कुमार सिंह जिनको मजदूरी भुगतान किया गया है। वह विकास खण्ड सिकरारा के किसी ग्राम पंचायत का निवासी है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत उमरछा मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 **415205.00** (रु० चार लाख पंद्रह हजार दो सौ पाँच रु0 मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र कुमार से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

72-ग्राम पंचायत -खमपुर विकासखण्ड -बक्शा जनपद जौनपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर-95 **ग्राम पंचायत खमपुर विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही का वर्ष के दौरान जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रु0 **146868.00** के अनुसार भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	धनराशि
1.	25.08.2021	जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय का भुगतान	गंगा उद्यम	133876.00
2.	25.08.2021	**उक्त कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान**	श्री विनोद कुमार सिंह	12992.00
			योग-	**146868.00**

धनराशि शब्दों में- (रु० एक लाख छियालीस हजार आठ सौ अड़सठ मात्र)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि **के सापेक्ष** निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियाँ पाई गई हैं-

1. उक्त ब्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर मस्टररोल अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. स्टॉक रजिस्टर
4. कोटेशन पत्रावली/टैंडर
5. स्टीमेट एवं एम0बी0
6. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र
7. निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
8. सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर
9. त्रिस्तरीय फ़ोटो

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है।
2. मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में आपत्ति यह की जिस विनोद कुमार सिंह को मजदूरी का भुगतान किया गया है। वह उक्त ग्राम पंचायत का निवासी नही है। भुगतान सम्बन्धी डोंगल

विवरण के अनुसार उक्त विनोद कुमार सिंह जिनको मजदूरी भुगतान किया गया है। वह विकास खण्ड सिकरारा के किसी ग्राम पंचायत का निवासी है।

3. ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।
4. ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।
6. ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत खमपुर मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 **146868.00** (रु० एक लाख छियालीस हजार आठ सौ अड़सठ मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री सीताराम से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-96 **ग्राम पंचायत खमपुर विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर कुल रु0 **292992.00** के अनुसार भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	धनराशि
1.	03.08.201	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर पनडुब्बी आदि का क्रय हेतु भुगतान	ठाकुरदीन सरजू प्रसाद हार्ड वेयर	45000.00
2.	03.08.2021	**उक्त कार्य पर सामग्री क्रय हेतु भुगतान**	श्री आशीष भवन निर्माण सामग्री स्टोर	164852.00
3	**12.08.2021**	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर ईट व ईट गिट्टी क्रय हेतु भुगतान	बालाजी ईट उधोग	25060.00
4	**12.08.2021**	**उक्त कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान**	श्री विनोद कुमार सिंह	58080.00
			योग-	**292992.00**

(रु० दो लाख बानबे हजार नौ सौ बानबे मात्र)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि **292992.00** में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई है-

उक्त व्यय के संबंध मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियाँ पायी गई है।

1- वर्ष दौरान किये गये व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित सुसंगत मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, वर्कआई0डी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, , निर्माण समिति की संस्तुति] कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली, क्रय आदेश, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर, डिलवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण प्रतिवेदन आदि उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नही की जा सकी है। संभव है कि किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

2-मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में आपत्ति यह की जिस विनोद कुमार सिंह को मजदूरी का भुगतान किया गया है। वह उक्त ग्राम पंचायत का निवासी नही है। भुगतान सम्बन्धी डोंगल विवरण के अनुसार उक्त विनोद कुमार सिंह जिनको मजदूरी भुगतान किया गया है। वह विकास खण्ड सिकरारा के किसी ग्राम पंचायत का निवासी है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत खमपुर मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 **292992.00** (रु० दो लाख बानबे हजार नौ सौ बानबे मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री सीताराम से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-97 ग्राम पंचायत खमपुर विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान मैनपाल के घर से करिमन के घर तक

खड़न्नजा मरम्मत कार्य पर कुल रु0 **215662.00**के अनुसार भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	**दिनांक**	**विवरण**	**भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम**	**धनराशि**
1.	25.08.2021	मैनपाल के घर से करिमन के घर तक खड़न्नजा मरम्मत कार्य पर ईट क्रय हेतु भुगतान	बालाजी ईट उधोग	74766.00
2.	25.08.2021	**उक्त कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान**	श्री विनोद कुमार सिंह	140896.00
			योग-	**215662.00**

(रु० दो लाख पंद्रह हजार छः सौ बासठ मात्र)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि **215662.00** में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई है-

उक्त व्यय के संबंध मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियाँ पायी गई है।

1-वर्ष दौरान किये गये व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित सुसंगत मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, वर्कआई0डी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण समिति की संस्तुति, , कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली, क्रय आदेश, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर, डिलवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण प्रतिवेदन आदि उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नही की जा सकी है। संभव है कि किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

2-मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में आपत्ति यह की जिस विनोद कुमार सिंह को मजदूरी का भुगतान किया गया है। वह उक्त ग्राम पंचायत का निवासी नही है। भुगतान सम्बन्धी डोंगल विवरण के अनुसार उक्त विनोद कुमार सिंह जिनको मजदूरी भुगतान किया गया है। वह विकास खण्ड सिकरारा के किसी ग्राम पंचायत का निवासी है।

1. डेड स्टाफ रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा, जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब ईट टुकड़ों2 अद्धा का स्टाक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत खमपुर मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 **215662.00** (रु० दो लाख पंद्रह हजार छः सौ बासठ मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार सिंह तथा ग्राम प्रधान श्री सीताराम उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

73-ग्राम पंचायत बबुरा विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर वर्ष 2021-22

प्रस्तर-98 ग्राम पंचायत बबुरा विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही एवं प्रियसाफ्ट के अनुसार वर्ष के दौरान टप रुफ़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण कार्य पर कुल रु0 164614.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता व्यक्ति/ फर्म का नाम	धनराशि
1.	20.08.2021	जू0हा0 स्कूल बबुरा मे सटफ रुफ़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण कार्य पर ईट एवं ईट गिट्टी क्रय हेतु भुगतान	धर्मराज ईट भटठ्ठा	13068
2	20.08.2021	जू0हा0 स्कूल बबुरा मे सटफ रुफ़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण कार्य पर सामग्री क्रय हेतु भुगतान	प्रांजल हार्डवेयर	58111
3	20.08.2021	जू0हा0 स्कूल बबुरा मे सटफ रुफ़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण कार्य पर मजदूरी हेतु भुगतान	विनोद कुमार सिंह	11128
4	20.08.2021	प्रा0 पाठशाला बबुरा मे सटफ रुफ़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण कार्य पर ईट एवं ईट	धर्मराज ईट भटठ्ठा	13068

		गिट्टी क्रय हेतु भुगतान		
5	20.08.2021	प्रा0 पाठशाला बबुरा मे सटफ रुफ़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण कार्य पर सामग्री क्रय हेतु भुगतान	प्रांजल हार्डवेयर	58111
6	20.08.2021	प्रा0 पाठशाला स्कूल बबुरा मे सटफ रुफ़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण कार्य पर मजदूरी हेतु भुगतान	विनोद कुमार सिंह	**11128**
			योग-	**164614.00**

धनराशि शब्दों में- (रु० एक लाख चौसठ हजार छ सौ चौदह मात्र)

उक्त व्यय के संबंध मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियाँ पायी गई है।

1. वर्ष दौरान किये गये व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित सुसंगत मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, वर्कआई0डी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली, क्रय आदेश, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर, डिलवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण प्रतिवेदन आदि उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नही की जा सकी है। संभव है कि किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।
2. मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में आपत्ति यह कि जिस विनोद कुमार सिंह को मजदूरी का भुगतान किया गया है। वह उक्त ग्राम पंचायत का निवासी नही है। भुगतान सम्बन्धी डोंगल विवरण के अनुसार उक्त विनोद कुमार सिंह जिनको मजदूरी भुगतान किया गया है। वह विकास खण्ड सिकरारा के किसी ग्राम पंचायत का निवासी है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत बबुरा मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 **164614.00** गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती अमृता देवी से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-99 ग्राम पंचायत बबुरा विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही एवं प्रियसाफ्ट के अनुसार वर्ष के दौरान खड़न्नजा निर्माण कार्य हेतु ईट कार्य पर कुल रु0 **161964.00** के अनुसार भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	धनराशि
1.	06.06.2021	पक्की सड़क से महिंदर के घर तक खड़न्नजा निर्माण कार्य हेतु ईट क्रय	साई बाबा ईट भटठ्ठा	101020
2.	06.06.2021	पक्की सड़क से महिंदर के घर तक खड़न्नजा निर्माण कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान	विनोद कुमार सिंह	30016
3	06.06.2021	सी0 सी0 रोड से श्रीकांत पाण्डेय के घर तक खड़न्नजा निर्माण कार्य हेतु ईट क्रय	साई बाबा ईट भटठ्ठा	23312
4	06.06.2021	सी0 सी0 रोड से श्रीकांत पाण्डेय के घर तक खड़न्नजा निर्माण कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान	विनोद कुमार सिंह	7616
			योग-	**161964.00**

धनराशि शब्दों में- (रु० एक लाख एकसठ हजार नौ सौ चौसठ मात्र)

उक्त व्यय के संबंध मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियाँ पायी गई है।

1. वर्ष दौरान किये गये व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित सुसंगत मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, वर्कआई0डी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र,विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति, निर्माण समिति आदि की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली, क्रय आदेश, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर, डिलवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण प्रतिवेदन आदि उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नही की जा सकी है। संभव है कि किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

2. मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में आपत्ति यह की जिस विनोद कुमार सिंह को मजदूरी का भुगतान किया गया है। वह उक्त ग्राम पंचायत का निवासी नही है। भुगतान सम्बन्धी डोंगल विवरण के अनुसार उक्त विनोद कुमार सिंह जिनको मजदूरी भुगतान किया गया है। वह विकास खण्ड सिकरारा के किसी ग्राम पंचायत का निवासी है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत बबुरा मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 **161964.00** (रु० एक लाख एकसठ हजार नौ सौ चौसठ मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार सिंह ग्राम प्रधान श्रीमती अमृता देवी से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-100 ग्राम पंचायत बबुरा विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रु0 **115037.00** के अनुसार भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	धनराशि
1.	09.06.2021	जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय का भुगतान	गंगा उद्यम	97341.00
2.	09.06.2021	**उक्त कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान**	श्री विनोद कुमार सिंह	17696.00
			योग-	**115037.00**

धनराशि शब्दों में- (रु० एक लाख पंद्रह हजार सैतीस मात्र)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि **के सापेक्ष** निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियाँ पाई गई हैं-

1. उक्त ब्यय के सापेक्ष बिल/बाउचर मस्टररोल अप्रस्तुत रहे।
2. उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. कार्ययोजना
3. स्टॉक रजिस्टर
4. कोटेशन पत्रावली/टेंडर
5. स्टीमेट एवं एम0बी0
6. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र
7. निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
8. सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर
9. त्रिस्तरीय फ़ोटो

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

1. हयूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है।
2. मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में आपत्ति यह की जिस विनोद कुमार सिंह को मजदूरी का भुगतान किया गया है। वह उक्त ग्राम पंचायत का निवासी नही है। भुगतान सम्बन्धी डोंगल विवरण के अनुसार उक्त विनोद कुमार सिंह जिनको मजदूरी भुगतान किया गया है। वह विकास खण्ड सिकरारा के किसी ग्राम पंचायत का निवासी है।
3. हयूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।
4. हयूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से हयूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।
5. शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहिन एवं कार्य विवरण विहिन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।
6. हयूम पाइप के स्थापना में बालू, ईट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध

नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत बबुरा मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 **115037.00**(रु० (रु० एक लाख पंद्रह हजार सैतीस मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती अमृता देवी से उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-101 **ग्राम पंचायत बबुरा विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान मैनपाल के घर से करिमन के घर तक खड़न्नजा मरम्मत कार्य पर कुल रु0 **96172.00** के अनुसार भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	धनराशि
1.	09.06.2021	लाल साहब के घर से जय कुमार के घर तक खड़न्नजा मरम्मत कार्य पर ईट क्रय हेतु भुगतान	साई बाबा ईट उधोग	52940.00
2.	09.06.2021	**उक्त कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान**	श्री विनोद कुमार सिंह	43232.00
			योग-	**96172.00**

(रु० छानबे हजार एक सौ बहत्तर मात्र)

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि **96172.00** में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई है-

उक्त व्यय के संबंध मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियाँ पायी गई है।

1-वर्ष दौरान किये गये व्यय की पुष्टि हेतु अपेक्षित सुसंगत मूल अभिलेख यथा कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0, वर्कआई0डी0, बिल बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण समिति की संस्तुति, कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, स्टॉक रजिस्टर, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली, क्रय आदेश, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर, डिलवरी चालान, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्य का भौतिक सत्यापन /निरीक्षण प्रतिवेदन आदि उपलब्ध नही कराया गया है, जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि नही की जा सकी है। संभव है कि किसी तीसरे पक्ष (फर्म) से दुरभिसंधि कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है।

2-मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में आपत्ति यह की जिस विनोद कुमार सिंह को मजदूरी का भुगतान किया गया है। वह उक्त ग्राम पंचायत का निवासी नही है। भुगतान सम्बन्धी डोंगल विवरण के अनुसार उक्त विनोद कुमार सिंह जिनको मजदूरी भुगतान किया गया है। वह विकास खण्ड सिकरारा के किसी ग्राम पंचायत का निवासी है।

1. डेड स्टाफ रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा, जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब ईट टुकड़ों2 अद्धा का स्टाक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा की वे लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग द्वारा जारी ग्राम पंचायते के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय-8 की खंड-8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय की पुष्टि मे कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से किए जाने का प्राविधान है ।

अतः उक्त प्राविधान के आलोक मे ग्राम पंचायत बबुरा मे व्यय दर्शित धनराशि रु कुल रू0 **96172.00** (रु० छानबे हजार एक सौ बहत्तर मात्र) गबन/अपहरण की श्रेणी मे आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विनोद कुमार सिंह तथा ग्राम प्रधान श्रीमती अमृता देवी उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 से 259 के प्राविधान के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ।

जनपद - वाराणसी

ग्राम पंचायत - कुरू

विकास खण्ड - बड़ागाँव

जनपद - वाराणसी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-1

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में अपहरण / दुर्विनियोग / अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आया है विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है आपत्ति का विवरण निम्न है।

(1) आलोच्य वर्ष 2021-22 की कैश बुक में दिनांक 16-06-2021 को विभिन्न जगहों पर जल निकासी कार्य हेतु ह्यूम पाइप पर रू0 77004.00 का व्यय दर्शित है। मजदूरी पर कोई भी धनराशि व्यय नही किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक ,मस्टर रोल, स्टॉक बुक, एम0 बी0, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , त्रिस्तरीय फोटो आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराकर रू0 77004.00 की अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू व ग्राम पंचायत सचिव श्री वीरेन्द्र कुमार दुबे द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू0 38502.00 की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भरहरियां

विकास खण्ड - सेवापुरी

जनपद - वाराणसी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-2

आलोच्य वर्ष 2021-22 में निम्न अपहरण / दुर्विनियोग / गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए है जिन पर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न है।

1-आलोच्य वर्ष में कोषबही और बैंक स्टेटमेंट के अनुसार निम्न भुगतान किये गये है।

क्रं0 सं0	वर्क आइडी	दिनांक	विवरण कोष बही के अनुसार	धनराशि	प्राप्तकर्ता
1	52924269	12.08.21	समां के घर से राजेश के घर तक मिट्टी खड़ंजा कार्य पर	77238.00	विजय ईट उद्योग
2	52924269	13.10.21	विवरणहीन	11644.00	शिवशंकर इण्टरप्राइजेज
3	52924269	13.10.21	विवरणहीन	7796.00	शिवशंकर

					इण्टरप्राइजेज
सम्पूर्ण योग				96678.00	

उपर्युक्त भुगतान पर अधोलिखित आपत्तियाँ है।

(अ) एक वर्क आईडी 52924269 पर भुगतान के सापेक्ष 12.8.21 को सामग्री क्रय किया गया लेकिन मजदूरी पर कुछ भी व्यय नही किया गया है और मजदूरी के बिना कार्य का होना सम्भव नही है। अगर कार्य नही हुआ तो स्टॉक रजिस्टर में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।

(आ) इसी वर्क आईडी पर अन्य दो भुगतान शिवशंकर इण्टरप्राइजेज को किये गये है लेकिन ये विवरणहीन है इससे सम्बन्धित कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नही रहे।

(इ) निर्माण समिति के अलावा , एस्टिमेंट, माप पुस्तिका और कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नही रहे।

(ई) त्रिस्तरीय फोटो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके अभाव में कार्य के गतिशील और पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(उ) सामग्री क्रय के बाउचर / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहे।

इस प्रकार रूपये 96678.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश सिंह श्री अशोक पाल के द्वारा किया गया है प्रत्येक से रू0 48339.00 की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सिरिहरा
विकास खण्ड - सेवापुरी
जनपद - वाराणसी
लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

<u>प्रस्तर-3</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में हैंडपंप रिबोर पर रूपये 337527.00/- व्यय किये गये है जिनका विवरण निम्न है-

(अ) रामू बनारसी के घर के पास सामग्री और मजदूरी पर दिनांक 14.7.21 को रूपये 37600.00 का आदर्श इण्टरप्राइजेज को (5 राज्य वित्त आयोग)

(आ) रिबोर कार्य पर सामग्री और मजदूरी सहित दिनांक 18.9.21 को रूपया 44527.00 आदर्श इण्टरप्राइजेज को। (5 राज्य वित्त आयोग)

(इ) मनवासा देवी का सामग्री और मजदूरी सहित दिनांक 28.12.21 को रूपया 42600.00 आदर्श इण्टरप्राइजेज को। (5 राज्य वित्त आयोग)

(ई) गनपत के घर के पास दिनांक 15.2.22 को रू0 42800.00 आदर्श इण्टरप्राइजेज को। (5 राज्य वित्त आयोग)

(उ) जितेन्द्र के घर के पास दिनांक 15.2.22 को रू0 42900.00 आदर्श इण्टरप्राइजेज को। (5 राज्य वित्त आयोग)

(ऊ) अकबाल नारायण मौर्य के घर के पास दिनांक 28.12.20 को रू0 42200.00 आदर्श इण्टरप्राइजेज को। (5 राज्य वित्त आयोग)

(ऋ) सुनील मौर्य के घर के पास दिनांक 28.12.20 को रू0 42500.00 आदर्श इण्टरप्राइजेज को। (5 राज्य वित्त आयोग)

(ऌ) नगीना सोनकर के घर के पास दिनांक 28.12.20 को रू0 42400.00 आदर्श इण्टरप्राइजेज को। (5 राज्य वित्त आयोग)

उपर्युक्त हैंडपंप रिबोर पर कुल व्यय रूपये 337527.00 /- पर निम्नलिखित आपत्तियाँ है।

(क) पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के सन्दर्भ में प्रतीक्षा सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी.

(ख) हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत / रिबोर की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि जिन स्थलों के हैंडपंप खराब थे वो खराब कब हुए और पिछली बार इनका रिबोर कब कराया गया था क्योकि अधिकांश रिबोर जुलाई के बाद कराये गये है। और एक तिथि में कई रिबोर के भुगतान किये गये है। इसके साथ ही रिबोर के बाद इसकी चालू होने कि स्थिति संबंधी विवरण भी अप्राप्त रहा।

(ग) तकनीकि अनुश्रवण का कार्य जेई एम आई /आर ई डी/ मंडी परिषद / जिला पंचायत / डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा. संगत अभिलेख के अभाव में इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(घ) इस्टीमेट और माप पुस्तिका लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नही की गई।

(ङ) पंचायत लेखा मैन्नु. के अध्याय 5 के बिन्दु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शा. सं. - 4430 / 33-1-99 एस पी. आर / 99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियाँ की निगरानी / अनुमोदन / संस्तुति करना है. आगे पंचायत राज अनुभाग 1 मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 4992 /33 - 1-99-538/99 दिनांक 16 अगस्त 1999 के आदेश के क्रम में ग्राम निधि से भुगतान के आदेश सक्षम समिति से प्राप्त होने के उपरांत किया जायेगा लेकिन संगत अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

(च) रिबोर के उपरांत स्क्रेच की स्थिति भी संगत रजिस्टर प्रस्तुत न रहने के कारण अज्ञात रही।

(छ) त्रिस्तरीय फोटो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिसके अभाव में कार्य के गतिशील होने की पुष्टि नही की जा सकी।

(ज) मजदूरी भुगतान के और सामग्री क्रय कर वाउचर / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहे।

इस प्रकार कुल धनराशि रूपये 337527.00 /- का अपहरण तात्कालीन ग्राम प्रधान श्री मिस शिल्पा और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक पाल द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू0 168763.50 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-4</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में कोषबही और बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्राथमिक विद्यालय प्रांगड़ में इंटरलॉकिंग कार्य पर सामग्री हेतु दिनांक 2.11.2021 को रूपये 230000.00 का भुगतान आदर्श इण्टरप्राइजेज को किया गया है। इस भुगतान पर अधोलिखित आपत्तियाँ है।

(अ) भुगतान के सापेक्ष 31 मार्च तक मजदूरी पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया है और मजदूरी के बिना कार्य का होना संभव नही है।

(आ) अगर कार्य नही हुआ तो स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नही किया गया।

(इ) निर्माण समिति की संस्तुति के अलावा ,एस्टिमेट, माप पुस्तिका और कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नही रहे।

(ई) त्रिस्तरीय फोटो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिसके अभाव में गतिशील और पूर्ण होने की पुष्टि नही की जा सकी।

(ऊ) सामग्री क्रय बाउचर / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहे।

इस प्रकार कुल धनराशि रूपये 230000.00 /- का अपहरण तात्कालीन ग्राम प्रधान श्री मिस शिल्पा और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक पाल द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रूपया 115000.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - इसरवार

विकास खण्ड - सेवापुरी

जनपद - वाराणसी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा मे अपहरण/ दुर्विनियोग और गंभीर अनियमितता के निम्न प्रकरण प्रकाश में आया है। उक्त प्रकरण पर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न है-

आपत्ति का विस्तृत विवरण–

आलोच्य वर्ष 2021-22 में हैडपम्प रिबोर पर कुल रू0 **1007857.00** का व्यय किया गया है। इस भुगतान पर निम्नलिखित आपत्तियाँ है-

<u>प्रस्तर-5</u>

पंचायत राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक19.07.2017 के इण्डिया मार्क हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के सन्दर्भ में प्रतीक्षा सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-6</u>

हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत / रिबोर की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि जिन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे वो खराब कब हुए और पिछली बार इनका रिबोर कब कराया गया था क्यों कि अधिकाशं रिबोर जुलाई के बाद कराए गए है और एक तिथि में कई रिबोर के भुगतान किए गए है। इसके साथ ही रिबोर के बाद इसकी चालू होने कि स्थिति संबंधी विवरण भी अप्राप्त रहा। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-7

तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई एम आई/ आर ई डी / मंडी परिषद/जिला पंचायत/डीएम के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा संगत अभिलेख के अभाव में इसकी पुष्टि नही की जा सकी। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-8

इस्टीमेट और माप पुस्तिका लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नही की गई। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-9

पंचायत लेखा मैन्नु के अध्याय 5 के बिन्दु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शा0सं0-4430/33-1-99/ एस0पी0आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बंन्धित योजनओ एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी / अनुमोदन / संस्तुति करना है आगे पंचायत राज अनुभाग 1 मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 4992/33-1-99-538/99 दिनांक 16 अगस्त 1999 के आदेश के क्रम में ग्राम निधि से भुगतान के आदेश सक्षम समिति से प्राप्त होने के उपरांत किया जायेगा लेकिन संगत अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 10

रिबोर के उपरांत स्क्रेप की स्थिति भी संगत रजिस्टर प्रस्तुत न रहने के कारण अज्ञात रही।

प्रस्तर- 11

त्रिस्तरीय फोटो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। जिसके अभाव में कार्य के गतिशील होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपरोक्त के क्रम में कुल रूपये 1007857.00 /-जिसके लिए सचिव श्री अशोक पाल और ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार सिंह उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बबियाँव

विकास खण्ड - चोलापुर

जनपद - वाराणसी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-12

आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा आँनलाइन ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ो के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई ग्रामस्वराज पर दर्शित आंकड़ो के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग और 15 वां वित्त आयोग मद में कुल उपभोग / व्यय रू0 2058270.00 दर्शित है। इस दर्शित धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक / मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली - कैशबुक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेंट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकि अनुमति, एम0 बी0, बिल/ बाउचर, मस्टररोल, मानदेय रजिस्टर, विभिन्न समितियों की यथानुसार संस्तुति , बैंक समाधान विवरण, त्रिस्तीरय फोटोग्राफ, निरीक्षण पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, टेंडर/ कोटेशन पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस प्रकार रूपया 205827.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरोजा देवी और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज त्रिपाठी उत्तरदायी हैं। अतः प्रत्येक से रू0 1029135.00 की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मुनारी
विकास खण्ड - चोलापुर
जनपद - वाराणसी
लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-13

आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा में आँनलाइन ई- ग्राम स्वराज / प्रियाशाँफ्ट के वार्षिक प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा विवरण (प्रारूप -1) पर वर्ष में उपभोग / व्यय पंचम राज्य वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग मद में कुल रूपया 5858392.05 की पुष्टि में कोई भी बाउचर / मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली - कैशबुक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजन, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकि अनुमति , एम0 बी0, बिल/ बाउचर, मस्टररोल. मानदेय रजिस्टर, विभिन्न समितियों की यथानुसार संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, निरीक्षण पंजिका ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , उपभोग प्रमाम पत्र , टेंडर / कोटेशन पत्रावली आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रू0 5858392.05 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश राम और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक कुमार राजभर उत्तरदायी है। अतः प्रत्येक से रूपया 2929196.00 की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - परानापट्टी
विकास खण्ड - चोलापुर
जनपद - वाराणसी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-14

आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा आँनलाइन ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ो के आधार पर सम्पन्न की गयी। ई ग्रामस्वराज पर दर्शित आकड़ो के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग मद में कुल उपभोग/ व्यय रू0 2033161.00 दर्शित है। इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक/ मरम्मत - निर्माण कार्य पत्रावली- कैशबुक, कार्यवाही पुस्तिका , कार्ययोजना, स्टीमेंट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकि अनुमति, एम0 बी0, बिल / बाउचर, मस्टररोल, मानदेय रजिस्टर, विभिन्न समितियों की यथानुसार संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, निरीक्षण पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , उपभोग प्रमाण पत्र टेंडर / कोटेशन पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस प्रकार रूपया 2033161.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पवन कुमार और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज त्रिपाठी उत्तरदायी हैं। अतः प्रत्येक से रूपया 1016580.50 की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ताला

विकास खण्ड - चोलापुर

जनपद - वाराणसी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-15

आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत के ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा आँनलाइन ई ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। ई ग्रामस्वराज पर दर्शित आंकड़ो के अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग मद मे कुल उपभोग / व्यय रू0 2171773.00 दर्शित है। इस दर्शित धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक / मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली, कैशबुक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकि अनुमति, एम0 बी0, बिल / बाउचर मस्टररोल ,मानदेय रजिस्टर, विभिन्न समितियों की यथानुसार संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, निरीक्षण पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , उपभोग प्रमाण पत्र, टेंडर / कोटेशन पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस प्रकार रूपया 2171773.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज त्रिपाठी उत्तरदायी है। अतः प्रत्येक से रूपया 1085886.50 की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चोलापुर

विकास खण्ड - चोलापुर
जनपद - वाराणसी
लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22
<u>प्रस्तर-16</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपम्प रिबोर पर रूपया 38000.00 का व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में जल प्रबन्धन समिति का प्रस्ताव, हैंडपम्प रिबोर होने की लाभार्थियों द्वारा सूचना, बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक , स्टीमेंट, कार्यवाही का प्रस्ताव , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं स्तरीय फोटो सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार हैंडपम्प रिबोर पर व्यय कुल रूपया 38000.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव - श्री पुनीत कुमार सोनकर द्वारा किया गया है। अतः प्रत्येक से रूपया 19000.00 की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है।

कार्य	वर्क आई डी	दिनांक	धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
महेन्द्र प्रताप के दरवाजे के पास हैण्ड पम्प रिबोर	50947165	07/07/2021	20000.00	माँ काली हार्डवेयर स्टोर
	50947165	07/07/2021	18000.00	माँ काली हार्डवेयर स्टोर

(पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 (क) के अनुसार

ग्राम पंचायत - बेला
विकास खण्ड - चोलापुर
जनपद - वाराणसी
लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22
<u>प्रस्तर-17</u>

आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा में आँनलाइन ई- ग्राम स्वराज पर वर्ष में व्यय चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद एवं 15वां वित्त आयोग मद में रू0 2266328.00 दर्शित है। इस दर्शित धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक / मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली - कैशबुक , पासबुक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना , स्टीमेट प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकि अनुमति , एम0 बी0 , बिल/ बाउचर , मस्टररोल, मानदेय रजिस्टर, विभिन्न समितियों की यथानुसार संस्तुति , बैंक समाधान विवरण , त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, निरीक्षण पंजिका , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , उपभोग प्रमाण पत्र , टेंडर/ कोटेशन पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपभोग धनराशि की पुष्टि नही की जा सकी। इस प्रकार रूपया 2266328.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सूबेदार और तत्कालीन ग्राम

पंचायत सचिव श्री मनोज त्रिपाठी उत्तरदायी है । अतः प्रत्येक से रूपया 1133164.00 की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सहरही
विकास खण्ड - काशी विद्यापीठ
जनपद - वाराणसी
लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-18

आलोच्य वर्ष 2021-22 में निम्न अपहरण / दुर्विनियोग /गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए है। जिसकी तरफ विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विस्तृत विवरण निम्न है।

आलोच्य वर्ष 2021-22 में प्रशासनिक मद में अधोलिखित भुगतान किये गये है।

क- ई- ग्राम स्वराज के अनुसार दिनांक 11.03.22 जबकि कैशबुक / पासबुक के अनुसार दिनांक 15.03.22 को रू0 46500.00 का श्री राम इण्टरप्राइजेज को (पंचम राज्य वित्त)

ख- ई ग्राम स्वराज के अनुसार दिनांक 24.01.21 जबकि कैशबुक / पासबुक के अनुसार दिनांक 18.02.22 को रू0 5000.00 का श्री सुजीत पटेल को (पंचम राज्य वित्त)

इस प्रकार कुल व्यय रूपये 51500.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक और अन्य संगत अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये।

अतः कुल धनराशि रूपये 51500.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र पटेल और ग्राम पंचायत सचिव श्री दिलीप सिंह उत्तरदायी है। प्रत्येक से रूपया 25750.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - फूलपुर विकास खण्ड - चिरईगाँव जनपद - वाराणसी
लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-19

क्रं0 सं0	कार्य का नाम व दिनांक	सामग्री	श्रमांश	कुल व्यय

1.	आशुतोष मौर्या के घर से अशोक मौर्या के घर तक सीवर कार्य। 09.01.2022	66791.00	16063.00	82854.00
2.	मिथिलेख के घर से बेचन पाल के घर तक सीवर कार्य। 01.02.2022	101878.00	30372.00	132250.00
	योग -	168669.00	46435.00	215104.00

ग्राम पंचायत के फूलपुर के ग्राम निधि (5वाँ राज्य वित्त / 15वाँ केन्द्रीय वित्त) उक्त दर्शित व्यय 215104.00 के अन्तर्गत लेखा परीक्षा मे कराये गये निर्माण कार्यो में सीवर कार्य पर पी0 एफ0 एम0 एस0 के द्वारा भुगतान किया गया, किन्तु व्यय के सापेक्ष पुष्टि हेतु वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणक की मूलप्रति (बिल) मस्टर रोल / ट्रान्सफर विवरण मूल पत्रावलियों एवं अन्य यथावश्यक अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाए जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य य़ोजना , सम्बन्धित समितियां व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर प्रमाणित कोषबही सामग्री व्यय हेतु कोटेशन /टेण्डर , सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकि , वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियां, त्रिस्तरीय फोटो , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नही कराया गया।

इस प्रकार रू0 215104.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विशाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पियूष सिंह द्वारा किया गया प्रत्येक से रू0 107552.00 की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रामपुरविकास खण्ड - चिरईगाँव जनपद - वाराणसी
लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

<u>प्रस्तर-20</u>

दिनांक	कार्य का नाम व दिनांक	धनराशि	विवरण
	कैशबुक में दर्शित विवरण पी0 एफ0 एन0 एस0 द्वारा लल्लू के घर से श्याम जी के घर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य का भुगतान	88877.00	सागर ईट उद्योग
		23051.00	पंकज वि0 मै0
		58672.00	दूधनाथ
	य़ोग -	**170600.00**	

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियाँ निम्न है

1. उपरोक्त सामग्री क्रय का प्रमाणक एवं मजदूरी का मस्टर रोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया है।
2. उपरोक्त दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिर्पोट , निरीक्षण प्रमाण पत्र कार्यपूर्त प्रमाण पत्र , उपभोग प्रमाण पत्र , परिसम्पत्ति पंजिका आदि जैसे पुष्टिकारक अभिलेख उपलब्ध नही रहे ऐसे में कार्य एवं व्य़य आदि की पुष्टि नही हो सकी।

इस प्रकार रू0 170600.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मोहम्दं इस्लाम फरीदी द्वारा किया गया प्रत्येक से रू0 85300.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कोहासी
विकास खण्ड - हरहुआ
जनपद - वाराणसी
लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-21

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि ग्राम पंचायत कोहासी की ग्राम निधि के खाते में वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष रू0 1918586.02 था तथा वर्ष के दौरान रू0 1320952.00 अनुदान के रूप में धनराशि प्राप्त हुई ग्राम पंचायत के पास कुल रूपया 3239538.02 के सापेक्ष वर्ष में रू0 1000.00 की धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी दिनांक 07.09.2021 को कैशबुक में राज्य को वापस की गयी दर्शित है। शेष धनराशि रू0 3238538.02 वर्षान्त तक खाते में अपयुक्त पड़ी रही। ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्यो पर कोई भी धनराशि व्यय नही की गयी है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री चंचल रेड्डी उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - भोजूबीर
विकास खण्ड - आराजीलाइन
जनपद - वाराणसी
लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-22

ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 19.05.21 ग्राम निधि खाता एक इण्डियन बैंक कचनार राजातालाब खाता संख्या 50322398231 से कुल अवशेष धनराशि रू0 507928.00 को स्वच्छ भारत मिशन मद में स्थानान्तरित कर दिया गया है। खाते के बैंक स्टेटमेंट में उक्त लेन देन का विवरण आहरण स्थानान्तरण स्वच्छ भारत मिशन lआई0डी0आई0बी0आर0 52021051923530578 से 98906000129 अंकित है तथा ग्राम पंचायत की कैशबुक में बैंक द्वारा एस0 बी0 एम0 के खाते में धनराशि हस्तान्तरित अंकित है। धनराशि के इस स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई विभागीय आदेश अथवा शासनादेश लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा इससे स्पष्ट है कि स्थापित नियमों का उलंघन कर ग्राम पंचायत के विकास कार्यो हेतु प्राप्त धनराशि को दूसके मद में स्थान्तरित कर दुरूपयोग किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री बलिराम पटेल तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती पूजा मौर्या उत्तरदायी है। अतः विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - वादीपुर
विकास खण्ड - आराजीलाइन
जनपद - वाराणसी
लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-23

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत वादीपुर के आँन /आँफलाइन आडिट हेतु इटिंमेशन लेटर दिनांक 23.08.22 को प्रेषित किया गया था और सम्बन्धित सचिव द्वारा स्वीकार भी किया गया था किन्तु बार - बार अभिलेख मांगे जाने के बावजूद केवल बैंक स्टेटमेंट और कैशबुक जिसपर सचिव या प्रधान के हस्ताक्षर नही है भी उपलब्ध कराया गया लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक , कार्य योजना, स्टीमेंट , एम0 बी0 तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि भी उपलब्ध नही कराया गया जिससे कुल दर्शित व्यय रू0 243155.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री शिव शंकर सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती प्रीति वर्मा उत्तरदायी है।

अतः प्रत्येक से रू 121577.50 की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - लच्छापुर
विकास खण्ड - आराजीलाइन
जनपद - वाराणसी
लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-24

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा हैण्ड पम्प रिबोर एवं समरसेबल पर रू0 217300.00 का व्यय किया गया है उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में जल प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव , हैण्ड पम्प रिबोर होने की लाभार्थियों द्वारा दिया गया सूचना पत्र, बिल बाउचर/ व्यय प्रमाणक , कार्य का स्टीमेंट माप पुस्तिका , कार्यवाही का प्रस्ताव , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं त्रिस्तरीय फोटो सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये इस प्रकार हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय कुल रू0 217300.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती प्रीति वर्मा द्वारा किया गया है।

अतः प्रत्येक से रू0 108650.00 की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सरायतक्की विकास खण्ड - पिण्डरा जनपद - वाराणसी
लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-25

ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 17.07.2021 ग्राम निधि खाता प्रथम राजेश के चक से बृजभूषण की मशीन तक खड़न्जा कार्य हेतु सामग्री क्रय पर रू0 155925.00 तथा मजदूरी भुगतान पर रू36000.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर कुल रू0 191925.00 किया गया है उक्त व्यय से सम्बन्धित कार्यवाही पंजिका , कार्ययोजना, प्राक्कलन, सामग्री क्रय प्रमाणक, मस्टर रोल , माप पुस्तिका , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये।

अतः कुल धनराशि रू0 191925.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए श्री राजेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री राजकुमार ग्राम प्रधान उत्तरदायी है प्रत्येक से रू0 95962.50 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - महंगाँव
विकास खण्ड - पिण्डरा
जनपद - वाराणसी
लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

प्रस्तर-26

आलोच्य वर्ष 2021-22 के ग्राम पंचायत महंगाँव की लेखा परीक्षा में अपहरण/ दुर्विनियोग / गंभीर अनियमितता का प्रकरण प्रकाश में आया है विभागीय अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है विवरण निम्न प्रकार है।

आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा पंचम राज्य वित्त से कराये गये कार्य पर रू0 169102.00 सामग्री एवं रू0 20000.00 मजदूरी पर व्यय किया गया है इस प्रकार कुल रू0 189102.00 व्यय किया गया है उक्त व्यय के सम्बन्ध में अधोलिखित आपत्तियाँ पायी गयी है।

1. निर्माण समिति का प्रस्ताव का , संस्तुति आदि से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहा।
2. कार्य का प्रस्ताव , स्टीमेंट , कार्यादेश , माप पुस्तिका व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
3. सामग्री क्रय का बाउचर / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।
4. त्रिस्तरीय फोटो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा जिसके अभाव में कार्य के गतिशील और पूर्ण होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस प्रकार कुल व्यय रू0 189102.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुबास चन्द्र एवं तत्कालीन पंचायत सचिव श्री नीलाम्बर यादव द्वारा किया गया है अतः प्रत्येक से रू0 94551.00 की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जगदीशपुर विकास खण्ड - पिण्डरा जनपद - वाराणसी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

<u>प्रस्तर-27</u>

ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 14.12.2021 को केन्द्रीय वित्त खाता से विभिन्न स्थानों पर सोख्ता गढ्ढा निर्माण पर रू0 169600.00 एवं विभिन्न स्थानों पर चबूतरा निर्माण पर रू0 168800.00 कैशबुक में व्यय दर्शित है इस प्रकार उपरोक्त कार्य पर कुल व्यय रू0 338400.00 किया गया है उक्त व्यय से सम्बन्धित कार्यवाही पंजिका , कार्ययोजना , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराये गये।

अतः कुल धनराशि रू0 338400.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए श्री डब्लू यादव ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री राजेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान उत्तरदायी है प्रत्येक से रू0 169200.00 की ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - देवराई

विकास खण्ड - पिण्डरा

जनपद - वाराणसी

लेखा परीक्षा वर्ष- 2021-22

<u>प्रस्तर-28</u>

ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनांक 02.12.2021 को केन्द्रीय वित्त मद से पिच रोड़ो पर लगाने हेतु ह्यूम पाइप क्रय हेतु दिलीप इण्टरप्राइजेज को रू0 198692.00 का भुगतान किया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित कार्यवाही पंजिका , कार्ययोजना, कार्यस्थल का स्पष्ट विवरण , सामग्री क्रय प्रमाणक , मस्टर रोल , कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नही कराये गये।

अतः कुल धनराशि रू0 198692.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए श्री अशोक कुमार (ग्राम पंचायत अधिकारी) तथा श्रीमती पूनम कुमारी (ग्राम प्रधान) उत्तरदायी है। प्रत्येक से रू0 99346.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

जनपद- भदोही मण्डल का नाम- विंध्याचल

जनपद- भदोही

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

1-ग्राम पंचायत खेतलपुर से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर –1

ग्राम पंचायत खेतलपुर विकासखंड भदोही जनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु 1681192=00 आहरण करके व्यय किया गया।

उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक स्टाक पंजिका, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है। और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर : (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु० 1681192=00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जगदीश पाण्डेय व प्रधान श्रीमती आशा देवी से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

(स0 आ0 सं०-9)

2- ग्राम पंचायत झिन्गुरपुर से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -2

ग्राम पंचायत झिन्गुरपुर विकासखंड भदोही जनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु 1404107=00 आहरण करके व्यय किया गया।

उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक (स्टाक पंजिका, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है। और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु० 1404107=00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की

कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती पूजा मौर्या व प्रधान श्री रमजान से वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

(स0 आ0 सं०-9)

3- ग्राम पंचायत घसकारी से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -3

ग्राम पंचायत घसकारी विकासखंड भदोही जनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु 3107132=00 आहरण करके व्यय किया गया।

उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक (स्टॉक पंजिका, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है। और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु०. 3107132=00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती पूजा मौर्या व प्रधान श्री मनीष पटेल से वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(स0 आ0 सं०-9)

4- ग्राम पंचायत धंवतिया से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -4

ग्राम पंचायत धंवतिया विकासखंड भदोही जनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु 1052642=00 आहरण करके व्यय किया गया।

उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक (स्टाक पंजिका भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है। और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता

है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु०. 1052642=00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र व प्रधान श्रीमती नीलम देवी से वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(स0 आ0 सं०-9)

5- ग्राम पंचायत सरोई से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -5

ग्राम पंचायत सरोई विकासखंड जनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रू 1705587=00 आहरण करके व्यय किया गया।

उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक (स्टाक पंजिका, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है। और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू 1705587=00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप कुमार बिन्द व प्रधान श्रीमती नीलम देवी से वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(स0 आ0 सं०-11)\

6-ग्राम पंचायत- सहसेपुर भदोही से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -6

वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम के अन्तर्गत दिनांक 11-10-2021 को प्रिया साफ्ट कैशबुक के अनुसार रू० 157756.00 (31516+31710+31430 +31540 +31560) हैण्ड पम्प रिवोर कार्य सामाग्री मय मजदूरी कय पर व्यय दर्शित है, किन्तु रू0 157756.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही रहा, जो ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) का उल्लघंन है, जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी । इस प्रकार उक्त व्यय कोषवही में काल्पानिक रूप से व्यय दर्शित कर रू0 157756.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से

उत्तरदायी है । अतः रू0 157756.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री दयाशंकर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार पटेल से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है

(स0 आ0 सं०-)

7-ग्राम पंचायत- चकबीरा भदोही से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -7

वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत दिनांक 19-02-2022 को प्रिया साफ्ट कैशबुक के अनुसार रू0 71400 (35500+35900) हैण्ड पम्प मरम्मत सामाग्री क्रय पर एवं रू0 25856 (12928+12928) मजदूरी कुल रू0 97256.00 व्यय दर्शित है, किन्तु रू० 97256.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक स्टाक रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही रहा, जो ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) का उल्लघंन है, जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी । इस प्रकार उक्त व्यय कोषवही में काल्पानिक रूप से व्यय दर्शित कर रू0 97256. 00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है । अतः रू0 97256.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनोद कौशल से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

(स0 आ0 सं०-)

8-ग्राम पंचायत- दुड़ाव भदोही से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -8

वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम के अन्तर्गत दिनांक 27-10-2021 को प्रिया साफ्ट कैशबुक के अनुसार रू० 70300.00 (35200+35100) हैण्ड पम्प मरम्मत सामाग्री क्रय पर एवं रू0 25856 (12928+12928) मजदूरी कुल रू0 96156.00 व्यय दर्शित है, किन्तु रू0 96156.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही रहा, जो ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) का उल्लघंन है, जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी । इस प्रकार उक्त व्यय कोषवही में काल्पानिक रूप से व्यय दर्शित कर रू0 96156.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है । अतः रू० 96156.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री संजय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री महेश सिंह से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

(स0 आ0 सं०-)

9-ग्राम पंचायत- उमापुर भदोही से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -9

वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि पन्द्रहवां वित्त आयोग के अन्तर्गत दिनांक 09-02-2022 को प्रिया साफ्ट कैशबुक के अनुसार रू0 63500.00 (34400+32100) हैण्ड पम्प रिवोर कार्य सामाग्री मय मजदूरी कय पर व्यय दर्शित है, किन्तु रू0 63500.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही रहा, जो ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) का उल्लघंन है जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी । इस प्रकार उक्त व्यय कोषवही में काल्पनिक रूप से व्यय दर्शित कर रू0 63500.00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी है । अतः रू0 63500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बदामा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार पटेल से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

(स0 आ0 सं०-)

10- ग्राम पंचायत रोही से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -10

ग्राम पंचायत रोही विकास खण्ड ज्ञानपुर की लेखा परीक्षा हेतु प्रियासाफ्ट पर अपलोड की गयी सूचनाओं एंव बैंक स्टेटमेन्ट को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रू0 1268292.00 आहरण करके व्यय किया गया है ।

उक्त धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष्य न ता कैशबुक रसीद बुक व्यय प्रमाणक स्टाक पंजीकरण, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कर कटौती आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा ।

अतः स्पष्ट है कि आगे लेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि रूपया 1268292.00 तत्कालोन ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है । ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नही कराने की दशा में दर्शायी गई धनराशि गबन के अर्न्तगत आता है । स्पश्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 1268292.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एंव 257 के अर्न्तगत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है । अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एंव ग्राम प्रधान का विभागीय अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत को पहुचायी गयी हानि की पूर्ति अपेक्षित है ।

इस प्रकार रू0 1268292.00 बैंक द्वारा आहरण कर फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है । जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री श्रीमती बन्दना देवी सचिव / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दिलीप यादव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल करने की कार्यवाही की जानो अपेक्षित है ।

(स0 आ0 सं०-1)\

11- ग्राम पंचायत कॉवल से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -11

ग्राम पंचायत कॉवल विकास खण्ड ज्ञानपुर की लेखा परीक्षा हेतु प्रियासाफ्ट पर अपलोड की गयी सूचनाओं एंव बैंक स्टेटमेन्ट को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रू0 1918554.00 आहरण करके व्यय किया गया है ।
उक्त धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष्य न ता कैशबुक रसीद बुक व्यय प्रमाणक स्टाक पंजीकरण, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कर कटौती आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा ।
अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि रूपया 1918554.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है । ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नही कराने की दशा में दर्शायी गई धनराशि गबन के अर्न्तगत आता है । स्पश्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 1918554.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एंव 257 के अर्न्तगत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है । अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एंव ग्राम प्रधान का विभागीय अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत को पहुचायी गयी हानि की पूर्ति अपेक्षित है ।
इस प्रकार रू0 1918554.00 बैंक द्वारा आहरण कर फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है । जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री सविता देवी सचिव / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विजय सोनी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल करने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(स0 आ0 सं०-1)

12- ग्राम पंचायत पूरेरजा से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -12
ग्राम पंचायत पूरेरजा विकास खण्ड ज्ञानपुर की लेखा परीक्षा हेतु प्रियासाफ्ट पर अपलोड की गयी सूचनाओं एंव बैंक स्टेटमन्ट को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रू0 1403735.00 आहरण करके व्यय किया गया है ।
उक्त धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष्य न ता कैशबुक . रसीद बुक व्यय प्रमाणक स्टाक पंजीकरण, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कर कटौती आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा
अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि रुपया 1403735.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है । ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नही कराने की दशा में दर्शायी गई धनराशि गबन के अर्न्तगत आता है । स्पश्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि नियमावली 1947 के नियम 256 एंव 257 के अर्न्तगत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत रू0 1403735.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज की जाती है । अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे ग्राम पंचायत अधिकारी एंव ग्राम प्रधान का विभागीय

अभिलेखों के अनुसार ग्राम आधे का दायित्व पंचायत को पहुचायी गयी हानि की पूर्ति अपेक्षित है ।
इस प्रकार रू0 1403735.00 बैंक द्वारा आहरण कर फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है । जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री अक्षय कुमार उपाध्याय सचिव / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विजय सोनी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल करने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(स0 आ0 सं०-1)

13- ग्राम पंचायत भिडिउरा से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -13
ग्राम पंचायत भिडिउरा विकास खण्ड ज्ञानपुर की लेखा परीक्षा हेतु प्रियासाफ्ट पर अपलोड की गयी सूचनाओं एंव बैंक स्टेटमेन्ट को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रू0 2528160.00 आहरण करके व्यय किया गया है ।
उक्त धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष्य न ता कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक स्टाक पंजीकरण भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कर कटौती आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा ।
अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि रूपया
2528160.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है । ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नही कराने की दशा में दर्शायी गई धनराशि गबन के अर्न्तगत आता है । स्पश्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 2528160.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एंव 257 के अर्न्तगत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है । अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे - आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एंव ग्राम प्रधान का विभागीय अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत को पहुचायी गयी हानि की पूर्ति अपेक्षित है ।
इस प्रकार रू0 2528160.00 बैंक द्वारा आहरण कर फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है । जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राहुल पाण्डेय सचिव / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री पूर्णेन्दू / संतोष यादव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल करने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । ।

(स0 आ0 सं०-1)

14- ग्राम पंचायत पिलखुना से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -14

ग्राम पंचायत पिलखुना विकास खण्ड ज्ञानपुर की लेखा परीक्षा हेतु प्रियासाफ्ट पर अपलोड की गयी सूचनाओं एंव बैंक स्टेटमेन्ट को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रू0 898720.00 आहरण करके व्यय किया गया है ।
उक्त धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष्य न ता कैशबुक रसीद बुक व्यय प्रमाणक स्टाक पंजीकरण, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कर कटौती आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा ।
अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि रूपया 898720.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है । ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नही कराने की दशा में दर्शायी गई धनराशि गबन के अर्न्तगत आता है । स्पश्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 898720.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एंव 257 के अर्न्तगत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है । अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आ आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एंव ग्राम प्रधान का विभागीय अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत को पहुचायी गयी हानि की पूर्ति अपेक्षित है ।
इस प्रकार रू0 898720.00 बैंक द्वारा आहरण कर फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है । जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री अर्पणा मिश्रा सचिव / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री गुरू दयाल गुप्ता से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल करने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(स0 आ0 सं०-1)

15 ग्राम पंचायत गहरपुर से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -15
ग्राम पंचायत गहरपुर विकास खण्ड ज्ञानपुर की लेखा परीक्षा हेतु प्रियासाफ्ट पर अपलोड की गयी सूचनाओं एंव बैंक स्टेटमन्ट को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रू0 3464246.00आहरण करके व्यय किया गया है ।
उक्त धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष्य न ता कैशबुक रसीद बुक व्यय प्रमाणक स्टाक पंजीकरण, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कर कटौती आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा ।
अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि रूपया 3464246.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है । ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नही कराने की दशा में दर्शायी गई धनराशि गबन के अर्न्तगत आता है । स्पश्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 3464246.00को उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एंव 257 के अर्न्तगत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है । अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एंव ग्राम प्रधान का

विभागीय अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत को पहुचायी गयी हानि की पूर्ति अपेक्षित है ।

इस प्रकार रू0 3464246.00 बैंक द्वारा आहरण कर फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है । जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री अनप कुमार सिंह सचिव / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री लक्ष्मण यादव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल करने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(स0 आ0 सं०1-)

16- ग्राम पंचायत गोपीपुर से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -16

गाम पंचायत गोपीपुर विकास खण्ड ज्ञानपुर की लेखा परीक्षा हेतु प्रियासाफ्ट पर अपलोड की गयी सूचनाओं एंव बैंक स्टेटमेन्ट को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रू0 1498029.00 आहरण करके व्यय किया गया है ।

उक्त धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष्य न ता कैशबुक रसीद बुक व्यय प्रमाणक . स्टाक पंजीकरण, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कर कटौती आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा ।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि रूपया 1498029.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है । ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नही कराने की दशा में दर्शायी गई धनराशि गबन के अर्न्तगत आता है । स्पश्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 1498029.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एंव 257 के अर्न्तगत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है । अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे ग्राम पंचायत अधिकारी एंव ग्राम प्रधान का विभागीय अभिलेखों के अनुसार ग्राम आधे का दायित्व पंचायत को पहुचायी गयी हानि की पूर्ति अपेक्षित है ।

इस प्रकार रू0 1498029.00 बैंक द्वारा आहरण कर फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रो पिंकी मिश्रा सचिव / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री लक्ष्मण यादव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल करने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

(स0 आ0 सं०1-)

17- ग्राम पंचायत वाणी से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -17

ग्राम पंचायत वाणी विकासखंड भदोही जनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु1952499=00 आहरण करके व्यय किया गया।
उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक (स्टाक पंजिका, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है। और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।
अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।
"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर : (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु०. 1952499=00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जगदीश पाडेण्य व प्रधान श्रीमती सावित्रि देवी से वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(स0 आ0 सं०-9)

18- ग्राम पंचायत जगदीशपुर से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -18
ग्राम पंचायत जगदीशपुर विकासखंड भदोही जनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु1735316=00 आहरण करके व्यय किया गया।
उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक (स्टाक पंजिका, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है। और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।
अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।
"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है ।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु०. 1735316=00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है।
अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार व प्रधानश्रीमती साधना देवी से वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(स0 आ0 सं०-9)

19- ग्राम पंचायत मालूपुर से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -19

ग्राम पंचायत मालूपुर विकासखंड भदोही जनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु 3357675=00 आहरण करके व्यय किया गया।

उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक (स्टाक पंजिका, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है। और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु० 3357675=00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जगदीश पाण्डेय व प्रधान श्रीमती रिंकी देवी से वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(स0 आ0 सं०-9)

20- ग्राम पंचायत नगुआ से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -20

ग्राम पंचायत नगुआ विकासखंड भदोही जनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु 787829 =00 आहरण करके व्यय किया गया।

उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक (स्टाक पंजिका, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है। और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।

“ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु०787829 =00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की

कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरूण चौबे व प्रधान श्री रंजीत राम यादव वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(स0 आ0 सं०11-)

21- ग्राम पंचायत नेवादा कला से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -21

ग्राम पंचायत नेवादा कला विकासखंड भदोही जनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु2793301=00 आहरण करके व्यय किया गया।

उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक (स्टाक पंजिका, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है। और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है ।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु०. 2793301=00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरूण चौबे व प्रधान श्री दिनेश चन्द्र पाठक से वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(स0 आ0 सं०-11)

22- ग्राम पंचायत बढौना से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -22

ग्राम पंचायत बढौना विकासखंड भदोहीजनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु 1718041=00 आहरण करके व्यय किया गया।

उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक (स्टाक पंजिका, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है। और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु०. 1718041=00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है।
अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री जगदीश पाण्डेय व प्रधान श्री प्रवीण कुमार से वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(स0 आ0 सं०-9

23- ग्राम पंचायत बरईपुर से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -23
ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नही किए गए । जबकि उनके द्वारा प्रिया सॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कुल रू0 702648.00 आहरण करके व्यय किया गया ।

उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष मे किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक , रसीद बुक व्यय प्रमाणक स्टाक पंजिका , भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नही रखा है , और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है ।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि तत्कालीन प्रधान एंव ग्राम विकास अधिकारी ,द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष ने किया गया है ।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आती है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु०. 702648=00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्नीलाल एवं प्रधान श्रीमती तारा देवी से वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(स0 आ0 सं०1-

24-ग्राम पंचायत- बैराखास भदोही से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -24
ग्राम पंचायत बैराखस विकास खण्ड औराई जनपद भदोही की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित विवरण के अनुसार गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया जिसका निराकरण अपेक्षित है।
आलोच्य वर्ष में निम्न लिखित विवरण के अनुसार रू0 316400 का व्वय हैण्ड पम्प रिबोर पर किया गया है।

कंमाक	दिनांक	धनराशि
1	22-9-2021	31200
2	22-9-2021	31300
3	22-9-2021	31400
4	22-9-2021	31500
5	22-9-2021	31600
6	22-9-2021	33000
7	26-9-2021	31400
8	26-9-2021	31600
9	26-9-2021	31700
10	26-9-2021	31700
		316400

जिसमें निम्नलिखित आपत्तियां हैं। जिनका निराकरण अपेक्षित है:--

1 - उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल आदि अप्राप्त रहा। ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8. (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गहन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी ।

2 - स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

3 - कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र अप्राप्त रहा ।

4 - टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया। शासनादेश सं0 ए-1-864 / दस -08-15(1) / 86 दिनांक - 23 सितम्बर 2008 का अनुपालन नहीं किया गया।

5 - कार्य की एम. बी. अप्राप्त रहा ।

6 - हैण्ड पम्प रिबोर स्थलों की सूची; लाभार्थियों का विवरण सूची अप्राप्त रहा । हैण्ड पम्प में निकली डिस्पोजल सामग्री का स्टाक रजि० प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही डिस्पोजल सामग्री बेचे जाने का उल्लेख कैशबुक में किया गया है।

7-जल प्रबंधन समिति की कार्यवाही पंजिका अप्राप्त रहा ।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड -8क, 8ख एवं उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा -27 के अधीन जो अपहरण / दुर्विनियोग / गम्भीर अनियमितता है जो अधिभार के योग्य है । अतः उक्त रु0. 316400.00 की वसूली श्री

अजीत सिंह ग्राम पंचायत सचिव एवं श्री त्रिभुवननाथ बिन्द ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है ।

(स0 आ0 सं०-11

25-ग्राम पंचायत- अलुआ भदोही से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -25

ग्राम पंचायत अलुआ विकास खण्ड औराई जनपद भदोही की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में निम्न लिखित विवरण के अनुसार गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आया जिसका निराकरण अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष में निम्न लिखित विवरण के अनुसार रू0 157000-00 का व्वय हैण्ड पम्प रिबोर पर किया गया है।

कंमाक	दिनांक	धनराशि
1	15-10-21	31200
2	15-10-21	31400
3	15-10-21	31300
4	15-10-21	31500
5	15-10-21	31600
6		157000

1 - उक्त व्यय से संबंधित व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल आदि अप्राप्त रहा । ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8. (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी ।

2 - स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

3 - कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र अप्राप्त रहा ।

4 - टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया। शासनादेश सं0 ए-1-864 / दस -08-15 (1) / 86 दिनांक - 23 सितम्बर 2008 का अनुपालन नहीं किया गया ।

5- कार्य की एम. बी. अप्राप्त रहा ।

6 - हैण्ड पम्प रिबोर स्थलों की सूची, लाभार्थियों का विवरण सूची अप्राप्त रहा । हैण्ड पम्प में निकली डिस्पोजल सामग्री का स्टाक रजि० प्रस्तुत नहीं किया गया है। और न ही डिस्पोजल सामग्री बेचे जाने का उल्लेख कैशबुक में किया गया है।

7 -- जल प्रबंधन समिति की कार्यवाही पंजिका अप्राप्त रहा । :

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड - 8क, 8 एवं उ0 प्र0 पंचायती राज नियमावली के नियम 204 एवं 205 तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा -27 के अधीन जो अपहरण / दुर्विनियोग / गम्भीर अनियमितता है जो अधिभार के योग्य है । अतः उक्त रु0. 157000.00 की वसूली श्री अजीत सिंह ग्राम पंचायत सचिव एवं श्री जितेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान से किया जाना अपेक्षित है ।

(स0 आ0 सं०-11

26-ग्राम पंचायत- फत्तुपुर ब्रह्मनाल भदोही से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -26

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ग्राम पंचायत फत्तुपुर ब्रह्मनाल द्वारा रू = 1055115/ व्यय ऑनलाइन दर्शित है | परन्तु उक्त व्यय के प्रमाणक के रूप में दिनांक 31.3.23 तक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया | उक्त ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट में दर्शित आंकड़ो के आधार पर की गयी है । कोई भी मूल अभिलेख ना प्रस्तुत किये जाने से स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण धनराशि रु0 1055115 / का ऑनलाइन काल्पनिक रूप से व्यय दिखाकर प्रधान श्री राजेश शर्मा तथा सचिव श्री मुकेश कुमार सरोज द्वारा अपहरण कर लिया गया है | अतः रु 1055115 / की वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश शर्मा तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री मुकेश कुमार सरोज से किया जाना अपेक्षित है |

(स0 आ0 सं०-1

27-ग्राम पंचायत- हरदुआ भदोही से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर - 27

वर्ष 2021-22 के दौरान ग्राम पंचायत हरदुआ द्वारा रु0 = 2549476/ व्यय ऑनलाइन दर्शित है | परन्तु उक्त व्यय के प्रमाणक के रूप में दिनांक 31.3.23 तक कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया | उक्त ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट में दर्शित आंकड़ो के आधार पर की गयी है | कोई भी मूल अभिलेख ना प्रस्तुत किये जाने से स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण धनराशि रु0 2549476 / का ऑनलाइन काल्पनिक रूप से व्यय दिखाकर प्रधान श्रीमती अनीता देवी तथा सचिव श्री गुरु दयाल गुप्ता द्वारा अपहरण कर लिया गया है | अतः रु 2549476 / की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री गुरु दयाल गुप्ता से किया जाना अपेक्षित है

(स0 आ0 सं०-1

28-ग्राम पंचायत- आनंदडीह भदोही से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -28

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ग्राम पंचायत आनंदडीह द्वारा रू = 2291382 / व्यय ऑनलाइन दर्शित है | परन्तु उक्त व्यय के प्रमाणक के रूप में दिनांक 31.3.23 कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया | उक्त ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण

लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट में दर्शित आंकड़ो के आधार पर की गयी है | कोई भी मूल अभिलेख ना प्रस्तुत किये जाने से स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण धनराशि रु0 =2291382 / का ऑनलाइन काल्पनिक रूप से व्यय दिखाकर प्रधान श्री नईमुल्ला तथा सचिव श्री अनुपम कुमार दिवेदी द्वारा अपहरण कर लिया गया है | अतः रु 2291382 / की वसूली ग्राम प्रधान श्री नईमुल्ला तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री अनुपम कुमार दिवेदी से किया जाना अपेक्षित है |

(स0 आ0 सं०-1

29-ग्राम पंचायत- करनपुर भदोही से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -29

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ग्राम पंचायत करनपुर द्वारा रू = 2223849/ व्यय ऑनलाइन दर्शित है | परन्तु उक्त व्यय के प्रमाणक के रूप दिनांक 31.3.23 में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया | उक्त ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट में दर्शित आंकड़ो के आधार पर की गयी है | कोई भी मूल अभिलेख ना प्रस्तुत किये जाने से स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण धनराशि रु0 =2223849 / का ऑनलाइन काल्पनिक रूप से व्यय दिखाकर प्रधान श्री अनिल कुमार बिंद तथा सचिव गुरु दयाल गुप्ता द्वारा अपहरण कर लिया गया है | अतः रु 2223849 / की वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार बिंद तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री गुरु दयाल गुप्ता से किया जाना अपेक्षित है

(स0 आ0 सं०-1

30-ग्राम पंचायत- सरायहोला भदोही से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -30

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ग्राम पंचायत सरायहोला द्वारा रू = 397247/ व्यय ऑनलाइन दर्शित है | परन्तु उक्त व्यय के प्रमाणक के रूप दिनांक 31.3.23 में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया | उक्त ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट में दर्शित आंकड़ो के आधार पर की गयी है | कोई भी मूल अभिलेख ना प्रस्तुत किये जाने से स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण धनराशि रु0 = 397247 / का ऑनलाइन काल्पनिक रूप से व्यय दिखाकर प्रधान श्रीमती समराजी देवी तथा सचिव प्रियंका सिंह द्वारा अपहरण कर लिया गया है । अतः रु 397247 / की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती समराजी देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी प्रियंका सिंह से किया जाना अपेक्षित है

(स0 आ0 सं०-1 31-

ग्राम पंचायत जगापुर से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -31

ग्राम पंचायत जगापुर विकासखंड डीघ जनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए | जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु 57923=00 आहरण करके व्यय किया गया।

उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायते जगापुर के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कॅशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक (स्टाक पंजिका भुगतान की पुष्टि मैं माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है। और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।
अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि तत्कालीन प्रधान श्री प्रवीण कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरुण कुमार बिंद द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।
"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युज अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु०57923=00
को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरुण कुमार बिंद प्रधान श्री प्रवीण कुमार से वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(स0 आ0 सं०-11

प्रस्तर -32
ग्राम पंचायत जगापुर में वित्त वर्ष 21/22 में बैंक खाते में रु 967098=88 था जिसे शासन की मंशा नुसार विकास कार्यों में उपभोग किया जाना चाहिए किंतु तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, श्री अरुण कुमार बिंद, एवम तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रवीण कुम्हार दवारा उक्त राशि को विकास कार्यों में उपभोग न करके नियमों का उलंघन किया गया। जिससे की विकास कार्य अवरुद्ध हुआ । फलतः ऐसा प्रतीत होता है की ग्राम पंचायत को अनुदान की आवश्यकता नहीं हैं ।। तथा भाविष्य में अनुदान का समय पर उपभोग किया जाना चाहिए हैं ।तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री अरुण कुमार बिंद एवम तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रवीण कुमार के प्रति विभागीय कार्रवाई अपेक्षित है ।

(स0 आ0 सं०-2

32- ग्राम पंचायत बनकट उपरवार से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -33
ग्राम पंचायत बनकट उपरवार विकासखंड डीघ जनपद अदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए । जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु 3177969-00 आहरण करके व्यय किया गया।
उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक (स्टाक पंजिका भुगतान की पुष्टि मै माग पुस्तिका कार्यपूर्ति पमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि तत्कालीन प्रधान श्री यशवंत बहादुर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी नीरज मिश्रा दवारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।
"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है।' स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु०3177969=00को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है।
अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नीरज मिश्रा प्रधान श्री यशवंत बहादुर से वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(स0 आ0 सं०-11

33- ग्राम पंचायत बैरीबीसा से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -34
ग्राम पंचायत बैरीबीसा विकासखंड डीघ जनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु 3363946= 40 आहरण करके व्यय किया गया।
धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत वैरीबीसा के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक र प्रमाणक (स्टाक पंजिका भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।
अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि तत्कालीन प्रधान श्री दिलीप कुमार मिश्रा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अरुण कुमार बिन्द द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।
“ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु० 3363946 40 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरुण कुमार विन्द प्रधान श्री दिलीप कुमार मिश्रा से वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(स0 आ0 सं०-1

34- ग्राम पंचायत त्रिभुवनपुर से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -35

ग्राम पंचायत त्रिभुवनपुर विकासखंड डीघ जनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु 1576057.00 आहरण करके व्यय किया गया।

उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक (स्टाक पंजिका भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है। और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।

अतः स्पष्ट हैं कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि तत्कालीन प्रधान श्रीमती रन्नो देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी मुन्नीलाल द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु०. 1576057=00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्नीलाल एवं प्रधान श्रीमती रन्नो देवी से वसूल किया जाना आपेक्षित हैं।

(स0 आ0 सं०-1

35- ग्राम पंचायत नवधन से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -36

दिनांक 30.6.21 को ग्राम पंचायत में सोक पीट निर्माण हेतु रु 119360.00 भुगतान ईंट एवं गिट्टी क्रय, भारत ब्रिक फील्ड को दर्शित है। एवं 30.6.21 को सोक निर्माण हेतु सामाग्री क्रय रु 33220=00 सत्यम बिल्डिंग मटेरियल को भुगतान दर्शित हैं। अतः रु 152580 00. के सापेक्ष रसीद बुक, व्यय प्रमाणक (बिल, स्टाक पंजिका भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, 1 लाख से ऊपर टेन्डर अनुपालन की पुष्टि, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती प्रस्तुत नहीं किया गया।

वर्ष पर्यंत उक्त कार्य के सापेक्ष कोई मजदूरी भी नहीं भुगतान की गई। मजदूरी के आभाव में कोई कार्य कराया जाना असम्भव हैं।

अतः स्पष्ट है की उक्त व्यय ग्राम प्रधान श्री कृष्ण मुरारी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय दुबे द्वारा कार्य न करा कर उक्त व्यय अपने पक्ष में किया गया।

अतः उक्त 152580=00 में रू. 76290=00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री कृष्ण मुरारी से एवं रू 76290=00 की वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय दुबे से की जानी अपेक्षित हैं।

(स0 आ0 सं०-1

36- ग्राम पंचायत कंचनपुर से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -37

ग्राम पंचायत कंचनपुर विकासखंड डीघ । जनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए | जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु 1546133=00 आहरण करके व्यय किया गया।

उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्षे मैं किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक (स्टाक पंजिका भुगतान की पुष्टि में भाप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है। और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि तत्कालीन प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुन्नीलाल दद्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु० 1546133=00 को उ० प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्री मुन्नीलाल प्रधान श्री श्रीमती पुष्पा देवी से वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(स0 आ0 सं०-1

37-ग्राम पंचायत स्मैला स्मैला से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -38

09. लेखा परीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान का मात्र रुपया 35=00 का ही व्यय किया गया है जबकि ग्राम पंचायत का संपूर्ण अनुदान रुपया 2372854=00 रोक कर रखा गया है। जिससे ग्राम पंचायत में विकास कार्य अवरुद्ध कर गंभीर अनियमित की गई है । जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन प्रधान श्री सग्गु व श्री रविन्द्र एवं श्री प्रदीप सचिव की है इस तरफ विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(स0 आ0 सं०-9

38-ग्राम पंचायत पिपरीश से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -39

ग्राम पंचायत पिपरिस विकासखंड भदोही जनपद भदोही की लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए | जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु 8019807=00 आहरण करके व्यय किया गया।उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद

बुक व्यय प्रमाणक (स्टाक पंजिका , भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है। और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है। "ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु०. 8019807=00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरूण चौबे एवं व ग्राम प्रधान श्री हृदय नारायण से वसूल किया जाना आपेक्षित है।

(स0 आ0 सं०-9

39-ग्राम पंचायत कठारी से संबंधित आपत्तिया

प्रस्तर -40

वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया की ग्राम निधि प्रथम के अंतर्गत दिनांक 05-10- 2021 को प्रिया सॉफ्ट कैश बुक के अनुसार रूपये 125036.00 (31198+31320+31320+31198) से हैण्डपम्प रिबोर कार्य सामग्री मय मजदूरी क्रय कर व्यय दर्शित है। किन्तु रूपये 125036.00 के सापेक्ष लेखा परिक्षा मे व्यय प्रमाणक , स्टाक रजिस्टर , कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नही रहा । जो ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल 8 के प्रस्तर 8 (क) का उल्लंघन है, जिसके व्यय की पुष्टी न की जा सकी । इस प्रकार उक्त व्यय कोषबही में काल्पनिक रूप से व्यय दर्शित कर रूपये 125036.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रुप से उत्तरदायी हैं। अत: रुपये 125036.00 की वसूली ग्राम प्रधान नशरीन एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार पटेल से संयुक्त रुप से किया जाना अपेक्षित है ।

जनपद - मीरजापुर

प्रारूप–4 ग्राम पंचायत

जनपद–मीरजापुर मण्डल–विन्ध्याचलधाम

1. ग्राम पंचायत–अनिरुद्धपुर पू0 पट्टी विकास खण्ड– कोन

प्रस्तर–1 ग्राम पंचायत अनिरुद्धपुर पूरब पट्टी के वर्ष 2021-22 की ऑनलाइन लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक-01-04-2021 को रु0 10000.00 की धनराशि नगद शेष के रूप में तत्कालीन प्रशासक श्री शशि भूषण मिश्रा के पास रखा जाना दर्शित थी । इसे वर्ष पर्यन्त नकद शेष के रूप में ऑनलाइन कोष पंजिका में दर्शाया जाता रहा । इसे ना तोवर्ष में विकास कार्यों पर व्यय किया गया नहींसम्बन्धित योजना के बैंक खाते में वापस जमा किया गया । इस प्रकार उक्त धनराशि कोरोककर गंभीर अनियमितता की गयी। अतः उक्त रु0 10000.00 (रुपए दस हजार मात्र)ब्याज सहित तत्कालीन प्रशासक श्री शशिभूषण मिश्रा से वसूल कर खाते में जमा किया जाना तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–01)**

2. ग्राम पंचायत–असवा दुगरहां विकास खण्ड– छानबे

प्रस्तर–2 ऑनलाइन कोष पंजिका से विदित होता है कि हैण्डपम्प सुधार(मरम्मत) के विरुद्ध रु0 42450.00 का भुगतान प्रमाणक संख्या,एसटीएच्एसऍफ़सी/2021-22/पी /17, दिनांक 21-03-2022 द्वारा सामग्री क्रय करने के विरुद्ध रु0 16160.00 का भुगतान प्रमाणक संख्या एसटीएच्एसऍफ़सी /2021-22/पी/19, दिनांक 24.03.2022 द्वारा श्रम भुगतान के विरुद्ध किया गया । किन्तु इनके व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे जो स्पष्ट करता है कि उक्त रु0 42450.00+ 16160.00= रु0 58610.00 का अपहरण किया गया जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार पर जाता है। अतः उक्त धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित रहा ।
(मूल आपत्ति संख्या–01)

3. ग्राम पंचायत–बदेवरा चौबे विकास खण्ड– छानबे

प्रस्तर–3 ऑनलाइन कोष पंजिका से विदित होता है कि दिनांक 01.04.2021 को रु0 662891.00 की धनराशि ग्राम प्रधान के पास नकद शेष के रूप में दर्शित थी जिसे वर्षपर्यन्त दर्शाया जाता रहा तथा दिनांक 31.03.2022 को भी यह दर्शित रही। इस प्रकार वर्षपर्यन्त इस धनराशि को नकद शेष रखकर गम्भीर अनियमितता की गई, जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती महेश्वरी उपाध्याय एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर जाता है । अतः उक्त धनराशि को तत्काल ग्राम प्रधान श्रीमती महेश्वरी उपाध्या से वापस लेकर संबन्धित योजना के बैक खाते में जमा किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार विश्वकर्मा

तथा विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर उचित कार्यवाही हेतु आकृष्ट किया जाता हैं ।**(मूल आपत्ति संख्या–01)**

4. ग्राम पंचायत–बेदउर विकास खण्ड– हलिया

प्रस्तर–4 ऑनलाइन कोष पंजिका के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 07.08.2021 को रु0 6484.00 (फर्म का नाम अंकित नहीं) तथा दिनांक 15.03.2022 को रु0 22150.00 का भुगतान मे0 ओम शिव इण्टरप्राइजेज को लेखन सामग्री (स्टेशनरी) क्रय करने के विरुद्ध किया गया। इसके व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे जिससे उक्त दोनों भुगतान की जाँच एवं पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रमाणों की अनुपलब्धता से उक्त धनराशियों का अपहरण किया जाना स्पष्ट होता है, जिसका दायित्व तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री राजेश पर जाता है। अतः उक्त कुल धनराशि रु0 6484 + 22150 = 28634.00 (रु0 अट्ठाइस हजार छः सौ चौतीस मात्र) की वसूली तातरीख ब्याज सहित श्री राजेश ग्राम प्रधान एवं श्री तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार से किया जाना चाहिए ।

(मूल आपत्ति संख्या–01)

प्रस्तर–5 ऑनलाइन कोष पंजिका के अवलोकन से विदित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प सुधार के विरुद्ध रु0 55559.00 (दिनांक 21.07.2021) + 38331.00 दिनांक 15.03.2022 को +32,000.00 (दिनांक 11.10.2021) +36985.00 (दिनांक 15.03.2022) +20159.00 (दिनांक 15.03.2022) = रु0 183034.00 मे0 ओम शिव इण्टरप्राइजेज को तथा रु0 33100.00 (दिनांक 31.10.022 को) मे0 गुरू कृपा इण्टरप्राइजेज को किया गया। इस प्रकार कुल 183034.00 + 33100.00 = कुल रु0 216134.00 का भुगतान हैण्डपम्प सुधार (मरम्मत) के विरुद्ध किया गया । किन्तु इन सामग्रियों के विरुद्ध श्रम भुगतान के मस्टर रोल भी अनुपलब्ध रहे। इससे स्पष्ट होता है कि हैण्ड पम्प सुधार का कार्य नहीं कराया गया तथा उक्त धनराशियों को अपहरण किया जाना सिद्ध होता है । अतः इसके लिए उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री राजेश एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार से रु0 216134.00 (दो लाख सोलह हजार एक सौ चौतीस मात्र) की वसूली तातारीख ब्याज सहित किया जाना चहिए ।**(मूल आपत्ति संख्या–01)**

5. ग्राम पंचायत–भेड़ा विकास खण्ड–लालगंज

प्रस्तर–6 ग्राम पंचायत भेडा में जीएसबी कार्य हेतु विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय पटेल इंटरप्राइजेज को भुगतान रु0 169397.00 तथा रु0 16392.00 पारिश्रमिक भुगतान ऑनलाइन कोष पंजिका में दर्शित है-

दिनांक	भुगतान विवरण	धनराशि
05.08.2021	पटेल इंटरप्राइजेज	96955.00
02.09.2021	पटेल इंटरप्राइजेज	72442.00
27.11.2021	मस्टररोल	16392.00
		योग - 185789.00

उक्त धनराशि रु0 185789.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक जैसे व्यय वाउचर, स्टीमेट, एम0बी0 बुक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा मस्टररोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि नहीं करायी गयी ।पुष्टि के अभाव में यह धनराशि अपहृत सिद्ध होता है ।अतः अपहृत धनराशि रु0 185789.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंगरा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री महेंद्र कुमार से संयुक्त रूप से मय ब्याज वसूल किया जाना आपेक्षित है । **(मूल आपत्ति सं0–01)**

प्रस्तर–7 दिनांक 25.10.2021 को ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप फिटिंग रु0 28112.00 पटेल इंटरप्राइजेज को भुगतान ऑनलाइन कोषपंजिका में दर्शित है जिसके प्रमाणक जैसे क्रय का बिल वाउचर, मस्टररोल कार्यपूर्ति आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं होती है ।पुष्टि के अभाव में यह धनराशि अपहृत सिद्ध होता है ।अतः अपहृत धनराशि रु0 28112.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंगरा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री महेंद्र कुमार से संयुक्त रूप से मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है ।**(मूल आपत्ति सं0–01)**

6. ग्राम पंचायत–भिटहां विकास खण्ड–हलिया

प्रस्तर–8 ऑनलाइन कोष पंजिका से विदित होता है कि राधेश्याम के घर के पास कूप जगत निर्माण कार्य हेतु प्रमाणक संख्या–पंद्रहवे केन्द्रीय वित्त आयोग /2021-22/पी/22, दिनांक 11.11.2021द्वारा रु0 1,04,538.00 का भुगतान तथा ग्राम पंचायत में कूप जगत निर्माण कार्य हेतु प्रमाणक संख्या पंद्रहवे केन्द्रीय वित्त आयोग /2021-22/पी/23, दिनांक 18.11.2021 द्वारा रु0 22,648.00 का भुगतान श्रम भुगतान के विरुद्ध किये गए दर्शित है किन्तु उक्त व्यय प्रमाणक एवं मस्टररोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे ।उक्त कार्यों के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी अनुपलब्ध रहे ।इसप्रकार प्रमाणक विहीन व्यय ऑनलाइन कोष पंजिका में अंकित रु0 104538+22648= रु0 127186.00 का अपहरण किया जाना स्पष्ट होता है जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्री अजय गिरि तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री गोविन्द सिंह पर जाता है ।अतः रु0 1,27,186.00 (एक लाख सत्ताईस हजार एक सौ छियासी मात्र) की वसूली ग्राम प्रधान श्री अजय गिरि तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री गोविन्दसिंह से किया जाना अपेक्षित रहा । **(मूल आपत्ति संख्या–23)**

7. ग्राम पंचायत–डढ़िया विकास खण्ड–राजगढ़

प्रस्तर–9 ग्राम पंचायत डढ़िया की वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंक स्टेटमेंट / पासबुक के अनुसार ग्राम पंचायत निधि प्रथम के बैंक खाते से भिन्न-भिन्न तिथियों में कुल रु0 1353971.00 (राज्य वित्त खाता से रु0 515815.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता से रु0 838156.00) आहरित कर व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में बैंक स्टेटमेंट के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख यथा- कोष बही, वाउचर, फाइल (पत्रावली), एम0 बी0 बुक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय / तकनीकी / प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार बार माँगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय

-13 के नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय को गबन मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।" उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत डढ़िया द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी धनराशि रु0 1353971.00 गबन की श्रेणी में आता है।जिसकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री विजय कुमार से तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–05)**

8. ग्राम पंचायत–गड़बड़ विकास खण्ड– लालगंज

प्रस्तर–10 ग्राम पंचायत गड़बड़ में निम्न तिथियों में हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु ऑनलाइन कोषबही में रु0 167674.00 व्यय किया जाना दर्शित है जिसके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए–

दिनांक	**धनराशि**
22.11.2021	25630.00
14.01.2022	25630.00
23.02.2022	48130.00
16.03.2022	48130.00
30.03.2022	20154.00
योग-	**167674.00**

उक्त धनराशि रु0 167674.00 प्रमाणक के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी ।इसप्रकार यह धनराशि अपहृत सिद्ध होता है । अतः उक्त अपहृत धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिवाकांत सेठ से संयुक्त रूप से तातारीख मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है ।**(मूल आपत्ति संख्या–03)**

प्रस्तर–11 दिनांक 29.01.2022 को ग्राम पंचायत हेतु ह्यूम पाइप क्रय रु0 43152.00 का भुगतान किया जाना ऑनलाइन कोषबही में दर्शित है जिसके व्यय प्रमाणक स्टॉक पंजिका एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे क्रय एवं कार्य कराए जाने की पुष्टि नहीं होती है । इसप्रकार अपुष्टित धनराशि का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है । अतः उक्त अपहृत धनराशि रु0 43152.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिवाकान्त सेठ से संयुक्त रूप से तातारीख मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–04)**

प्रस्तर–12 दिनांक 19.11.2021 को ग्राम पंचायत गड़बड़ में स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु क्रय रु0 77420.00 तथा रु0 19355.00-96775.00 दो अलग-अलग वाउचर्स द्वारा भुगतान किया जाना ऑनलाइन कोषपंजिका में दर्शित्त है किन्तु इसके कोटेशन तथा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया ।इसप्रकार रु0 96775.00 व्यय प्रमाणक के अभाव में अपुष्टित रहा । पुष्टि के अभाव में यह धनराशि अपहृत सिद्ध होता है ।अतः उक्त धनराशि रु0 96775.00

तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिवाकांत सेठ से संयुक्त रूप से तातारीख मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–05)**

प्रस्तर–13 आलोच्य वर्ष में विभिन्न तिथियों में पंचायत भवन में कोटास्टोन कार्य हेतु सामग्री एवं टाइल्स क्रय तथाअतिरिक्त खर्च सामग्री क्रय एवं पारिश्रमिक भुगतान ऑनलाइन कोषबही में दर्शित है।

दिनांक	**विवरण**	**धनराशि**
07-10-2021	घिसाई सामग्री क्रय	16170.00
07-10-2021	प्लास्टर तथा अतिरिक्त खर्च सामग्री क्रय	77415.00
07-10-2021	अतिरिक्त खर्च सामग्री क्रय	5868.00
28-10-2021	अतिरिक्त खर्च सामग्री क्रय	82985.00
30-10-2021	कोटास्टोन सामग्री तथा टाइल्स क्रय	11034.00
31-10-2021	कोटास्टोन कार्या पारिश्रमिक व्यय	3232.00
31-10-2021	टाइल्स लगवाई पारिश्रमिक व्यय	6480.00
08-10-2021	अतिरिक्त खर्च स्किल्ड एण्ड अनस्किल्ड पारिश्रमिक	21252.00
योग		**224436.00**

उक्त धनराशि रु0 2,24,436.00 की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, एम0बी0बुक, स्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी । पुष्टि के अभाव में यह धनराशि अपहृत सिद्ध होता है । अतः रु0 2,24,436.00 तातारीख मय ब्याज तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिवाकांत सेठ से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–06)**

प्रस्तर–14 वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में इंटरलॉकिंग कार्य हेतु विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय ऑनलाइन कोषबही में दर्शित है किन्तु क्रय सामग्री के व्यय- वाउचर / प्रमाणक एवं पारिश्रमिक भुगतान हेतु मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया–

दिनांक	**धनराशि**
30.10.2021	70142.00
31.10.2021	15996.00
11.11.2021	49028.00
18.11.2021	49028.00
31.10.2021	6684.00 मजदूरी (मस्टररोल)
योग -	**190878.00**

उपरोक्त धनराशि रु0 1,84,194.00 की सामग्री एवं रु0 6684.00 के मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने से इस धनराशि रु0 190878.00 के भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी । पुष्टि के अभाव में यह धनराशि अपहृत सिद्ध होता है । अतः उक्त धनराशि

तत्कालीन ग्राम प्रधानश्री ओम प्रकाश तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिवाकांत सेठ से तातारीख मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है ।**(मूल आपत्ति संख्या–07)**

प्रस्तर–15 दिनांक 29.01.2022 को सामुदायिक शौचालय की रंगाई-पोताई पर रु0 51,416.00 ब्यय किया जाना ऑनलाइन कोषबही में दर्शित है जिसके कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। व्यय प्रमाणक के अभाव में यह धनराशि अपहृत सिद्ध होता है ।अतः तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ओम प्रकाश तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिवाकांत सेठ से संयुक्त रूप से तातारीख मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति सं–08)**

प्रस्तर–16 आलोच्य वर्ष में निम्न तिथियों में ग्राम पंचायत के पंचायत भवन हेतु कुर्सी, मेज,आलमारी तथा कम्प्यूटर क्रय किया जाना ऑनलाइन कोषबही में दर्शाया गया है -

दिनांक	**सामग्री**	**धनराशि**
29-01-2022	कुर्सी, मेज, आलमारी	82688.00
26-03-2022	कुर्सी,मेज, आलमारी, कम्प्यूटर	80000.00
	योग	**162688.00**

उक्त धनराशि रु0 1,62,688.00 के कोई भी व्यय प्रमाणक तथा कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं होती है । पुष्टि के अभाव में यह धनराशि अपहृत सिद्ध होता है ।अतः उक्त धनराशि रु01,62,688.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिवाकांत सेठ से संयुक्त रूप से तातारीख मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–09)**

9. ग्राम पंचायत–घरवासपुर विकास खण्ड–नारायनपुर

प्रस्तर–17 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवां वित्त पन्द्रहवां वित्त में दिनांक को स्टेशनरी क्रय कैश बुक में दिनांक 29-12-2022 को रु0 10800.00 व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक वर्क आई0डी0 कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठों प्रपत्रों में आनलाइन कैशबुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रों के माध्यम से मॉग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 10800.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या-256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टियों के अनुसार एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8-क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 10800.00 की ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र प्रताप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री श्रीकृष्ण उपाध्याय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः धनराशि रु0 10800.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र प्रताप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्री कृष्ण उपाध्याय से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–16)**

प्रस्तर–18 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवां वित्त पन्द्रहवां वित्त में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य कैश बुक में दिनांक 29-12-2022 को सामग्री क्रय में रु0 19770.00 एवं उपरोक्त कार्य में मजदूरी का भुगतान दिनांक 14-01-2023 को रु0 6040.00 किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 25810.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल सहित वर्क आई0डी0 एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक उक्त कार्य के निविदा / कोटेशन की पत्रावली, डिस्पोज / सामग्री स्टॉक पंजिका एवं जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठों प्रपत्रों में आनलाइन कैशबुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रों के माध्यम से मॉग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु025810.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या-256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टियों के अनुसार एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8-क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु025810.00 की ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र प्रताप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री श्रीकृष्ण उपाध्याय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अतः धनराशि रु0 25810.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र प्रताप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्री कृष्ण उपाध्याय से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आ0 संख्या–17)**

प्रस्तर–19 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवां वित्त / पन्द्रहवां वित्त में प्रधान का मानदेय भुगतान कैश बुक में दिनांक 19-12-2021 को रु0 10500.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु वर्ष अंकित नहीं किया गया है कि किस वर्ष का मानदेय प्रधान को भुगतान किया गया है । साथ ही लेखा परीक्षा में व्यय वर्क आई0डी0 वं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक, प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठों प्रपत्रों में आनलाइन कैशबुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रों के माध्यम से मॉग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु010500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी हैएवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या-256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टियों के अनुसार एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8-क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु010500.00 की ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र प्रताप एवं

तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री श्रीकृष्ण उपाध्याय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अतः धनराशि रु010500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र प्रताप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्री कृष्ण उपाध्याय से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आप0 संख्या–18)**

प्रस्तर–20 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवां वित्त / पन्द्रहवां वित्त में ग्राम पंचायत घरवासपुर में तीन राजस्व गॉव में स्टीट लाईट क्रय कार्य कैश बुक में दिनॉक - 13.12.2022 को सामग्री क्रय में रु0 196350.00 का स्टीट लाईट क्रय किया दर्शाया गया एवं उपरोक्त फिटिंग कार्य में फिटिंग चार्ज का भुगतान नही किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 196350.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / फिटिंग चार्ज का मास्टर रोल सहित, वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक, एम.बी. बुक, उक्त कार्य की निविदा की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका स्ट्रीट लाईट लगवाने में बिजली विभाग के अनुमति पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठों प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रों के माध्यम से मॉग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0196350.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या-256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टियों के अनुसार एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8-क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0196350.00 की ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र प्रताप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री श्रीकृष्ण उपाध्याय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः धनराशि रु0196350.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र प्रताप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्री कृष्ण उपाध्याय से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–19)**

प्रस्तर–21 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में पंचायत भवन के ऊपरी सतह पर इण्टरलाकिंग कैश बुक में दिनाँक 01.01.2022 को सामग्री क्रय में रु0 173298.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य मे मजदूरी का भुगतान नही किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 173298.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित,कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, उक्त कार्य की निविदा /कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी एस टी (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठों प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था

अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य में बिना मजदूरी के भुगतान सामग्री के क्रय रु0 173298.00 के भुगतान एवं सामग्री के उपयोग की पुष्टि नहीं होती है जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0173298.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या-256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टियों के अनुसार एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8-क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0173298.00 की ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र प्रताप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री श्रीकृष्ण उपाध्याय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः धनराशि रु0173298.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र प्रताप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्री कृष्ण उपाध्याय से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या–20)

प्रस्तर–22 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में पंचायत भवन की पेंटिंग कार्य कैश बुक में दिनाँक 01.01.2022 को सामग्री कय में रु0 63075.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य मे मजदूरी का भुगतान नही किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 63075.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित वर्क आई0डी0 उक्त कार्य की कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक, एम0बी0 बुक, स्टाक पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठों प्रपत्रो में ऑनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रों के माध्यम से मॉग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु063075.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी हैएवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टियों के अनुसार एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8-क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु063075.00 की ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र प्रताप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री श्रीकृष्ण उपाध्याय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः धनराशि रु063075.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र प्रताप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्रीकृष्ण उपाध्याय से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या–21)

प्रस्तर–23 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में पंचायत भवन का विशेष मरम्मत व सुन्दरीकरण कार्य कैश बुक में दिनांक-01.01.2022 को सामग्री क्रय में रु0 184426.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य मे मजदूरी का भुगतान नही किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 184426.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित,कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक, एम0बी0 बुक, उक्त कार्य की निविदा / कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रों में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रों के माध्यम से मॉग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0184426.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी हैएवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टियों के अनुसार एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8-क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0184426.00 की ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र प्रताप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री श्रीकृष्ण उपाध्याय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अतः धनराशि रु0184426.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र प्रताप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्रीकृष्ण उपाध्याय से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–22)**

प्रस्तर–24 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्य वित्त / चौदहवां वित्त / पन्द्रहवां वित्त में पंचायत भवन के ऊपरी सतह पर तीन चबूतरों का पुनर्निमाण व सुन्दरीकरण कार्य कैश बुक में दिनांक 07.01.2022 को सामग्री क्रय में रु0 73772.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में मजदूरी का भुगतान पुर्ननिर्माण व नही किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 73772.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु प्रमाणक/मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक एम0बी0 बुक उक्त कार्य की निविदा / कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टॉकपंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठों प्रपत्रों में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रों के माध्यम से मॉग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य में बिना मजदूरी के भुगतान के सामग्री के क्रय रु0 73772.00 के भुगतान एवं सामग्री के उपयोग की पुष्टि नहीं होती है । जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 73772.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टियों के अनुसार

एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8-क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु073772.00 की ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र प्रताप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री श्रीकृष्ण उपाध्याय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः धनराशि रु0 73772.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र प्रताप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्रीकृष्ण उपाध्याय से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–23)**

प्रस्तर–25 आलोच्य वर्ष 2020-21 राज्यवित्त/ चौदहवां वित्त / पन्द्रहवां वित्त में पंचायत सहायक का मानदेय कैश बुक में दिनांक 12.01.2022 को रु0 6000.00 कैश बुकमेंव्यय अंकित किया गया परन्तु किस माह का मानदेय दिया गया है कर स्पष्ट नहीं किया साथ ही लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / उपस्थिति पंजिका, वर्क आई डी. एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक, प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रों के माध्यम से मॉग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु06000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी हैएवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टियों के अनुसार एवं ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8-क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु06000.00 की ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र प्रताप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री श्रीकृष्ण उपाध्याय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अतः धनराशि रु06000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री शैलेन्द्र प्रताप एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री श्रीकृष्ण उपाध्याय से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–24)**

प्रस्तर–26 वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त) मुख्य कैश बुक में दिनोंक 01.04.2021 को प्रा0अवशेष प्रधान के पास नगद रु0–शून्य अंकित है जिसके सापेक्ष में ई-ग्राम स्वराज के आनलाईन कैश बुक / वार्षिक आय एवं व्यय खाता में दिनांक 01.04.2021 को नगद प्रा0 अवशेष (कैश इन हैण्ड) रु0 6708.00 अकित है जो विगत वर्ष (31.03.2017) से चला आ रहा है जिसकी वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक रु0 6708.00 को न तो ग्राम निधि प्रथम के खाता में वापस किया गया और न ही मुख्य कैश बुक में व्यय पक्ष में समायोजन करते हुए लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही मुख्य कैश बुक दिनांक 01.04.2021 को प्रधान के पास नगद रु0 6708.00 अंकित किया है। जिससे स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जय नारायन सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय प्रताप सिंह द्वारा रु0 6708.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ममता एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय प्रताप सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान जय नारायन सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक की जानी अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–28)**

10. ग्राम पंचायत–करनी भांवा विकास खण्ड– छानबे

प्रस्तर–27 वर्ष में रु0 28318.00 का भुगतान ग्राम पंचायत हेतु कोविड-19 की सेनेटाइजर फागिंग मशीन क्रय करने के लिए विरुद्ध किया गया। यह भुगतान दिनांक 17.12.2021 को व्यय प्रमाणक सं0 एस टी एच एस ऍफ़ सी / 2021-22/ पी/11 द्वारा किया जाना आनलाइन कोष पंजिका में अंकित पाया गया । इसका व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा तथा ग्राम पंचायत द्वारा यह मशीन भौतिक रूप से त्यापित नहीं करायी गयी। किसी सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन रिपोर्ट भी अनुपलब्ध रही। इससे स्पष्ट है कि प्रमाणक विहिन अवास्तविक व्यय आनलाइन कोष पंजिका में अंकित कर उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिभा तथा ग्राम पं0वि0 अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र बिन्द द्वारा किया गया है । अतः रु0 28318.00 की वसूली अद्यतन ब्याज के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिभा तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र बिन्द से किया जाना अपेक्षित रहा।**(मूल आपत्ति संख्या–21)**

प्रस्तर–28 आनलाइन कोष पंजिका से विदित होता है कि हैण्डपम्प सुधार (मरम्मत) कार्य के विरूद्ध प्रमाणक संख्या एस टी एच एस ऍफ़ सी/2021-22/ पी /1 दिनांक 04.08.2021 द्वारा रु0 22580.00 प्रमाणक संख्या एस टी एच एस ऍफ़ सी/ 2021-22/ पी /5 दिनांक 09.09.2021 द्वारा रु022580.00, प्रमाणक संख्या एस टी एच एस ऍफ़ सी/2021-22/ पी /12 दिनांक 22.12.2021 द्वारा रु0 24540.00 तथा प्रमाणक संख्या एस टी एच एस ऍफ़ सी/2021-22/ पी/14 दिनांक 28.12.2021 द्वारा रु0 25910.00का भुगतान सामग्री क्रय करने के विरुद्ध किया गया। इस प्रकार 22580.00+24540.00+25910.00 कुल रूपया 95610.00 का भुगतान किया गया इसके व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे तथा आनलाइन कोष पंजिका में इनपर श्रम भुगतान कहीं भी नही रहा । श्रम भुगतान के मस्टर रोल तथा कार्यपूर्ति प्रमाणक पत्र भी अनुपलब्ध रहे । स्पष्ट होता है कि प्रमाणक विहिन व्यय दर्शाकर तथा श्रम पर भुगतान न दर्शाकर उक्त कुल धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिभा तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र बिन्द द्वारा किया गया । अतः रु0 95610.00 की वसूली अद्यतन ब्याज के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिभा तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र बिन्द से किया जाना अपेक्षित रहा । **(मूल आपत्ति संख्या–22)**

11. ग्राम पंचायत–खरिहट खुर्द विकास खण्ड– हलिया

प्रस्तर–29 ऑनलाईन कोष पंजिका से विदित होता है कि दिनांक 27.10.2021 प्रमाणक संख्या पंद्रहवे केन्द्रीय वित्त आयोग /2021-22/पी/3 द्वारा रु0 48500.00 का भुगतान मे0 शिवइण्टरप्राइजेज को तथा दिनांक 29.10.2021 को प्रमाणक संख्या पंद्रहवे केन्द्रीय वित्त आयोग /2021-22/पी/4 द्वारा रु0 47946.00 को भुगतान मे0 गुरू कृपा इण्टरप्राइजेज को हैण्डपम्प (सुधार) मरम्मत सामग्री क्रय करने के विरुद्ध किया गया। किन्तु कोष पंजिका में इन क्रय किये गए सामग्रियों किये गए हैण्डपम्प सुधार कराने के मस्टररोल पर भुगतान पर अंकन नहीं पाया गया । और संम्बन्धित मस्टर रोल भी अनुपलब्ध रहे। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी नही प्रस्तुत किये गये। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त धनराशियों से कोई भी हैण्डपम्प सुधार का कार्य नहीं कराया गया । तथा धनराशियों का अपहरण कर लिया गया। जिसका दायित्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर जाता है। अतः उक्त कुल धन राशि 48500 + 47946 = रु0 96446.00 (रु0 छियानबे हजार चार सौ छियालिस मात्र) की वसूली

तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजा प्रसाद एवं ग्राम प्रधान श्री रवि शंकर दुबे से तातारीख ब्याज सहित किया जाना चाहिए ।**(मूल आपत्ति संख्या–23)**

12. ग्राम पंचायत–खैरा कला विकास खण्ड–लालगंज

प्रस्तर–30 ग्राम पंचायत खैरा कला में निम्न तिथियों में हैण्ड पंप मरम्मत कार्य पर ऑनलाइन कोप पंजिका में व्यय दर्शित है किन्तु कोष पंजिका में उस व्यय के विरुद्ध कितना सामग्री पर और कितना पारिश्रमिक (मजदूरी) पर व्यय किया गया है अलग-अलग दर्शित नहीं है ।साथ ही सामग्री के व्यय वाउचर एवं मजदूरी के मस्टररोल लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

दिनांक	**भुगतान विवरण**	**धनराशि**
13.10.2021	हैण्ड पम्प मरम्मत	42500.00
26.10.2021	हैण्ड पम्प मरम्मत	41750.00
26.10.2021	हैण्ड पम्प मरम्मत	42050.00
14.01.2022	हैण्ड पम्प मरम्मत	43650.00
14.01.2022	हैण्ड पम्प मरम्मत	44700.00
	योग	**2,14,650.00**

अतः व्यय की पुष्टि के अभाव में उक्त धनराशि रु0 2,14,650.00 अपहृत सिद्ध होता है ।इस अपहृत धनराशि रु0 2,14,650.00 ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार से संयुक्त रूप से तातारीख मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–05)**

13. ग्राम पंचायत–कोलाही विकास खण्ड– छानबे

प्रस्तर–31 ऑनलाइन कोष पंजिका से विदित होता है कि दिनांक 31.03.2022 को रु0 51500.00 का भुगतान प्रमाणक संख्या एस टी एच एस ऍफ़ सी/2021-22/पी/34 द्वारा हैण्डपम्प सुधार की सामग्री क्रय तथा दिनांक 24.03.2022 को रु0 8080.00 का भुगतान प्रमाणक संख्या एस टी एच एस ऍफ़ सी/2021-पी/30 द्वारा हैण्डपम्प सुधार के श्रम भुगतान के विरुद्ध किया गया । किन्तु इनके व्यय प्रमाणक तथा मस्टर रोल अनुपलब्ध रहे । अतः प्रमाणक विहिन व्यय ऑनलाइन कोष पंजिका में अंकित कर 51500+8080.00= रु0 59580.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता यादव तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र बिन्द द्वारा किया जाना स्पष्ट होता है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि श्रम का भुगतान सामग्री क्रय से पूर्व ही क्यों कर दियागया । अतः इस धनराशि रु0 59580.00 (रूपया उनसठ हजार पांच सौ अस्सी मात्र) की वसूली अतन ब्याज के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता यादव तथा ग्राम पंचायत वि0अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र बिन्द से किया जाना अपेक्षित रहा ।**(मूल आपत्ति संख्या–21)**

14. ग्राम पंचायत–कोलेपुर विकास खण्ड–छानबे

प्रस्तर–32 बैंक स्टेटमेन्ट पासबुकों से विदित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में निधि - । एवं केन्द्रीय वित्त आयोग योजना में कुल मिलाकर रु0 शून्य का व्यय विकास कार्यो पर किया गया। जिसकी पुष्टि आफलाइन कोष पंजिका से भी होती है जबकि ऑनलाइन विवरण कोष

बही के अनुसार यह व्यय कुल मिलाकर रु0 93979.00 रहा। इस प्रकार उक्त दोनों में कुल मिलाकर रु0 93979.00 का अन्तर पाया गया जिसका कारण अज्ञात रहा । अतः इसका कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। बैंक स्टेटमेन्ट पासबुकों से आहरण शून्य होने पर भी यह व्यय ऑनलाइन कोष पंजिका में अवास्तविक रूप से दर्शित किया जाना सिद्ध होता है। जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्री अनूप सिंह तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री गौरव पर जाता है। इसके लिए इन दोनों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिए । **(मूल आपत्ति संख्या–13)**

प्रस्तर–33 बैंक स्टेटमेंन्ट पासबुकों से विदित होता है कि गत शेष सहित वर्ष में निधि-। एवं केन्द्रीय वित्त आयोग योजना में कुल मिलाकर रु0 427964.00 (गतशेष)+147920.00 = रुपया 1902884.00 की प्राप्ति ग्राम पंचायत यको हुई जिसकी पुष्टि आफलाइन कोष पंजिका से भी होती है। इन योजनाओं के बैंक लेखा / स्टेटमेंन्ट पासबुकों से विदित होता है कि वर्ष में कोई भी धनराशि आहरित नहीं की गईं। इस प्रकार ग्राम पंचायत के विकास की धनराशि को वर्ष पर्यन्त रोक कर रखा गया जो गंभीर अनियमितता का परिचायक है तथा इसका दायित्व ग्राम प्रधान श्री अनूप सिंह तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री गौरव श्रीवास्तव पर जाता है जिसके लिए इन दोनों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा। **(मूल आपत्ति संख्या–14)**

15. ग्राम पंचायत–मझिगवां विकास खण्ड–कोन

प्रस्तर–34 ऑनलाइन कोष पंजिका में दिनांक 1/4/2021 को रु0 18443.00 की धनराशि नगद शेष के रूप में दर्शित थी जिसे वर्ष पर्यन्त दर्शाया जाता रहा तथा दिनांक 31/3/2022 को भी दर्शित रही । इसे वर्ष में विकास कार्य पर व्यय किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया तथा सम्बन्धित योजना के बैंक लेखा में वापस जमा भी नहीं किया गया । इस प्रकार इस धनराशि को नगद रूप से रोककर गम्भीर अनियमितता की गयी । दिनांक 1/4/2021 को प्रशासक श्री शशि भूषण मिश्रा थे । अत: उक्त धनराशि रू0 18443.00 की वसूली अद्यतन ब्याज के साथ श्री शशि भूषण मिश्रा से किया जाना अपेक्षित रहा तथा वसूल कर सम्बन्धित योजना के बैंक लेखा में जमा किया जाना अपेक्षित रहा।**(मूल आपत्ति संख्या–21)**

16. ग्राम पंचायत–मनिगढ़ा विकास खण्ड–हलिया

प्रस्तर–35 ऑनलाइन कोष पंजिका से विदित होता है कि दिनांक 29.03.2022 को व्यय प्रमाणक संख्या एस टी एच एस ऍफ़ सी/2021-22/पी/27 द्वारा रु0 1,80,250.00 का भुगतान ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप कार्य के विरुद्ध किया गया ।इसका व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा ।यह भी सप्रमाण अवगत नहीं कराया गया कि क्रय किये गए ह्यूम पाइप का उपयोग किन स्थानों पर किया गया ।इसप्रकार ऑनलाइन कोष पंजिका में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया गया है ।अतः उक्त धनराशि रु0 1,80,250.00 (एक लाख अस्सी हजार दो सौ पचास मात्र) की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती देवरजिया तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमर बहादुर सिंह से अद्यतन ब्याज के साथ किया जाना अपेक्षित रहा । **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

प्रस्तर–36 ऑनलाइन कोष पंजिका में प्रमाणक संख्या पंद्रहवे केन्द्रीय वित्त आयोग /2021-22/पी/3 दिनांक 19.7.2021 द्वारा हैण्ड पम्प सुधार (मरम्मत) की सामग्री क्रय के विरुद्ध रु0 25000.00 का भुगतान तथा प्रमाणक संख्या पंद्रहवे केन्द्रीय वित्त आयोग /2021-22/पी/8 दिनांक 15.09.2021 द्वारा हैण्ड पम्प सुधार के श्रम भुगतान के विरुद्ध रु0 14000.00 का भुगतान किया जाना दर्शाया गया है किन्तु उक्त दोनों भुगतानों के क्रमशः व्यय प्रमाणक और मस्टररोल अनुपलब्ध रहे ।अतः ऑनलाइन कोष पंजिका में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर उक्त धनराशियों का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती देवरजिया तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमर बहादुर सिंह द्वारा किया जाना स्पष्ट होता है ।अतः है ।अतः उक्त धनराशि रु0 25000.00+14000.00=39000.00 (रु0 उन्तालीस हजार मात्र) की वसूली अद्यतन ब्याज के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती देवरजिया तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमर बहादुर सिंह से किया जाना अपेक्षित रहा । **(मूल आपत्ति संख्या–25)**

17. ग्राम पंचायत–मटियारी विकास खण्ड– मझवां

प्रस्तर–37 वित्तीय वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम एवं पद्रहवें केन्द्रीय वित्त के बैक खातों से रुपया 869313.00 (आठ लाख उनहत्तर हजार तीन सौ तेरह) धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक तथा कराये गये कार्यो के सम्बन्ध में अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये है। यहां यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त सचिव, पंचायत राज मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 16012/1/2020-एफ0डी दिनांक 24.09.2020 निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 01/273 / 2020/1/475 / 2019- आडिट ऑन लाइन दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223 / ले0प0दो / पं0 / आडिट ऑन-लाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा ऑन-लाइन सम्पन्न की जानी थी। इस क्रम में ग्राम पंचायत मटियारी विकास खण्ड-मझवां के ऑन-लाइन आडिट हेतु इन्टीमेंशन भेजा गया था और इन्टीमेशन स्वीकार भी किया गया था। इसके उपरान्त बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेख प्रस्तुत करने की मॉग के बावजूद भी कोई अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई।

उपेराक्त के सम्बन्ध में अन्य आपत्तियां इस प्रकार है-

1. उपरोक्त समस्त कार्यो से सम्बन्धित अभिलेख तथा इस्टीमेट, एम0वी0 कार्य आदेश क्रम आदेश व्यय प्रमाणक, मस्टररोल व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अनुपलब्ध रहनेके कारण ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि दर्शित कार्य काल्पनिक है या वास्तव में कराये गये है तथा कार्यपूर्ण है या नहीं ।
2. ग्राम सभा की कार्यवाही रजिस्टर अनुपलब्ध रहने के कारण ये स्पष्ट नही हो पाया कि दर्शित कार्य ग्राम सभा द्वारा पूर्व में पारित है या नही ।
3. ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट अनुपलब्ध रहने के कारण ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि दर्शित समस्त भुगतान कब और किसको किये गये है। यह भी सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण कर नगद भुगतान किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विर्शिष्टयों के अनुसार ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुचल के अध्याय 8, उपधारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है जो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी ।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत मटियारी द्वारा दर्शित व्यय धनराशि रु0 869313.00 गबन / अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान एवं श्री चन्द्रवली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–07)**

18. ग्राम पंचायत–मिश्रधाप विकास खण्ड–कोन

प्रस्तर–38 ग्राम निधि 1 में दिनांक 25.3.2022 को रु0 900000.00 कीप्राप्ति ग्राम पंचायत को हुई जैसा कि बैंक स्टेटमेंट / पासबुकों से विदित होता है। ऑनलाइन कोष पंजिका में इसकी प्रविष्टि भी नहीं पायी गयी यह धनराशि किस उद्देश्य से प्राप्त हुई, अवगत नहीं कराया गया तथा वर्षान्त तक यह धनराशि यथावत पड़ी रही और इसे प्रयुक्त नहीं किया गया। इस प्रकार इसे रोककर गम्भीर अनियमितता की गयी जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्री शशि मिलन एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अक्षयवर नाथ पर जाता है, जिसके लिए दोनों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा । **(मूल आपत्ति संख्या–22)**

प्रस्तर–39 दिनांक 22/10/2022 को प्रमाणक संख्या STHFC / 2021-22/पी/7 द्वारा रु0 44266.00 का भुगतान ग्राम पंचायत भवन के बिजली बिल के विरुद्ध किया गया, जैसा कि ऑनलाइन कोष पंजिका में अंकित है। इसका प्रमाणक अनुपलब्ध रहा तथा यह भुगतान वास्तविक भुगतान से अधिक प्रतीत होता है। अत: प्रमाणक उपलब्ध कराकर इसकी पुष्टि कराया जाना अपेक्षित रहा तथा अधिक भुगतान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किया जाना भी अपेक्षित रहा । अन्यथा स्थिति में रु0 44266.00 ख0 44266.00 (चौवालीस हजार दो सौ छाछंठ मात्र) की वसूली अद्यतन ब्याज के साथ ग्राम प्रधान श्री शशि मिलन एवं ग्रामपंचायत अधिकारी श्री अक्षयवर नाथ से किया जाना अपेक्षित रहा।**(मूल आपत्ति संख्या–23)**

19. ग्राम पंचायत–ऊंटी विकास खण्ड– हलिया

प्रस्तर–40 बैंक स्टेटमेंट / पासबुकों से विदित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में निधि-1 एवं केन्द्रीय वित्त आयोग योजना में कुल मिलाकर रु0 1551242.35 का आहरण विकास कार्य हेतु किया गया । इसमें निधि - 1 से कुल रु0 853019.35 का एवं केन्द्रीय वित्त आयोग लेखा से रु0 698223.00 का आहरण किया गया । ऑनलाइन कोष पंजिका में इन तिथिवार आहरणों के विरुद्ध व्यय तो दर्शित है किन्तु व्यय की जांच एवं पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक, मस्टररोल तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहे ।अतः इनकी अनुपलब्धता से विदित होता

है कि प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण किया गया जिसका दायित्व ग्राम प्रधान श्री मार्कन्डेय तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रज्ञान शुक्ला पर जाता है । अतः उक्त कुल धनराशि रु0 1551242.35 (पंद्रह लाख इक्यावन हजार दो सौ बयालीस, पैसे पैंतीस मात्र) की वसूली उक्त दोनों से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित रहा । **(मूल आपत्ति संख्या–17)**

20. ग्राम पंचायत–पतुलकी विकास खण्ड–लालगंज

प्रस्तर–41 आलोच्य वर्ष में ग्राम प्रधान का मानदेय विभिन्न तिथियों में ऑनलाइन कोष पंजिका में दर्शित है-

दिनांक	**विवरण**	**धनराशि**
29-07-2021	सितम्बर 2020 से दिसम्बर 2020 तक	13400.00
23-01-2022	जून से दिसम्बर 2021 तक	24500.00
12-03-2022	जनवरी, फरवरी 2022	10000.00
	योग	**47900.00**

उपरोक्त तिथियों में भुगतानित मानदेय, मानदेय पंजिका के अभाव में भुगतान की पुष्टि नहीं होती है ।दिनांक 29.07.2021 को रु0 13,400.00 पूर्व वर्षों का भुगतान है जो आलोच्य वर्ष में भुगतान किया गया है पूर्व वर्ष में इस धनराशि का भुगतान हुआ है या नहीं या फिर इस वर्ष भी भुगतान कर डबल भुगतान कर दिया गया है मानदेय पंजिका के अभाव में पुष्टि नहीं की जा सकी ।जो अपहरण सिद्ध होता है ।अतः अपहृत धनराशि रु0 47,900.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गणेश शंकर से मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है ।**(मूल आपत्ति संख्या–03)**

प्रस्तर–42 ग्राम पंचायत के प्राइमरी स्कूल अराजी सेमरा हेतु डेस्क - बेंच क्रय के भुगतान का व्यय प्रमाणक तथा स्कूल के प्रधानाचार्य के लिखित प्रमाण / सहमति पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे भुगतान की पुष्टि नहीं होती है ।इसप्रकार पुष्टि के अभाव में यह धनराशि अपहृत सिद्ध होता है ।अतः अपहृत धनराशि रु0 1,98,400.00 की वसूली मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री गणेश शंकर एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री मुस्ताक अहमद से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।**(मूल आपत्ति संख्या–04)**

21. ग्राम पंचायत–रैपुरियानारायनपुर विकास खण्ड–नारायनपुर

प्रस्तर–43 वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम (राज्य वित्त) मुख्य कैश बुक में दिनांक 01.04.2021 को प्रा0 अवशेष प्रधान के पास नगद रु0 शून्य अंकित है जिसके सापेक्ष में ई ग्राम स्वराज के आनलाईन कैश बुक / वार्षिक आय एवं व्यय खाता में दिनॉक 01.04.2021 को नगद अवशेष (कैश इन हैंड) रु0 5610.00 अंकित है जो विगत वर्ष (31.03.2016) से चला आ रहा है जिसकी वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक रु0 5610.00 को न तो ग्राम निधि प्रथम के खाता में वापस किया गया और न ही मुख्य कैश बुक में व्यय पक्ष में समायोजन करते हुए लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही मुख्य कैश बुक दिनॉक 01.04.2021 को प्रधान के पास नगद रु0 5610.00 अंकित किया है। जिससे स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत

अधिकारी श्री राकेश कुमार सिहं द्वारा रु0 5610.00 का अपहरण किया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमार सिहं संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राकेश कुमारसिहं से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक की जानी अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–23)**

22. ग्राम पंचायत–रामचन्दरपुर विकास खण्ड– मझवां

प्रस्तर–44 ग्राम पंचायत रामचन्दरपुर विकास खण्ड- मझवां जनपद-मीरजापुर के वित्तीय वर्ष 2021-22 की लेखापरीक्षा ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है । ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम एवं पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त के बैक खातों से रुपया 1089242.00 (दस लाख नवासी हजार दो सौ बयालिस) धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक तथा कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये हैं । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त सचिव, पंचायत राज मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 16012/1/2020-एफ0 डी0 दिनांक 24.09.2020 निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 01 / 273 / 2020 / 1 / 475 / 2019-आडिट ऑनलाइन दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223 / ले0प0 दो / पं0 / आडिट ऑन-लाइन / पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा ऑन-लाइन सम्पन्न की जानी थी। इस क्रम में ग्राम पंचायत रामचन्दरपुर विकासखण्ड- के ऑन-लाइन आडिट हेतु इन्टीमेंशन भेजा गया था और इन्टीमेशन स्वीकार भी किया गया था। इसके उपरान्त बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेख प्रस्तुत करने की माँग के बावजूद भी कोई अभिलेख लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध नही कराया गया तथा लेखापरीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई।

उपेराक्त के सम्बन्ध में अन्य आपत्तियां इस प्रकार है–

1. उपरोक्त समस्त कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख तथा इस्टीमेट, एम0बी0 कार्य आदेश, क्रम आदेश व्यय प्रमाणक, मस्टररोल व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अनुपलब्ध रहनेके कारण ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि दर्शित कार्य काल्पनिक है या वास्तव में कराये गये हैं तथा कार्यपूर्ण है या नहीं ।
2. ग्राम सभा की कार्यवाही रजिस्टर अनुपलब्ध रहने के कारण ये स्पष्ट नही हो पाया कि दर्शित कार्य ग्राम सभा द्वारा पूर्व में पारित है या नही ।
3. ग्राम निधि प्रथम का कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट अनुपलब्ध रहने के कारण ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि दर्शित समस्त भुगतान कब और किसको किये गये है। यह भी सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण कर नगद भुगतान किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो ।

ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पंचायत राज नियमावली के अध्याय - 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टयों के अनुसार ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुचल के अध्याय 8, उपधारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं

कराया जाता है जो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत रामचन्दरपुर द्वारा दर्शित व्यय धनराशि रु0 1089242.00 गबन / अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री विद्या भूषण एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार से अद्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–07)**

23. ग्राम पंचायत–रुपौंधा विकास खण्ड–नारायनपुर

प्रस्तर–45 वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम ग्राम निधि प्रथम (राज्यवित्त) मुख्य कैश बुक में दिनोंक 01.04.2021 को प्रा0 अवशेष प्रधान के पास नगद रु0 शून्य अंकित है जिसके सापेक्ष में ई-ग्राम स्वराज के आनलाईन कैशबुक / वार्षिक आय एवं व्यय खाता में दिनॉक 01.04.2021 को नगदप्रा0 अवशेष (कैश इन हैंड) रु0 638872.00 अकित है जो विगत वर्ष (31.03.2016) से चला आ रहा है जिसकी वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक रु0 638872.00 को न तो ग्राम निधि प्रथम के खाता में वापस किया गया और नही मुख्य कैश बुक में व्यय पक्ष में समायोजन करते हुए लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही मुख्य कैश बुक दिनॉक 01.04.2021 को प्रधान के पास नगद रु0 638872.00 अंकित किया हे । जिससे स्पष्ट है कि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ममता एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार यादव द्वारा रु0 638872.00 का अपहरण किया गया है । जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्रीमती ममता एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है । जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ममता एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज कुमार यादव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक की जानी अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–16)**

24. ग्राम पंचायत–तुर्कहां विकास खण्ड– लालगंज

प्रस्तर–46 आलोच्य वर्ष में प्रधान का मानदेय रु0 49000.00 ऑनलाइन कैशबुक में माह फरवरी 2022 में भुगतान दर्शित है बकि वर्ष का मानदेय गणनानुसार रु0 39500.00 ही होता है | (माह जून 2021 से दिसम्बर 2021 तक कुल 7 माह X 3500.00= 24500.00 एवं माह जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक 3 माह X 5000.00 = 15000.00) इस प्रकार कुल मानदेय रु0 24500.00 + 15000.00=39500.00 ही वर्ष में देय होना चाहिए था जबकि कैशबुक के अनुसार रु0 49000.00 दिया जाना दर्शित है | इस प्रकार रु0 49000.00-39500.00=9500.00 अधिक भुगतान दर्शित है । अतः इस अधिक भुगतान रु0 9500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मूल चंद से मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है । तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार के विरुद्ध अधिक भुगतान करने की लापरवाही हेतु विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–03)**

प्रस्तर–47 ग्राम पंचायत में पंचायत भवन हेतु कम्प्यूटर, प्रिंटर, इनवर्टर, कुर्सी-मेज तथा अलमारी क्रय का कोटेशन एवं व्यय प्रमाणक / बिल वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न कर के पुष्टि नहीं करायी गयी, जिससे उपरोक्त सामग्री का भुगतान पुष्टि के अभाव में अपहृत सिद्ध होता है | अतः इस अपहृत धनराशि रु0 1,90,364.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मूलचंद एवं ग्राम

पंचायत विकास अधिकारी श्री महेंद्र कुमार से संयुक्त रूप से ततारीख मयब्याज वसूली अपेक्षित है |

(मूल आपत्ति संख्या–04)

25. ग्राम पंचायत–विशुनपुर विकास खण्ड–राजगढ़

प्रस्तर–48 ग्राम पंचायत विशुनपुर की वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंक स्टेटमेंट / पासबुक के अनुसार ग्राम पंचायत निधि प्रथम के बैंक खाते से भिन्न-भिन्न तिथियों में कुल रु0 1156055.00 (राज्य वित्त खाता से रु0 473725.00 एवं केन्द्रीय वित्त खाता से रु0 682330.00) आहरित कर व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में बैंक स्टेटमेंट के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख यथा- कोषबही, वाउचर, फाइल (पत्रावली), एम0 बी0 बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय / तकनीकी / प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार बार माँगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये । जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा । उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय 13 के नियम सं0 256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार - "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय को गबन मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत विशुनपुर द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी धनराशि रु0 1156055.00 गबन की श्रेणी में आता है । जिसकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री सूरज कुमार सोनकर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री भारतेन्दु राव से तातारीख दण्डात्मक ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।**(मूल आपत्ति संख्या–05)**

26. ग्राम पंचायत–पिरल्लीपुर विकास खण्ड–नारायनपुर

प्रस्तर–49 आलोच्य वर्ष 2020-21 राज्यवित / चौदहवाँ वित में ग्राम प्रधान का मानदेय का भुगतान कैश बुक में दिनांक 19.01.2023 को रु0 10500.00 एवं 29.03.2023 को 13500.00 कुल रु0 24000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 06.2022, व 02.02.2023 व 04.03.2023 व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 24000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयों के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 24000.00 की ग्राम प्रधान श्री सविता देवीएवं तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः धनराशि रु0 24000.00 की वसूली ग्रामप्रधान श्री सविता देवी से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारीअर्चना सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–18)**

प्रस्तर–50 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवां वित्त / पन्द्रहवां वित्त में प्रा0वि0 फुलवरिया में बच्चो के बैठने हेतु बेन्च खरीद का कार्य कैश बुक में विभिन्न फर्मों से विभिन्न तिथियो में कुल सामग्री क्रय में रु0196000.00 का क्रय किया दर्शाया गया एवं उपरोक्त फिटिंग कार्य में फिटिंग चार्ज का भुगतान नही किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 196000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / फिटिंग चार्ज का मस्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनांक, एम0बी0 बुक, उक्त कार्य की निविदा की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका परिसम्पति पंजिका, जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठों प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों को पत्रों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 196000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सख्या -256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयों के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 196000.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अतः धनराशि रु0 196000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–19)**

प्रस्तर–51 आलोच्य वर्ष 2020-21 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में पंचायत सहायक का मानदेय कैश बुक में दिनांक-29.01.2023 को रु0 6000.00 एवं 17.03.2023 को रु06000.00 कुल 12000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु किस माह का मानदेया दिया गया है कर स्पश्ट नहीं किया साथ ही लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, उपस्थित पंजिका, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनांक, प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठों प्रपत्रों में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कॉपी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों को पत्रों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 12000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13

के नियम सख्या -256 (2) के उप नियम (1)(क) में विनिर्दिष्टयों के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 12000.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अतः धनराशि रु0 12000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–20)**

प्रस्तर–52 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवॉ वित्त में दिनांक को पंचायत भवन में सोलर इनर्वटरव पैनल कैश में दिनांक-29.01.2022 को रु0 38000.00 व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका बुक वर्क आई0डी0,कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनांकजी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठों प्रपत्रों में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों को पत्रों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 38000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सख्या -256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयों के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 38000.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अतः धनराशि रु0 38000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–21)**

प्रस्तर–53 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में दिनांक को ग्राम पंचायत में सी0सी0टी0वी0 कैमरा क्रय कैश बुक में दिनांक -29.01.2023 को रु0 20000.00 व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्राँक/दिनांक, जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठों प्रपत्रों में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों को पत्रों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 20000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उप नियम (1) (क)

में विनिर्दिष्टयों के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 20000.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अतः धनराशि रु0 20000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–22)**

प्रस्तर–54 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में दिनांक को ग्राम पंचायत में पंचायत भवन हेतु कम्प्यूटर, प्रिन्टर कय कैश बुक में दिनांक-29.01.2022 को रु060000.00 व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी., कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनांकजी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठों प्रपत्रों में ऑनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों को पत्रों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 60000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सख्या -256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयों के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 60000.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अतः धनराशि रु0 60000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–23)**

प्रस्तर–55 आलोच्य वर्ष 2021 - 22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में प्रा0वि0 कजिया में बच्चो के बैठने हेतु बेन्च खरीद का कार्य कैश बुक में विभिन्न फर्मो से विभिन्न तिथियो में कुल सामग्री कय में रु0392000.00 का कय किया दर्शाया गया एवं उपरोक्त फिटिंग कार्य में फिटिंग चार्ज का भुगतान नही किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 392000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / फिटिंग चार्ज का मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनांक, एम0बी0 बुक, उक्त कार्य की निविदा की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका परिसम्पति पंजिका, जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठों प्रपत्रों में ऑनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों को पत्रों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त

होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 392000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सख्या -256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयों के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 392000.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अतः धनराशि रु0 392000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

प्रस्तर–56 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त/ पन्द्रहवां वित्त में पंचायत भवन का मरम्मत कार्य कैश बुक में विभिन्न फर्मों से विभिन्न तिथियो में कुल सामग्री कय में रु0 52000.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में मजदूरी का भुगतान नहीं किया अर्थात 52000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित,कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनांक, एम0बी0 बुक, उक्त कार्य की निविदा 'कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठों प्रपत्रों में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कॉपी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों को पत्रों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य में बिना मजदूरी के भुगतान के सामग्री के क्रय रु0 52000.00 के भुगतान एवं सामग्री के उपयोग की की पुष्टि नही होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सख्या -256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयों के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 52000.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अतः धनराशि रु0 52000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सविता से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–25)**

प्रस्तर–57 आलोच्य वर्ष 2021 - 22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में शीतल प्रसाद के घर से कूप तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में विभिन्न फर्मो से विभिन्न तिथियो में कुल सामग्री कय में रु0 451051.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में मजदूरी का भुगतान नहीं किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 451051.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनांक, एम0बी0 बुक, उक्त कार्य की निविदा / कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण

पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठों प्रपत्रों में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य में बिना मजदूरी के भुगतान के सामग्री के क्रय रु0 451051.00 के भुगतान एव सामग्री के उपयोग की पुष्टि नहीं होती है जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 451051.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयों के अनुसार एव ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 451051.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती सविता एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 451051.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सविता से एव तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती अर्चनासिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या–26)

प्रस्तर–58 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त/ चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में पिरल्लीपुर के आंगनबाड़ी केन्द्र में शौचालय निर्माण कार्य कैश बुक में विभिन्न फर्मो से विभिन्न तिथियो में कुल सामग्री क्रय में रु0 12000.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में मजदूरी का भुगतान नहीं किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 12000.00 कैशबुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनांक, एम0बी0 बुक, उक्त कार्य की निविदा / कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठों प्रपत्रों में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा । उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023 व 17.03.2023 व 29.03.2023 माँग किया गया था. अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य में बिना मजदूरी के भुगतान के सामग्री के कय रु0 12000.00 के भुगतान एवं सामग्री के उपयोग की पुष्टि नहीं होती है जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 12000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सख्या - 256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयों के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 12000.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती सविता एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अतः धनराशि रु0 12000.00 की वसूली ग्राम

प्रधान श्रीमती सविता से एव तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–27)**

प्रस्तर–59 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में ग्राम पंचायत में 03 नग (स्थान का नाम अकित नही) सोख्ता गढ्ढा निर्माण कार्य कैश बुक में विभिन्न फर्मों से विभिन्न तिथियों में कुल सामग्री कय में रु0 33000.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में मजदूरी का भुगतान नहीं किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 33000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित एवं वित्तीयस्वीकृत पत्रॉक / दिनांक, एम0बी0 बुक, उक्त कार्य की निविदा / कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठों प्रपत्रों में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य में बिना मजदूरी के भुगतान के सामग्री के क्रय रु0 33000.00 के भुगतान एवं सामग्री के उपयोग की पुष्टि नहीं होती है जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 33000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सख्या -256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयों के अनुसार एव ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 33000.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती सविता एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अतः धनराशि रु0 33000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सविता सेएवंतत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती अर्चना सिंह से रु0 33000.00 संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–28)**

27. ग्राम पंचायत–सेमरा विकास खण्ड–नारायनपुर

प्रस्तर–60 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त/ चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में सामुदायिक शौचालय का वालपेंटिग व राइटिंग का कार्य कैश बुक में विभिन्न फर्मों से विभिन्न तिथियो में कुल सामग्री क्रय में रु0 29250.00 एवं उपरोक्त कार्य मे मजदूरी का भुगतान नहीं किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 29250.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक, उक्त कार्य की निविदा / कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टॉक पंजिका जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक मांग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से मांग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य में बिना मजदूरी के भुगतान के सामग्री के कय रु0 29250.00 के भुगतान एवं सामग्री के उपयोग की पुष्टि नहीं होती है जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 29250.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सख्या-256(2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयो के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 29250.00 की ग्राम प्रधान श्री श्रीप्रकाश एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 29250.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्रीप्रकाश से एव तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल मिश्रासे संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–13)**

प्रस्तर–61 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में प्रा0वि0 में समरसेबुल व पानी सप्लाई कार्य कैश बुक में विभिन्न फर्मों से विभिन्न तिथियो में कुल सामग्री कय में रु0 37835.00 एवं उपरोक्त कार्य मे मजदूरी का भुगतान नहीं किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 237835.00 कैश बुक व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित,कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक, उक्त कार्य की निविदा / कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टॉक पंजिका जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023 व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक मांग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से मांग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य में बिना मजदूरी के भुगतान के सामग्री के कय रु0 29250.00 के भुगतान एवं सामग्री के उपयोग की पुष्टि नहीं होती है जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 29250.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सख्या-256(2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयों के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 37835.00 की ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः धनराशि रु0 37835.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश से एव तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल मिश्रा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–14)**

प्रस्तर–62 आलोच्य वर्ष 2021 - 22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवाँ वित्त में हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य कैश बुक में विभिन्न फर्मों से विभिन्न तिथियो में कुल सामग्री कय में रु0 87429.00 एवं उपरोक्त कार्य मे मजदूरी का भुगतान रु0 9696.00 किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 97125.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित,कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक, उक्त कार्य के निविदा / कोटेशन की पत्रावली, डिस्पोज / सामग्री स्टॉक पंजिका जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक मांग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 97125.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय - 13 के नियम सख्या - 256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयो के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 की ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश एव ग्राम पंचायत 'ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप सेउत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 97125.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश से एव तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल मिश्रा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूलकिया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–15)**

प्रस्तर–63 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवॉ वित्त में कोविड-19 हेतु ग्राम पंचायत में सेनेटाइजेशन का कार्य कैश बुक में दिनांक 24.05.2021 को सामग्री कय में रु016500.00 एवं उपरोक्त कार्य मे मजदूरी का भुगतान दिनांक 19.10.2021 रु0 19500.00 किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 36000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक, उक्त कार्य की निविदा / कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टॉक पंजिका जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक मांग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम मांग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 36000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय - 13 के नियम सख्या-256(2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयो के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु036000.00की ग्राम प्रधान श्री श्री श्री प्रकाश एव

तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः धनराशि रु0 36000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल मिश्रा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–16)**

प्रस्तर–64 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में विमरान बस्ती में कूप जगत व स्नानघर निर्माण कार्य कैश बुक मैं विभिन्न फर्मो से विभिन्न तिथियों में कुल सामग्री क्रय में रु0 34909.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य मे विभन्न तिथियों में मजदूरी का भुगतान रु0 18261.00 किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 53170.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवँ वित्तीय स्वीकृत पत्रांक /दिनांक, एम.बी. बुक, उक्त कार्य की निविदा / कोटेशन की पत्रावली, डिस्पोज / सामग्री स्टाक पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा । '

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक मांग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से मांग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 53170.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय - 13 के नियम सख्या - 256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयों के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 की ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः धनराशि रु053170.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश एव तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल मिश्रा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–17)**

प्रस्तर–65 आलोच्य वर्ष 2020 - 21 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवा वित्त में सामुदायिक शौचालय में कार्य कर रही महिला का मानदेय कैश बुक में दिनांक - 05.07.2021 को रु027000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया साथ ही लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, उपस्थिति पंजिका, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक, प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एव मौखिक मांग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से मांगकरने उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0

27000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय - 13 के नियम सख्या-256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयो के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 27000.00 की ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः धनराशि रु0 27000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश से एव तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल मिश्रा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपति संख्या–18)**

प्रस्तर–66 आलोच्य वर्ष 2021 - 22 राज्यवित्त / चौदहवां वित्त / पन्द्रहवां वित्त में लक्ष्मण के घर से राजकुमार शर्मा के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में विभिन्न फर्मों से विभिन्न तिथियो में कुल सामग्री क्रय में रु0 70309.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य मे विभन्न तिथियों में मजदूरी का भुगतान रु0 13368.00 किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 83677.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक, एम.बी. बुक, उक्त कार्य की निविदा / कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023 व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक मांग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से मांग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 83677.00 व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सख्या-256(2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयो के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 83677.00 की ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः धनराशि रु0 83677.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश से एव तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल मिश्रासे संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है । **(मूल आपति संख्या–19)**

प्रस्तर–67 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में मुंशी के घर से सीताराम के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में विभिन्न फर्मों से विभिन्न तिथियो में कुल सामग्री कय में रु0 68630.0 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य मे विभन्न तिथियों में मजदूरी का भुगतान रु0 14796.00 किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 83426.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक /दिनांक, एम.बी. बुक, उक्त कार्य की निविदा / कोटेशन की पत्रावली,

सामग्री स्टाक पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी एस0टी;(टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठों प्रपत्रों में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक मग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 83426.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उप नियम (1)(क) में विनिर्दिष्टयो के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 83426.00 की ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 83426.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश से एवंतत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी की ग्राम प्रधान श्री अनिलमिश्रा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या–20)

प्रस्तर–68 आलोच्य वर्ष 2021 - 22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवाँ वित्त में बहादुर के घर से जीतेन्द्र के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में विभिन्न फर्मों से विभिन्न तिथियो में कुल सामग्री कय में रु0 144645.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य मे विभन्न तिथियों में मजदूरी का भुगतान रु0 23928.00 किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 168573.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एव वितीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक, एम.बी. बुक, उक्त कार्य की निविदा / कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक मांग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रों के माध्यम से मांग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 168573.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सख्या-256(2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयों के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 168573.00 की ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 168573.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल मिश्रा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–21)**

प्रस्तर–69 आलोच्य वर्ष 2020 - 21 राज्यवित्त / चौदहवां वित्त / पन्द्रहवां वित्त में प्रधान का मानदेय भुगतान कैश बुक में दिनांक-19.10.2021 को रु0 14000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु वर्ष अंकित नहीं किया गया है कि किस वर्ष का मानदेय प्रधान को भुगतान किया गया है। साथ ही लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाण, मानदेय पंजिका, वर्क आई0डी0 एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक, प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023 व 17.03.2023 व 29.03.2023के पत्र के माध्यम से एवँ मौखिक मांग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से मांग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 10500.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256(2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयो के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8(क)बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 10500.00की ग्राम प्रधान श्री श्रीप्रकाश एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 10500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्रीप्रकाश से एव तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल मिश्रा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–22)**

प्रस्तर–70 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में मोती के घर से सोवखन के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में विभिन्न फर्मों से विभिन्न तिथियो में कुल सामग्री कय में रु0 188229.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य मे विभन्न तिथियों में मजदूरी का भुगतान रु0 40512.00 किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 228741.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक /दिनांक, एम.बी. बुक, उक्त कार्य की निविदा / कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023 व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक मांग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से मांग करने उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 228741.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सख्या - 256 (2) के उप नियम (1) (क)

में विनिर्दिष्टयों के अनुसार एव ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 2287741.00 की ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 228741.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल मिश्रा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–23)**

प्रस्तर–71 आलोच्य वर्ष 2021 - 22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में विभिन्न तिथियो में ए0सी0 स्ट्रीट लाईट फिटिंग कार्य कैश बुक में विभिन्न फर्मो से कुल सामग्री कय में रु0293890.00 का स्ट्रीट लाईट क्रय किया दर्शाया गया एवं उपरोक्त फिटिंग कार्य में विभन्न तिथियों में फिटिंग चार्च का भुगतान नही किया गया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 293890.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / फिटिंग चार्ज का मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक /दिनांक, एम.बी. बुक, उक्त कार्य की निविदा की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका स्ट्रीट लाईट लगवाने में बिजली विभाग के अनुमति पत्र, स्थान का नाम जिस-जिस के दरवाजे के पास लगवाया की फोटोग्राफ, परिसम्पति पंजिका, जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022 व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्रके माध्यम से एवं मौखिक मांग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से मांग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 293890.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सख्या-256(2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयों के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 293890.00 की ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः धनराशि रु0 293890.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश से एव तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल मिश्रासे संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–24)**

प्रस्तर–72 आलोच्य वर्ष 2020-21 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवाँ वित्त में बिजली बिल का भुगतान कैश बुक में दिनांक- 25.12.2021 को रु0 5000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु ग्राम पंचायत का बिल है या किसी विद्यालय का बिल है किस माह से किस माह का बिल जमा किया गया अंकित नहीं किया यह है साथ ही लेखा परीक्षा में बिजली बिल / जमा रसीद एवं बिजली बिल का भुगतान पंजिका, वर्क आई0डी0एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक, प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एव मौखिक मांग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से मांग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे व्यय की गयी धनराशि रु05000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सख्या-256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयो के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 5000.00 की ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 5000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश से एव तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल मिश्रा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है ।**(मूल आपत्ति संख्या–25)**

प्रस्तर–73 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में ग्राम पंचायत में आर0सी0सी0 की बेन्च का कार्य कैश बुक में विभिन्न फर्मों से विभिन्न तिथियो में कुल सामग्री क्रय में रु0 198000.00 का क्रय किया दर्शाया गया एवं उपरोक्त फिटिंग कार्य मे फिटिंग चार्ज का भुगतान नही किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 198000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / फिटिंग चार्ज का मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक, एम.बी. बुक, उक्त कार्य की निविदा की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका परिसम्पति पंजिका, जी0एस0टी0; (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक मांग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से मांग करने उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 198000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय - 13 के नियम सख्या-256(2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयो के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 198000.00 की ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश एवंतत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 198000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल मिश्रा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–26)**

प्रस्तर–74 आलोच्य वर्ष 2020-21 राज्यवित्त/ चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त टेण्डर विज्ञापन कैश बुक में विभिन्न फर्मों से विभिन्न तिथियों में कुल सामग्री कय में रु0 5200.00 कैश बुक में व्यय

अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक, अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023 व 17.03.2023 व 29.03.2023 पत्र के माध्यम से एवं मौखिक मांगकिया गया था । अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 5200.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 5200.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 5200.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल मिश्रा से संयुक्तरूप ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–27)**

प्रस्तर–75 आलोच्य वर्ष 2020- 21 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में पंचायत सहायक का मानदेय कैश बुक में दिनांक -06.01. 2022 को रु0 6000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु किस माह का मानदेय दिया गया है को स्पष्ट नहीं किया साथ ही लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, उपस्थित पंजिका, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक, प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक मांग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से मांग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक जिससे व्यय की गयी धनराशि रु06000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सख्या-256(2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयो के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु06000.00 की ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 6000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश से एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल मिश्रा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–28)**

प्रस्तर–76 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवां वित्त / पन्द्रहवां वित्त में मेन रोड से प्यारे के के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में विभिन्न फर्मों से विभिन्न तिथियो में कुल सामग्री क्रय में रु0 86450.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में मजदूरी का भुगतान नहीं किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 86450.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांक, एम. बी. बुक, उक्त

कार्य की निविदा / कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा । उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक मांग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से मांग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य में बिना मजदूरी के भुगतान के सामग्री के क्रय रु0 86450.00 के भुगतान एवं सामग्री के उपयोग की पुष्टि नहीं होती है जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 86450.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सख्या-256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयो के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 86450.00 की ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः धनराशि रु0 86450.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश से एव तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिलमिश्रा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपति संख्या–29)**

प्रस्तर–77 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवां वित्त / पन्द्रहवां वित्त में प्यारे लाल के घर से सेवालाल के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में विभिन्न फर्मों से विभिन्न तिथियों में कुल सामग्री कय में रु0 221745.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में मजदूरी का भुगतान नहीं किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 221745.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक /दिनांक, एम.बी. बुक, उक्त कार्य की निविदा / कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी एस0टी; (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023 व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक मांग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से मांग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य में बिना मजदूरी के भुगतान के सामग्री के कय रु0 221745.00 के भुगतान एवँसामग्री के उपयोग की पुष्टि नहीं होती है जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 221745.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय - 13 के नियम सख्या - 256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयो के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 221745.00 की ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः धनराशि रु0 221745.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश से एव तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल मिश्रा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–30)**

प्रस्तर–78 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में दिनांक को कम्प्यूटर, पिन्टर कय कैश बुक में दिनांक-06.01.2022 को रु0 60000.00 व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांकजी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक मांग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से मांग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 60000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय - 13 के नियम सख्या-256(2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयों के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु060000.00 की ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः धनराशि रु0 60000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश से एव तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल मिश्रासे संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या–31)**

प्रस्तर–79 आलोच्य वर्ष 2021-22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में दिनांक को पंचायत भवन में सोलर इनर्वटर क्रय कैश बुक में दिनांक-26.01.2022 को रु0 38000.00 व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांकजी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023, व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्रके माध्यम से एवं मौखिक मांग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम मांग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 38000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सख्या - 256 (2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयो के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु038000.00 की ग्राम प्रधानश्री श्री प्रकाश एवंतत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः धनराशि रु0 38000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश से एव तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल मिश्रा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है ।**(मूल आपत्ति संख्या–32)**

प्रस्तर–80 आलोच्य वर्ष 2021 - 22 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त / पन्द्रहवां वित्त में दिनांक को पंचायत भवन में कुर्सी मेज अलमारी, दरी क्रय कैश बुक में दिनांक-17.03.2022 को रु0 51000.00 व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0,कोटेशन की पत्रावली, सामग्री स्टाक पंजिका एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रांक / दिनांकजी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो में आनलाइन कैश बुक के अतिरिक्त सात प्रपत्र की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की मांगदिनांक 08.06.2022, व 04.03.2023 व 17.03.2023 व 29.03.2023 के पत्र के माध्यम से एवं मौखिक मांग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के पत्रो के माध्यम से मांग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 51000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सख्या-256(2) के उप नियम (1) (क) में विनिर्दिष्टयो के अनुसार एव ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 51000.00 की ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश एव तत्कालीन ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल मिश्रा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अतः धनराशि रु0 51000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री प्रकाश से एवंतत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल मिश्रा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।**(मूल आपत्ति संख्या–33)**

28. ग्राम पंचायत–पटेवर विकास खण्ड–पटेहरा कला

प्रस्तर–81 ग्राम पंचायत पटेवर के वित्तीय वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में महात्मा गाँधी रोजगार गारन्टी योजना मनरेगा के तहत कुल व्यय रुपया नौ लाख इकसठ हजार (9.61 लाख रूपया) मनरेगा बेवसाईट पर दर्शित है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही रहा। जबकि पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद / धारा -7 में स्पष्ट प्रावधान है " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें । परन्तु लेखा परीक्षा में कतिपय कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलीय प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति, आई0डी0 मापी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि एवं उन पर किये गये व्ययों (श्रमांश एवं साग्रमी) की पुष्टि में अपेक्षित बाउचर / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही रहें । अतः उक्त कार्य एवं व्यय अप्रमाणित रहे । लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनु0 (क) के अनुसार-व्यय प्रमाणक विहीन वित्तीय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली प्रत्येक सम्बन्धित पक्षों से की जायेगी। इस प्रकार उक्त धनराशि 9.61 लाख का अपहरण है। अतः उक्त सम्पूर्ण राशि की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरबत देवी एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार गौतम से बराबर-बराबर अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।**(मूल आपत्ति संख्या–03)**

29. ग्राम पंचायत–नेवढ़िया विकास खण्ड–लालगंज

प्रस्तर–82 ग्राम पंचायत नेवढिया की वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोषबही के अनुसार ग्राम पंचायत निधि प्रथम के बैंक खाते से रु0 2989247.00आहरित कर व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोष बही, बैंक स्टेटमेंट के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख यथा वाउचर, फाइल (एम0 बी0 बुक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र चेक बुक काउण्टर फाइल / अप्रयुक्त चेक बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय तकनीकी / प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार बार माँगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा । उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सं0 256(2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) पृष्ठ स 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय को गबन मानते हुये उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ डी.पी.आर.ओ द्वारा भरतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।" उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत नेवढिया द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी धनराशि रु0 2989247.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री लालचंद्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री कैलाश बिन्द से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।**(मूल आपत्ति संख्या–05)**

30. ग्राम पंचायत–ऊंटी विकास खण्ड–हलिया

प्रस्तर–83 ग्राम पंचायत ऊँटी के वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक पासबुक के अनुसार निम्न विवरणानुसार धनराशि आहरित पाया गया :-

दिनांक	चेक सं0	धनराशि
29.08.2018	019998	220000.00
29.08.2018	019996	149000.00
29.08.2018	019997	149000.00
11.09.2018	020001	49000.00
11.09.2018	020000	20000.00
17.09.2018	020002	149000.00
12.11.2018	020004	5000.00
12.11.2018	020003	49000.00
01.12.2018	020005	49000.00
04.12.2018	020008	140000.00
05.12.2018	020009	140000.00
11.12.2018	020010	15000.00
28.01.2019	01990	49000.00
01.02.2019	020014	49000.00
12.03.2019	020020	179558.00
02.02.2019	020011	49000.00

11.02.2019	020017	20000.00
12.03.2019	020021	49000.00
12.03.2019	020012	49000.00
29.03.2019	020023	7000.00
29.03.2019	020024	6000.00
योग		**1591558.00**

उपरोक्तानुसार दर्शित आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा में अपेक्षित मूल अभिलेख यथा - कोष वही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। लेखा परीक्षा में वांछित मूल अभिलेख उपलब्ध कराया जाना प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी का दायित्व था । व्यय की गयी समस्त धनराशि रु0 1591558.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रु0 1591558.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली उत्तरदायी प्रधान सुमित्रा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजय साहनी तथा आलोक राव से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।**(मूल आपत्ति संख्या–)**

31. ग्राम पंचायत–जौसरा विकास खण्ड–पहाड़ी

प्रस्तर–84 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत - जौसरा के ऑन / ऑफ लाईन आडिट हेतु इंटीमेशन लेटर दिनांक 31.01.2023 को प्रेषित किया गया था और इन्टीमेशन लेटर को संबंधित सचिव द्वारा स्वीकार भी किया गया था किन्तु बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से अभिलेख मांगे जाने के बाद भी लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । लेखा परीक्षा में कोषबही, व्यय प्रमाणक, कार्ययोजना, इस्टीमेट, एम0बी0 तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराकर रु0 1232493.62 का व्यय नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं होती है, जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार एवं तत्कालीन ग्रा0पं0 सचिव श्री दुर्गेश उपाध्याय एवं श्री राजनाथ मल्ल उत्तरदायी हैं, जिस हेतु संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है । **(मूल आपत्ति संख्या–)**

32. ग्राम पंचायत–सूर्यवार विकास खण्ड–पहाड़ी

प्रस्तर–85 आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत - सूर्यवार के ऑन/ऑफ लाईन आडिट हेतु इंटीमेशन लेटर दिनांक 21.03.2023 को प्रेषित किया गया था और इन्टीमेशन लेटर को संबंधित सचिव द्वारा स्वीकार भी किया गया था किन्तु बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से अभिलेख मांगे जाने के बाद भी लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया । लेखा परीक्षा में कोषबही, व्यय प्रमाणक कार्ययोजना, इस्टीमेट, एम0बी0 तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराकर रु0 805791.00 का व्यय नियमानुसार होने की पुष्टि नहीं होती है, जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीहमती सोनम एवं तत्कालीन ग्रा0पं0 सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय उत्तरदायी हैं, जिस हेतु संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या–)

जनपद-सोनभद्र **मण्डल-विन्ध्याचलधाम**

प्रारूप-4

ग्राम पंचायत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2021-22

ग्राम पंचायत का नाम- मदार **विकासखण्ड- रार्बटसगंज**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

प्रस्तर संख्या - 01

ग्राम पंचायत मदार की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 282869.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 362240.00

कुल योग:- रू० 645109.00

(उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई) इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा

हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 645109.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजेश कुमार पाण्डेय एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हरिओम संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- हिन्दुआरी **विकासखण्ड- रार्बटसगंज**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 02</u>

ग्राम पंचायत हिन्दुआरी की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 438898.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 280168.00

कुल योग:- रू० 719066.00

(उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की

जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई)। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 719066.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हरिओम संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- धोबही **विकासखण्ड- रार्बटसगंज**
(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 03</u>

ग्राम पंचायत धोबही की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-
राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 1595743.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 1060561.00

कुल योग:- रू० 2656304.00

(उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई)। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 2656304.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अभिषेक कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवकुमार कुशवाहा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- तीनताली **विकासखण्ड- रार्बटसगंज**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

प्रस्तर संख्या - 04

ग्राम पंचायत तीनताली की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 508913.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 209082.00

कुल योग:- रू० 717995.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके

उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 717995.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संतोष एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हरिओम संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- तरावां विकासखण्ड- रार्बटसगंज

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

प्रस्तर संख्या - 05

ग्राम पंचायत तरावां की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 958785.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 968221.00

कुल योग:- रू० 1927006.00

(उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे

महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई)। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1927006.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बृजभूषण एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवकुमार कुशवाहा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- चकरा **विकासखण्ड- रार्बटसगंज**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

प्रस्तर संख्या - 06

ग्राम पंचायत चकरा की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 775952.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 6145.00

कुल योग:- रू० 782097.00

(उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक

24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई)। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 782097.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अजित कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हरिओम संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- कोटास **विकासखण्ड- रार्बटसगंज**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

प्रस्तर संख्या - 07

ग्राम पंचायत कोटास की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं

सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 951567.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 1023391.00

कुल योग:- रू० 1974958.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1974958.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्याम नारायण एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवकुमार कुशवाहा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

सामान्य आपत्ति संख्या - 02

ग्राम पंचायत का नाम- बभनौली कलां विकासखण्ड- रार्बटसगंज

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

प्रस्तर संख्या - 08

ग्राम पंचायत बभनौली कलां की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 1260312.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 500488.00

कुल योग:- रू० 1760800.00

(उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई)। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत

नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1760800.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हरिओम संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- पुरना **विकासखण्ड- रार्बटसगंज**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

प्रस्तर संख्या - 09

ग्राम पंचायत पुरना की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 1116107.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 339238.00

कुल योग:- रू० 1455345.00

(उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत)

से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई)। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1455345.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवकुमार कुशवाहा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

सामान्य आपत्ति संख्या - 02

ग्राम पंचायत का नाम- परसौटी **विकासखण्ड- रार्बटसगंज**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

प्रस्तर संख्या - 10

ग्राम पंचायत परसौटी की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 576214.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 738973.00

कुल योग:- रू० 1316187.00

(उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई)। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1316187.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिवकुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवकुमार कुशवाहा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- बछौधा विकासखण्ड- रार्बटसगंज

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 11</u>

ग्राम पंचायत बछौधा की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत

व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 541971.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 401246.00

कुल योग:- रू० 943217.00

(उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई)। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 943217.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रिजवाना एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री शिवकुमार कुशवाहा संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी

व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- भरसही **विकासखण्ड- चतरा**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

प्रस्तर संख्या - 12

ग्राम पंचायत भरसही की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावली, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 517301.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 425039.00

कुल योग:- रू० 942340.00

(उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई)। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत

सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि/समीक्षा न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 942340.00 पूर्णनियमित अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रभात कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदीश प्रसाद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

सामान्य आपत्ति संख्या - 01

<u>ग्राम पंचायत का नाम- किचार</u> **विकासखण्ड- चतरा**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 13</u>

ग्राम पंचायत किचार की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावली, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 773409.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 148334.00

कुल योग:- रू० 921743.00

(उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा

गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई)। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि/समीक्षा न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 921743.00 पूर्णनियमित अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।**सामान्य आपत्ति संख्या - 01**

<u>ग्राम पंचायत का नाम- बेलगाई</u> **विकासखण्ड- चतरा**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 14</u>

ग्राम पंचायत बेलगाई की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावली, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 751841.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 765360.00

कुल योग:- रू० 1517201.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि/समीक्षा न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1517201.00 पूर्णनियमित अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कौशल्या एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदीश प्रसाद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

सामान्य आपत्ति संख्या - 01

ग्राम पंचायत का नाम- बभनियांव **विकासखण्ड- चतरा**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

प्रस्तर संख्या - 15

ग्राम पंचायत बभनियांव की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावली, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 716325.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 602412.00

कुल योग:- रू० 1318737.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके

उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि/समीक्षा न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1318737.00 पूर्णनियमित अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमला एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदीश प्रसाद संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

सामान्य आपत्ति संख्या - 01

ग्राम पंचायत का नाम- बरईल **विकासखण्ड- चतरा**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

प्रस्तर संख्या - 16

ग्राम पंचायत बरईल की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावली, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 753833.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 609892.00

कुल योग:- रू० 1363725.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत)

से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि/समीक्षा न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1363725.00 पूर्णनियमित अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिव नारायण एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

सामान्य आपत्ति संख्या - 01

<u>ग्राम पंचायत का नाम- तियरा कला</u> **विकासखण्ड- चतरा**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 17</u>

ग्राम पंचायत तियरा कला की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावली, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 708971.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 368155.00

कुल योग:- रू० 1077126.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि/समीक्षा न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1077126.00 पूर्णनियमित अनियमित रहा जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

सामान्य आपत्ति संख्या - 01

ग्राम पंचायत का नाम- मड़पा **विकासखण्ड - नगवां**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 18</u>

ग्राम पंचायत मड़पा की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 265660.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 530848.00

कुल योग:- रू० 796508.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल

दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 796508.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अमृतलाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जैक्सन कुजूर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

सामान्य आपत्ति संख्या - 02

ग्राम पंचायत का नाम- मांची विकासखण्ड - नगवां

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 19</u>

ग्राम पंचायत मांची की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 452613.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 1581802.00

कुल योग:- रू० 2034415.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की

मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 2034415.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भुवनेश्वर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जैक्सन कुजूर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- पल्हारी विकासखण्ड - नगवां

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 20</u>

ग्राम पंचायत पल्हारी की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 657986.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 850287.00

कुल योग:- रू० 1508273.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज,

उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1508273.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुदामा प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रदेव पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

सामान्य आपत्ति संख्या - 02

ग्राम पंचायत का नाम- बैजनाथ **विकासखण्ड - नगवां**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 21</u>

ग्राम पंचायत बैजनाथ की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त

व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 660786.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 1111717.00

कुल योग:- रू० 1772503.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1772503.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती साधना सरगम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदीश संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी

व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- सोमा विकासखण्ड - नगवां

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 22</u>

ग्राम पंचायत सोमा की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 679174.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 1039456.00

कुल योग:- रू० 1718630.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो

दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1718630.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदीश संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- नगवां **विकासखण्ड - नगवां**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 23</u>

ग्राम पंचायत नगवां की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 580396.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 753386.00

कुल योग:- रू० 1333782.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा

गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए०डी०ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1333782.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बुन्दे एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जैक्सन कुजूर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- मझुई **विकासखण्ड - नगवां**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 24</u>

ग्राम पंचायत मझुई की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 728080.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 1007090.00

कुल योग:- रू० 1735170.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1735170.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विन्देश्वर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जैक्सन कुजूर संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- कोदई **विकासखण्ड - नगवां**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 25</u>

ग्राम पंचायत कोदई की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 254535.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 517727.00

कुल योग:- रू० 772262.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल

दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 772262.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बैजनाथ एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री चन्द्रदेव पाण्डेय संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- कोटा **विकासखण्ड - चोपन**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 26</u>

ग्राम पंचायत कोटा की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 22999661.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 11487590.00

कुल योग:- रू० 34487251.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे

महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 34487251.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रहलाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राहुल सिंह व अन्य संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- बिल्ली मारकुंडी विकासखण्ड - चोपन

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 27</u>

ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुंडी की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 3392961.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 4486636.00

कुल योग:- रू० 7879597.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक

24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 7879597.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दीपक सिंह व अन्य संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- झीलो **विकासखण्ड - म्योरपुर**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 28</u>

ग्राम पंचायत झीलो की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं

सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 210050.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 1028008.00

कुल योग:- रू० 1238058.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1238058.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामनारायन संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- म्योरपुर **विकासखण्ड - म्योरपुर**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 29</u>

ग्राम पंचायत म्योरपुर की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 2707030.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 2359414.00

कुल योग:- रू० 5066444.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल

दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 5066444.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अखिलेश दुबे संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- गड़िया विकासखण्ड - म्योरपुर

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 30</u>

ग्राम पंचायत गड़िया की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 1067354.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 565122.00

कुल योग:- रू० 1632476.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा

जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1632476.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रेम चंद यादव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अखिलेश दुबे संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- शिशवां **विकासखण्ड - म्योरपुर**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 31</u>

ग्राम पंचायत शिशवां की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 345950.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 2072769.00

कुल योग:- रू० 2418719.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश

के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 2418719.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जनकधारी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अब्दुल रहमान संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- खम्हरिया **विकासखण्ड - म्योरपुर**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 32</u>

ग्राम पंचायत खम्हरिया की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज

पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 332949.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 753025.00

कुल योग:- रू० 1084974.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1084974.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री इजाजत शेख एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामनारायन संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- देवरी **विकासखण्ड - म्योरपुर**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 33</u>

ग्राम पंचायत देवरी की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 1232496.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 1644782.00

कुल योग:- रू० 2877278.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल

दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 2877278.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भोला प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अब्दुल रहमान संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- परसवार राजा **विकासखण्ड - म्योरपुर**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 34</u>

ग्राम पंचायत परसवार राजा की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 694750.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 726952.00

कुल योग:- रू० 1421702.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे

महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1421702.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अविनाश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री यशवन्त गौतम संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- पाटी **विकासखण्ड - म्योरपुर**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 35</u>

ग्राम पंचायत पाटी की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 216151.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 3849339.00

कुल योग:- रू० 4065490.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक

24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए०डी०ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 4065490.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ईश्वर प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संतोष राव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- रजमिलान **विकासखण्ड - म्योरपुर**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 36</u>

ग्राम पंचायत रजमिलान की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं

सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 1210415.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 1252181.00

कुल योग:- रू० 2462596.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 2462596.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बद्रीनाथ एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामनारायन संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- पिपरहर **विकासखण्ड - म्योरपुर**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 37</u>

ग्राम पंचायत पिपरहर की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 161820.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 1070070.00

कुल योग:- रू० 1231891.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल

दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1231891.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जगजीवन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अब्दुल रहमान संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- किरविल विकासखण्ड - म्योरपुर

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 38</u>

ग्राम पंचायत किरविल की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 2144337.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 3398377.00

कुल योग:- रू० 5542714.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे

महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 5542714.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजपति एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अब्दुल रहमान संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- लिलाडेवा **विकासखण्ड - म्योरपुर**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 39</u>

ग्राम पंचायत लिलाडेवा की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत्त व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 425286.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 1025709.00

कुल योग:- रू० 1450995.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक

24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1450995.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संत कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामनारायन संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- बेलवादह **विकासखण्ड - म्योरपुर**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 40</u>

ग्राम पंचायत बेलवादह की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग व केन्द्रीय वित्त आयोग मद में कृत व्यय/उपभोग के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में वांक्षित/आवश्यक कोई भी मूल अभिलेख यथा- कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम० बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण, एवं

सम्बन्धित पत्रावली इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय इस प्रकार हैं:-

राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 534168.00

केन्द्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत व्ययः रू० 1142725.00

कुल योग:- रू० 1676893.00

उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-16012/1/2020-एफ० डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट आनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं0/ऑडिट आनलाइन/पी-43 (एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा आनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जांच भौतिक रूप से किया जाना था। उक्त के क्रम में इस ग्राम पंचायत के आनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 02.02.2023 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था परन्तु लेखा परीक्षा तिथि को ग्राम पंचायत सचिव अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं हुए। इसके उपरांत ए० डी० ओ० (पंचायत) से पत्राचार करने तथा बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद भी वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं हो सकी व उनके उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस स्थिति में समस्त धनराशि के अपहरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पुष्टि न कराए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय रू० 1676893.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरतिया देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संतोष राव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उत्तरदायी व्यक्तियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। उक्त धनराशि मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है । **सामान्य आपत्ति संख्या - 02**

ग्राम पंचायत का नाम- मोराही विकासखण्ड - घोरावल

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 41</u>

लेखा परीक्षा में ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अलावा अन्य कोई अभिलेख, बाउचर आदि प्रस्तुत नहीं रहा जिससे वर्ष में दर्शित व्यय रू० 1229364.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव शिवम सिंह व ग्राम प्रधान श्यामलाल से की जानी अपेक्षित है।**सामान्य आपत्ति संख्या - 01**

ग्राम पंचायत का नाम- दुरावल खुर्द विकासखण्ड - घोरावल

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 42</u>

लेखा परीक्षा में ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अलावा अन्य कोई अभिलेख, बाउचर आदि प्रस्तुत नहीं रहा जिससे वर्ष में दर्शित व्यय रू० 973352.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव हेमन्त कुमार शुक्ला व ग्राम प्रधान विजयशंकर से की जानी अपेक्षित है।**सामान्य आपत्ति संख्या - 01**

ग्राम पंचायत का नाम- दुगौलिया विकासखण्ड - घोरावल

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 43</u>

लेखा परीक्षा में ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अलावा अन्य कोई अभिलेख, बाउचर आदि प्रस्तुत नहीं रहा जिससे वर्ष में दर्शित व्यय रू० 2787266.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव ऋषि कुमार व ग्राम प्रधान शीला से की जानी अपेक्षित है।**सामान्य आपत्ति संख्या - 01**

ग्राम पंचायत का नाम- मुड़िलाडीह विकासखण्ड - घोरावल

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 44</u>

लेखा परीक्षा में ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अलावा अन्य कोई अभिलेख, बाउचर आदि प्रस्तुत नहीं रहा जिससे वर्ष में दर्शित व्यय रू० 1748050.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव विपिन सिंह व ग्राम प्रधान गोविंद सिंह से की जानी अपेक्षित है।**सामान्य आपत्ति संख्या - 01**

ग्राम पंचायत का नाम- सोतिल विकासखण्ड - घोरावल

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 45</u>

लेखा परीक्षा में ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अलावा अन्य कोई अभिलेख, बाउचर आदि प्रस्तुत नहीं रहा जिससे वर्ष में दर्शित व्यय रू० 1372028.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव कीर्ति मेहरोत्रा व ग्राम प्रधान शोभित प्रताप सिंह से की जानी अपेक्षित है।**सामान्य आपत्ति संख्या - 01**

ग्राम पंचायत का नाम- पनौली विकासखण्ड - घोरावल

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 46</u>

लेखा परीक्षा में ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट कैशबुक व बैंक स्टेटमेंट के अलावा अन्य कोई अभिलेख, बाउचर आदि प्रस्तुत नहीं रहा जिससे वर्ष में दर्शित व्यय रू० 1394483.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए उक्त धनराशि की मय ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव शिवम सिंह व ग्राम प्रधान संगीता से की जानी अपेक्षित है।**सामान्य आपत्ति संख्या - 01**

ग्राम पंचायत का नाम- पीपरखाड़ विकासखण्ड - कोन

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 47</u>

ग्राम पंचायत पीपरखाड़ में वर्ष 21-22 में राज्य वित्त आयोग की धनराशि में में निम्न विवरण के अनुसार हैंडपम्प मरम्मत सामग्री में व्यय कोषबही से खारिज किया गया है, मजदूरी में कोई धनराशि व्यय दर्शित नहीं है विवरण निम्न प्रकार से है-

दिनांक	**धनराशि रू० हैण्डपम्प सामग्री**
01-07-21	17051.00
01-07-21	16816.00
01-07-21	16852.00
01-07-21	17287.00
01-07-21	16992.00

01-07-21	16832.00
“	
01-07-21	16992.00
“	

योग - रू० 118822.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है की ग्राम पंचायत पीपरखाड़ में हैण्ड पम्प मरम्मत पर रू० 118822.00 दर्शाया गया है। उक्त व्यय धनराशि के व्यय प्रमाण टेंडर/कोटेशन इस्टीमेट एवं एम.बी. कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कार्यों एवं व्यय की पुष्टि नहीं होती है। अतः धनराशि रू० 118822.00 की मय ब्याज सहित वसूली वसूली ग्राम प्रधान श्री संजय कुमार एवं सचिव श्री वीरेन्द्र कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति संख्या - 01**

ग्राम पंचायत का नाम- कचनरवा विकासखण्ड - कोन

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 48</u>

ग्राम पंचायत कचनरवा में वर्ष 21-22 में राज्य वित्त आयोग की धनराशि में में निम्न विवरण के अनुसार हैंडपम्प मरम्मत सामग्री में व्यय कोषबही से खारिज किया गया है, मजदूरी में कोई धनराशि व्यय दर्शित नहीं है विवरण निम्न प्रकार से है-

दिनांक	धनराशि रू० हैण्डपम्प सामग्री
22-02-22	17718.00
“	
22-02-22	17706.00
“	
22-02-22	16929.00
“	
22-02-22	16694.00
“	

योग - रू० 69047.00

उक्त विवरण से स्पष्ट है की ग्राम पंचायत कचनखा में हैण्ड पम्प मरम्मत पर रू० 69047.00 दर्शाया गया है। उक्त व्यय धनराशि के व्यय प्रमाण टेंडर/कोटेशन इस्टीमेट एवं एम.बी. कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कार्यों एवं व्यय की पुष्टि नहीं होती है.

अतः धनराशि रू० 69047.00 की मय ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी एवं सचिव श्री शुभम सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति संख्या - 01**

ग्राम पंचायत का नाम- चेरवाडीह **विकासखण्ड - कोन**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 49</u>

ग्राम पंचायत चेरवाडीह में वर्ष 21-22 में राज्य वित्त आयोग की धनराशि में में निम्न विवरण के अनुसार हैंडपम्प मरम्मत सामग्री में व्यय कोषबही से खारिज किया गया है, मजदूरी में कोई धनराशि व्यय दर्शित नहीं है विवरण निम्न प्रकार से है-

दिनांक	धनराशि रू० हैण्डपम्प सामग्री
07-08-21	17700.00
"	
07-08-21	17346.00
"	
07-08-21	17405.00
"	
07-08-21	15675.00
"	
योग -	**रू० 68126.00**

उक्त विवरण से स्पष्ट है की ग्राम पंचायत चेरवाडीह में हैण्ड पम्प मरम्मत पर रू० 68126.00 दर्शाया गया है। उक्त व्यय धनराशि के व्यय प्रमाण टेंडर/कोटेशन इस्टीमेट एवं एम.बी. कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कार्यों एवं व्यय की पुष्टि नहीं होती है.

अतः धनराशि रू० 68126.00 की मय ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शारदा प्रसाद एवं सचिव श्री अजय कुमार सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

सामान्य आपत्ति संख्या - 01

ग्राम पंचायत का नाम- बकाही **विकासखण्ड - करमा**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 50</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2021-22 में (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (4/5 राज्य वित्त मद) से रुपये 616089.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि मे बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांत भी बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन

कैशबुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अर्थात उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिर्वाय मूल अभिलेख व सूचना जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, स्वीकृत योजना, मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 616089.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 308044.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अमरेश कुमार से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 308045.00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि. अधिकारी) श्री विजय बहादुर से वसूली आतिथि तक ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

ग्राम पंचायत का नाम- बकाही विकासखण्ड - करमा

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 51</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2021-22 में (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चौदहवां/पंद्रहवा वित्त मद)से रुपये 903916.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांत भी बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन कैशबुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया

गया। अर्थात् उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (बैंक स्टेटमेंट अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 903916.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 451958.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अमरेश कुमार से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 451958.00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि. अधिकारी) श्री विजय बहादुर से वसूली आतिथि तक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

ग्राम पंचायत का नाम- सिरसिया ठकुराई विकासखण्ड - करमा

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 52</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2021-22 में (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (4/5th राज्य वित्त मद) से रुपये 2634780.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि मे बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांत भी बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन कैशबुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अर्थात उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिर्वाय मूल

अभिलेख व सूचना जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, स्वीकृत योजना मानचित्रध्आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृ ति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 2634780.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1317390.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनरशि रुपये 1317390.00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि. अधिकारी) श्री बृजेश सिंह से वसूली आतिथि तक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

ग्राम पंचायत का नाम- सिरसिया ठकुराई विकासखण्ड - करमा

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 53</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2021-22 में (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चौदहवां / पंद्रहवा वित्त मद)से रुपये 2770787.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांत भी बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन कैशबुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराया गया। अर्थात् उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना,

संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (बैंक स्टेटमेंट अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 2770787.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1385393.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1385394.00.00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि. अधिकारी) श्री बृजेश सिंह वसूली आतिथि तक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

ग्राम पंचायत का नाम- टिकुरिया विकासखण्ड - करमा

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 54</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2021-22 में (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (4/5 राज्य वित्त मद) से रुपये 657493.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि मे बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांत भी बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन कैशबुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अर्थात उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिर्वाय मूल अभिलेख व सूचना जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, स्वीकृत योजना मानचित्रध्आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी,

वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 657493.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 328746.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अमवरावती देवी से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनरशि रुपये 328747.00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि. अधिकारी) श्री विजय बहादुर से वसूली आतिथि तक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(मूल आपत्ति संख्या-01)**

ग्राम पंचायत का नाम- टिकुरिया विकासखण्ड - करमा

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 55</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2021-22 में (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (14/15 वित्त मद) से रुपये 1036408.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांत भी बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन कैशबुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराया गया। अर्थात् उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित

व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (बैंक स्टेटमेंट अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1036408.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 518204.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती देवी से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 518204.00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि. अधिकारी) श्री विजय बहादुर से वसूली आतिथि तक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

ग्राम पंचायत का नाम- भटौलिया **विकासखण्ड - करमा**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 56</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2021-22 में (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (4/5 राज्य वित्त मद) से रुपये 1121171.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि मे बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांत भी बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन कैशबुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अर्थात उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिर्वाय मूल अभिलेख व सूचना जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, स्वीकृत योजना मानचित्रध्आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की)

फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय / अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1121171.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 560585.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र सिंह चौहान से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनरशि रुपये 560586.00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि. अधिकारी) श्री विजय बहादुर से वसूली आतिथि तक मय ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित हैं।

मूल आपत्ति संख्या-01)

ग्राम पंचायत का नाम- भटौलिया **विकासखण्ड - करमा**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 57</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2021-22 में (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (14/15 वित्त मद) से रुपये 1019795.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांत भी बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन कैशबुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराया गया। अर्थात् उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक

रजिस्टर, भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।
मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (बैंक स्टेटमेंट अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1019795.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 509897.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेन्द्र सिंह चौहान से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 509898.00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि. अधिकारी) श्री विजय बहादुर से वसूली आतिथि तक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित हैं।

(मूल आपत्ति संख्या-02

ग्राम पंचायत का नाम- सिरसिया विकासखण्ड - करमा

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 58</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2021-22 में (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (4/5th राज्य वित्त मद) से रुपये 785707.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि मे बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांत भी बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन कैशबुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अर्थात उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिर्वाय मूल अभिलेख व सूचना जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर, भौतिक

सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 785707.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 392853.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम पटेल से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनरशि रुपये 392854.00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि. अधिकारी) श्री विजय बहादुर से वसूली आतिथि तक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित हैं।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

ग्राम पंचायत का नाम- सिरसिया विकासखण्ड - करमा

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 59</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2021-22 में (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चौदहवें /पंद्रहवें वित्त मद) से रुपये 1108897.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांत भी बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन कैशबुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराया गया। अर्थात् उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (बैंक स्टेटमेंट अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1108897.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 554448.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम पटेल से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 554449.00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि. अधिकारी) श्री विजय बहादुर से वसूली आतिथि तक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित हैं।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

ग्राम पंचायत का नाम- सरंगा **विकासखण्ड - करमा**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 60</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2021-22 में (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (4/5th राज्य वित्त मद) से रुपये 1479018.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि मे बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांत भी बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन कैशबुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अर्थात उक्त दर्शित व्यय के वित्त नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिर्वाय मूल अभिलेख व सूचना जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, स्वीकृत योजना मानचित्रध्आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1479018.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 739509.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनरशि रुपये 739509.00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि. अधिकारी) श्री विपिन सिंह से वसूली आतिथि तक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित हैं।

(मूल आपत्ति संख्या-01)

ग्राम पंचायत का नाम- सरंगा **विकासखण्ड - करमा**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 61</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2021-22 में (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चौदहवां / पंद्रहवा वित्त मद) से रुपये 1412642.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांत भी बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन कैशबुक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराया गया। अर्थात् उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (बैंक स्टेटमेंट अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1412642.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 706321.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 706321.00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि. अधिकारी) श्री विपिन सिंह से वसूली आतिथि तक ब्याज सहित किया अपेक्षित हैं।

(मूल आपत्ति संख्या-02)

ग्राम पंचायत का नाम- मोकरसीम **विकासखण्ड - करमा**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 62</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2021-22 में (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) ग्राम निधि प्रयम के (4/5 th राज्य वित मद) से रुपये 2116511-00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में बार बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांत भी बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन कैशबूक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । अर्थात उक्त दर्शित व्यय के वित नियर्मा के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिर्वाय मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियों, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय (कार्य प्रारम्भ से पूर्व. कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने की) फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका स्टॉक रजिस्टर भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दयित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य हैं। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियम विरुद्ध (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 2116511.00 में से पचास प्रततशत (50%) धनराशि रुपये 1058255.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनरशि रुपये 1058256.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि. अधिकारी) श्री विपिन सिंह से वसूली आतिथि तक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित हैं। **(मूल आपत्ति संख्या-01)**

ग्राम पंचायत का नाम- मोकरसीम **विकासखण्ड - करमा**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 63</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2021-22 में (बैंक स्टेटमेंट के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (चौदहवां / पंद्रहवा वित्त मद)से रुपये 1129470=00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में बार- बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांत भी बैंक स्टेटमेंट और ऑनलाइन कैशबूक के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया । अर्थात उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबंधित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टैंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों

में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा ।

उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी ।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (बैंक स्टेटमेंट अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1129470.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 564735.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 564735.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री विपिन सिंह से वसूली आतिथि तक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित हैं।

(मूल आपत्ति संख्या - 2)

ग्राम पंचायत का नाम- डुमहर **विकासखण्ड - बभनी**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 64</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 में (ई-ग्रामस्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (4/5 राज्य वित्त मद) से रुपये 1142729.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांत भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई-ग्रामस्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1142729.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 571364.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम प्रताप से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 571365.00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि.अधिकारी) श्री रवि प्रकाश गौतम से वसूली आतिथि तक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित हैं। **(मूल आपत्ति संख्या - 01)**

ग्राम पंचायत का नाम- डुमहर **विकासखण्ड - बभनी**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 65</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 मे (ई-ग्रामस्वराज/ प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (14/15th केन्द्रिय वित्त मद) से रुपये 1732664.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांतभी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियों, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई-ग्रामस्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1732664.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 866332.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम प्रताप से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 866332.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि.अधिकारी) श्री रवि प्रताप गौतम से वसूली आतिथि तक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित हैं। **(मूल आपत्ति संख्या - 02)**

ग्राम पंचायत का नाम- शिशटोला विकासखण्ड - बभनी

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 66</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 मे (ई-ग्रामस्वराज/प्रियासापट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (4/5 राज्य वित्त मद) से रुपये 1181902.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांत भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई-ग्रामस्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1181902.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 590951.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनवर हुसैन से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 590951.00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि.अधिकारी) श्री रवि प्रकाश गौतम से वसूली आतिथि तक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित हैं। **(मूल आपत्ति संख्या - 01)**

ग्राम पंचायत का नाम- शिशटोला विकासखण्ड - बभनी

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 67</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 मे (ई-ग्रामस्वराज/प्रियासापट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (14/15 दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के केन्द्रिय वित्त मद) से रुपये 1849646.00 का व्यय की पुष्टि में बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप सेमांगोंपरांत भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई-ग्रामस्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1849646.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 924823.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनवर हुसैन से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 924823.00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि.अधिकारी) श्री रवि प्रताप गौतम से वसूली आतिथि तक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित हैं। **(मूल आपत्ति संख्या - 02)**

ग्राम पंचायत का नाम- बरवाटोला-ब **विकासखण्ड - बभनी**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 68</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 मे (ई-ग्रामस्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (4/5 राज्य वित्त मद) से रुपये 918549.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांत भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई-ग्रामस्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 918549.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 459275.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जैमुल निशा से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 459275.00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि.अधिकारी) श्री रवि प्रकाश गौतम से वसूली आतिथि तक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित हैं। **(मूल आपत्ति संख्या-01)**

ग्राम पंचायत का नाम- बरवाटोला-ब **विकासखण्ड - बभनी**

(लेखा परीक्षा वर्ष-2021-22)

<u>प्रस्तर संख्या - 69</u>

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष-2020-21 मे (ई-ग्रामस्वराज/प्रियासाफ्ट पर अपलोड प्रविष्टियों के अनुसार) ग्राम निधि प्रथम के (14/15" केन्द्रिय वित्त मद) से रुपये 991458.00 का व्यय दर्शित किया गया है। उक्त दर्शित व्यय की पुष्टि में बार-बार लिखित एवं मौखिक रूप से मांगोंपरांत भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त दर्शित व्यय के वित्तीय नियमों के अनुरूप व्यय प्रमाणको की मूल प्रति (बिल/मस्टर रोल/ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियों एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/अनुमोदित कार्य योजना, संबन्धित समितियों व पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, प्रमाणित कोषबही, बैंक पासबुक, स्वीकृत योजना मानचित्र/आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी।

मूल अभिलेखों के अभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा। इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत रहा। उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार 'यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य है। उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध (ई-ग्रामस्वराज/प्रियासाफ्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 991458.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 495729.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जैमुल निशा से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 495729.00 सचिव-ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.वि.अधिकारी) श्री रवि प्रताप गौतम से वसूली आतिथि तक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित हैं। **(मूल आपत्ति संख्या - 02)**

अध्याय-5

निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/विशेष प्रतिवेदनों का अनुपालन, समीक्षा व नस्ति संग्रह का विवरण

5-1-जिला पंचायत-

जिला पंचायतों में मात्र 75 जिला पंचायतों की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्राप्त हुए। लेखा परीक्षित संस्थाओं में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही। मात्र 14 सामान्य प्रतिवेदन तथा 07 विशेष प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रूचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। जिला पंचायतों का लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

5-2-क्षेत्र पंचायत-

मात्र 826 क्षेत्र पंचायतों के अभिलेख लेखा परीक्षा दल को प्राप्त हुए। लेखा परीक्षित क्षेत्र पंचायतों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही, क्षेत्र पंचायत द्वारा शून्य सामान्य प्रतिवेदन और 02 विशेष प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग ग्राम्य विकास विभाग द्वारा भी इस विर्षय पर कोई रूचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

5-3-ग्राम पंचायत-

ग्राम पंचायतों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में अनुपालन की स्थिति संतोषजनक नही रही, ग्राम पंचायत द्वारा 02 सामान्य प्रतिवेदन तथा 157 ग्राम पंचायतों द्वारा विशेष प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रूचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं

उदासीनता को दर्शाता है। ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार की अपेक्षानुसार ऑडिट ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हुई है। गतवर्ष केवल ग्राम पंचायतों में ही ऑडिट ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरु हो पायी थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 से समस्त पंचायतीराज संस्थाओं की लेखा परीक्षा ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल पर हो रही है।

अध्याय-6
निष्कर्ष व सुझाव

6-1-निष्कर्ष

बाह्य सम्प्रेक्षण के प्रति उदासीनता-

निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखापरीक्षा उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पूरे राज्य में कुल 826 क्षेत्र पंचायतों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान 826 क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा कराई गयी । किसी क्षेत्र पंचायत द्वारा सम्प्रेक्षण कराने से मना करने की दशा में उस क्षेत्र पंचायत को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जाना चाहिये और उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम संख्या- 174 के क्रम में कार्यकारी अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही भी की जानी चाहिये।

इसी प्रकार मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पूरे राज्य में कुल 58194 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान 58189 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा कराई गयी थी । ग्राम सभाओं की जनपदवार प्रगति परिशिष्ट-3 में उल्लिखित है। लेखा परीक्षा न होने का मुख्य कारण ग्राम प्रधान व ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा अभिलेख न उपलब्ध कराना है। प्रशासनिक विभागों के निचले स्तर के अधिकारियों (विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर) द्वारा अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया गया। लेखा परीक्षा न कराने वाली ग्राम पंचायतों के विरूद्ध सामयिक व कड़ी कार्यवाही न किए जाने से इस प्रकार की अराजकता को बल मिला। अध्याय-8 के पैरा-3 में यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का सम्प्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जायेगा। किसी ग्राम पंचायत द्वारा सम्प्रेक्षण कराने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जाएगा और साथ ही ग्राम प्रधान तथा ग्राम्य विकास अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। परन्तु व्यवहार में सम्पूर्ण राज्य में इस प्रकार का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ।

निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करना- त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं की लेखा परीक्षा में अधिकांश संस्थाओं द्वारा निर्धारित अनेक अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण समग्र व वास्तविक मूल्यांकन सम्भव नहीं हो सका जिसका लेखा परीक्षा परिणामों पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा अधोलिखित विषयों पर स्पष्ट व सारगर्भित विवेचना नहीं की जा सकी। ई-ग्राम स्वराज पर भी पंचायतीराज संस्थाओं के लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक सभी अभिलेख अपलोड नहीं हैं।

कार्य की पंचायत , तकनीकी, सक्षम स्तर की स्वीकृति।

खर्च की गयी धनराशि के सापेक्ष सरकार की योजनाओं में सन्निहित उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुयी।

इच्छित लाभ लोगों तक पहुंचा है। विशिष्ट कार्यक्रमों/विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं/कार्य में सुधार होने वाली त्रुटि के निवारण हेतु कार्यवाही की गयी है।

कार्यकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित जॉच न करने के फलस्वरूप कपटपूर्ण कार्य, अपहरण आदि सुसाध्य हुआ।

अकुशल वित्तीय प्रबंधन, कार्यक्रमों का अकुशल क्रियान्वयन, अपूर्ण कार्य व कमजोर अनुश्रवण के कारण अपेक्षित लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सकना।

श्रमिकों के भुगतान में विलंब।
नियमों व नियमन का अनुपालन न करना।
असावधानी/नियंत्रण की कमी/पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय।
सतत व व्यापक अनियमितता,धोखे, अपहरण को चिन्हित करना।
अनुदान की धनराशि का उपयोग न करना। वापस न करना।
11-अभिलेखों के अंकन व रख रखाव का मूल्यांकन।
12- **महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्धारित समस्त 08 प्रपत्र प्रिया सॉफ्ट पर नही रखे जा रहे है।**

इसी प्रकार ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में निर्धारित अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के कारण अधिकांश ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में समग्र व वास्तविक मूल्यांकन संभव न हो सका जिसके परिणाम स्वरूप अधोलिखित तथ्यों का परीक्षण व मूल्यांकन नहीं किया जा सका। ई- ग्राम स्वराज पर भी पर्याप्त अभिलेख नहीं रखे जा रहे हैं।

1-परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत थी अथवा नहीं ?
2-किये गये व्यय से वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का पालन किया गया अथवा नहीं ?
3-न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया अथवा नहीं ?
4-न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता का क्रय किया गया अथवा नहीं ?
5- ग्राम पंचायत द्वारा प्रभावी ढ़ंग से योजना का अनुश्रवण करते हुए भौतिक लक्ष्य को समय से पूर्ण किया गया अथवा नहीं?

<u>भौतिक उपलब्धियों का परीक्षण-</u>

परियोजनाओं के भौतिक लक्ष्य के पूर्ण होने व समय से पूर्ण होने के सम्बन्ध में स्थिति संदिग्ध रही। अधोलिखित तथ्यों के परिणाम स्वरूप का परीक्षण व मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

1-लेखा परीक्षा में तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करने।
2-परियोजना के पूर्ण होने की स्थिति (कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत न करने।
3-परियोजना में कृत कार्य वास्तविक अथवा अवास्तविक इस तथ्य की पुष्टि का कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण।
4- लेखा परीक्षा में परियोजनाओं के भौतिक उपलब्धियों को परीक्षण के लिये सक्षम अधिकारियों (यथा जिला पंचायत का कोई पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी) द्वारा किये गये निरीक्षणों की रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे सक्षम अधिकारियों द्वारा उनके रिपोर्ट में इंगित कमियों एवं उसके निराकरण हेतु पंचायत स्तर पर की गयी कार्यवाही एवं उससे हुये सुधार का आंकलन लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

<u>अनुपालन -</u> जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन नगण्य रहा। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन कुल लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों केसापेक्ष अत्यन्त कम है। प्राप्त अनुपालन भी अत्यन्त सरसरी तौर पर मात्र औपचारिकता पूर्ति के लिए किये गये। जो लेखा परीक्षा के प्रति अपर्याप्त अनुश्रवण व कमजोर प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। सम्यक व समुचित अनुपालन की कार्यवाही का न होना लेखा परीक्षा के सम्पूर्ण उद्देश्य को खंडित कर देता है। अतः इस विषय पर पटल का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

<u>6-2-संस्तुतियां-</u>

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक कठिनाई लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित सभी अभिलेखों का प्रस्तुत न हो पाना रहा, जिससे लेखा परीक्षा की प्रगति एवं गुणवत्ता प्रभावित हुई। ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षार्थ अभिलेखों को प्रस्तुत करने में निरन्तर शिथिलता बरती

जा रही है। जिसके कारण प्रभावित प्रगति का अवलोकन परिशिष्ट-2 एवं 3 में किया जा सकता है। अधिनियम व नियमावलियों में निर्धारित सभी अभिलेखों को लेखा परीक्षार्थ न प्रस्तुत करने पर कोई दण्डात्मक विधान न होने के कारण प्रशासनिक प्रस्तर पर इस कार्य में निरन्तर शिथिलता बरती जा रही है। इस समस्या के निराकरण के लिए अधोलिखित संस्तुतियां की जाती है-

1-लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता के लिये सभी ग्राम पंचायत के अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर लेखांकित होने चाहिये और लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होने चाहिये जिससे लेखा परीक्षा में गहन व परिपूर्ण मूल्यांकन सम्भव हो सके।

2- सभी क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के अभिलेख प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कराये जाने के प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी चाहिए।

3- निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न होने की दशा में संस्था के कार्यकारी अधिकारी यथा (क्षेत्र पंचायत की दशा में खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत की दशा में ग्राम्य विकास अधिकारी) के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया जाना चाहिए।

4-लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत कराये जाने के लिये जनपद स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी/नोडल अधिकारी यथा (मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायती राज अधिकारी) का दायित्व भी निर्धारित किया जाना चाहिए।

5-कराये गये कार्य को कम से कम 20 प्रतिशत का भौतिक परीक्षण लेखा परीक्षक के स्तर से भी किया जाना चाहिए। जिससे प्रस्तुत अभिलेख एवं कृत कार्य का सर्वागीण परीक्षण कर वस्तुस्थिति का स्पष्ट चिट्ठा प्रस्तुत किया जा सकता है।

6-पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षा हेतु विभाग के लिये एक लेखा परीक्षा अधिनियम बनाया जाना चाहिए जिसमें लेखा परीक्षक के समक्ष निर्धारित अवधि में समस्त निर्धारित अभिलेखों को प्रस्तुत न कर पाने की दशा में यथोचित अर्थदण्ड एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधान होना चाहिए।

7-महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्धारित सभी 08 प्रपत्र प्रिया सॉफ्ट पर रखे जाए जिससे पारदर्शिता बनी रहे। ई- ग्राम स्वराज पर मदवार आय- व्यय के साथ-साथ ऑडिट हेतु आवश्यक अन्य अभिलेख यथा व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति पत्र , टेंडर/ कोटेशन संबंधी अभिलेख, प्राक्कलन आदि अभिलेख भी अपलोड कराए जाने चाहिए जिससे ससमय पारदर्शिता के साथ लेखा परीक्षा संपन्न कराई जा सके ।

<u>अनुपालन-</u> पंचायती राज संस्थाओं में निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अनुपालन का न होना अपर्याप्त अनुश्रवण व कमजोर प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इससे जहां लेखा परीक्षा का सम्पूर्ण उद्देश्य खण्डित होता है वहीं विकास कार्यों के लिये भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित अरबों रूपये की धनराशि के उचित उपयोग पर प्रश्नचिन्ह लगता है। विधान मण्डल व माननीय सदस्यों की समिति उपर्युक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुये अनुपालन की समयबद्धता एवं गुणवत्ता के विषय में उचित कार्यवाही करना चाहें।

(बजरंगी सिंह)
निदेशक
सहकारी समितियॉ एवं पंचायत लेखापरीक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

<u>त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22</u>

<u>प्रारूप 1 जिला पंचायत</u>

प्रारूप-1											
वर्ष **<u>2021-22</u>**में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या											
क्र0 सं0	नाम संस्था	वर्ष में लेखा परीक्षा योग्य संस्थाओं की सं0			वर्ष में लेखा परीक्षित संस्थाओं की सं0			वर्ष के अन्त में अवशेष संस्थाओं की सं0 (3-4)			लेखा परीक्षा न होने का कारण
1	2	3			4			5			6
		चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	
1	लखनऊ	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
2	रायबरेली	1	0	1	0	0	0	1	0	1	अभिलेख अनुपलब्धता
3	उन्नाव	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
4	हरदोई	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
5	सीतापुर	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
6	लखीमपुर-खीरी	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
7	गोरखपुर	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
8	देवरिया	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
9	महाराजगंज	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
10	कुशीनगर	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
11	बस्ती	1									
12	संतकबीर नगर	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
13	सिद्धार्थ नगर	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
14	अमरोहा(जे. पी.नगर)	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
15	मुरादाबाद	1	0	1	1	0	1	0	0	0	

16	सम्भल	1	0	1	0	0	0	1	0	1	सहवर्ग की कमी
17	रामपुर	1	0	1	0	0	0	1	0	1	अभिलेख अनुपलब्धता
18	बिजनौर	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
19	अम्बेडकर नगर	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
20	अमेठी	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
21	अयोध्या	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
22	बाराबंकी	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
23	सुल्तानपुर	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
24	बहराइच	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
25	गोण्डा	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
26	बलरामपुर	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
27	श्रावस्ती	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
28	आजमगढ़	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
29	बलिया	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
30	मऊ	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
31	झांसी	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
32	ललितपुर	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
33	जालौन	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
34	चित्रकूट	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
35	बाँदा	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
36	महोबा	1	1	2	1	1	2	0	0	0	
37	हमीरपुर	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
38	प्रतापगढ़	1	1	2	1	1	2	0	0	0	
39	प्रयागराज	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
40	कौशाम्बी	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
41	फतेहपुर	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
42	बुलन्दशहर	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
43	गौतमबुद्ध नगर	1	4	5	1	4	5	0	0	0	
44	गाजियाबाद	1	0	1	1	0	1	0	0	0	

45	हापुड़	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
46	मेरठ	1	5	6	1	2	3	0	3	3	
47	बागपत	1	3	4	1	3	4	0	0	0	
48	मुजफ्फर नगर	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
49	सहारनपुर	1	2	3	1	2	3	0	0	0	
50	शामली	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
51	वाराणसी	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
52	चन्दौली	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
53	जौनपुर	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
54	गाजीपुर	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
55	मीरजापुर	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
56	सोनभद्र	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
57	भदोही	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
58	बरेली	1	3	4	1	3	4	0	0	0	
59	पीलीभीत	1	2	3	0	0	0	1	2	3	
60	बदायूँ	1	12	13	0	0	0	1	12	13	
61	शाहजहाँपुर	1	9	10	0	7	7	1	2	3	अभिलेख अनुपलब्धता
62	आगरा	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
63	फिरोजाबाद	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
64	मैनपुरी	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
65	मथुरा	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
66	अलीगढ़	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
67	एटा	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
68	हाथरस	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
69	कासगंज	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
70	कानपुर नगर	1	0	0	1	0	1	0	0	0	
71	औरैया	1	1	2	1	0	1	1	0	1	अभिलेख अनुपलब्धता
72	कानपुर देहात	1	0	1	1	0	1	0	0	0	

73	फर्रुखाबाद	1	2	3	1	2	3	0	0	0	
74	कन्नौज	1	0	1	0	0	0	1	0	1	सहवर्ग की कमी
75	इटावा	1	0	1	1	0	1	0	0	0	

<u>त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22</u>

<u>प्रारूप 1 क्षेत्र पंचायत</u>

प्रारूप-1											
वर्ष **<u>2021-22</u>** में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या											
क्र0 सं0	नाम संस्था	वर्ष में लेखा परीक्षा योग संस्थाओं की सं0			वर्ष में लेखा परीक्षित संस्थाओं की सं0			वर्ष के अन्त में अवशेष संस्थाओं की सं0 (3-4)			लेखा परीक्षा न होने का कारण
1	2	3			4			5			6
		चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	
1	लखनऊ	8	0	8	5	0	5	3	0	3	
2	रायबरेली	18	0	18	17	0	17	1	0	1	अभिलेख अनुपलब्धता
3	उन्नाव	16	0	16	16	0	16	0	0	0	
4	हरदोई	19	0	19	9	0	9	10	0	10	अभिलेख अनुपलब्धता
5	सीतापुर	19	0	19	19	0	19	0	0	0	
6	लखीमपुर-खीरी	15	0	15	0	0	0	15	0	15	
7	गोरखपुर	20	0	20	10	0	10	10	0	10	
8	देवरिया	16	0	16	8	0	8	8	0	8	
9	महाराजगंज	12	31	43	3	2	5	9	29	38	अभिलेख अनुपलब्धता

10	कुशीनगर	14	0	14	5	0	5	9	0	9	
11	बस्ती	14									
12	संतकबीर नगर	9	0	9	9	0	9	0	0	0	
13	सिद्धार्थनगर	14	0	14	14	0	14	0	0	0	
14	अमरोहा(जे. पी.नगर)	6	26	32	0	0	0	6	26	32	अभिलेख अनुपलब्धता
15	मुरादाबाद	8	0	8	8	0	8	0	0	0	
16	सम्भल	8	0	8	0	0	0	8	0	8	अभिलेख अनुपलब्धता
17	रामपुर	**6**	103	109	0	0	0	**6**	103	109	
18	बिजनौर	11	0	11	11	0	11	0	0	0	
19	अम्बेडकर नगर	**9**	0	9	**9**	0	9	0	0	0	
20	अमेठी	13	0	13	13	0	13	0	0	0	
21	अयोध्या	11	0	11	11	0	11	0	0	0	
22	बाराबंकी	15	0	15	13	0	13	2	0	2	
23	सुल्तानपुर	14	0	14	14	0	14	0	0	0	
24	बहराइच	14	0	14	14	0	14	0	0	0	
25	गोण्डा	16	0	16	16	0	16	0	0	0	
26	बलरामपुर	9	0	9	2	0	2	7	0	7	
27	श्रावस्ती	5	0	05	3	0	3	2	0	2	
28	आजमगढ़	22	228	250	22	9	31	0	219	219	
29	बलिया	17	168	185	11	6	17	6	162	168	
30	मऊ	9	0	9	9	0	9	0	0	0	
31	झांसी	8	0	8	8	0	8	0	0	0	
32	ललितपुर	6	0	6	6	0	6	0	0	0	
33	जालौन	9	0	9	1	0	1	8	0	8	अभिलेख अनुपलब्धता
34	चित्रकूट	5	0	5	5	0	5	0	0	0	
35	बाँदा	8	0	8	8	0	8	0	0	0	
36	महोबा	4	55	59	0	0	0	4	55	59	अभिलेख अनुपलब्धता

37	हमीरपुर	7	0	7	3	0	3	4	0	4	
38	प्रतापगढ़	17	74	91	3	0	3	14	74	88	
39	प्रयागराज	23	256	279	23	23	46	0	233	0	अभिलेख अनुपलब्धता
40	कौशाम्बी	8	0	8	7	0	7	0	0	0	
41	फतेहपुर	13	0	13	13	0	13	0	0	0	
42	बुलन्दशहर	16	0	16	16	0	16	0	0	0	
43	गौतमबुद्ध नगर	3	28	31	3	0	3	0	28	28	
44	गाजियाबाद	4	0	4	4	0	4	0	0	0	
45	हापुड़	4	0	4	4	0	4	0	0	0	
46	मेरठ	12	4	16	12	4	16	0	4	4	
47	बागपत	**6**	**111**	**117**	6	0	6	**0**	**111**	**111**	अभिलेख अनुपलब्धता
48	मुजफ्फर नगर	9	0	9	9	0	9	0	0	0	
49	सहारनपुर	11	0	11	11	0	11	0	0	0	
50	शामली	5	1	6	5	1	6	0	0	0	
51	वाराणसी	8	0	8	6	0	6	2	0	2	
52	चन्दौली	9	0	9	9	0	9	0	0	0	
53	जौनपुर	21	2	23	21	2	23	0	0	0	
54	गाजीपुर	16	0	16	15	0	15	1	0	1	
55	मीरजापुर	12	43	55	10	6	16	2	37	39	अभिलेख अनुपलब्धता
56	सोनभद्र	10	0	10	10	0	10	0	0	0	
57	भदोही	6	0	6	6	0	6	0	0	0	
58	बरेली	15	0	15	4	0	4	11	0	11	
59	पीलीभीत	7	74	81	0	0	0	7	74	81	
60	बदायूँ	15	226	241	0	0	0	15	226	241	
61	शाहजहाँपुर	15	75	90	15	0	15	0	75	75	अभिलेख अनुपलब्धता
62	आगरा	15	0	15	15	0	15	0	0	0	
63	फिरोजाबाद	9	0	9	9	0	9	0	0	0	

64	मैनपुरी	9	0	9	9	0	9	0	0	0	अभिलेख अनुपलब्धता
65	मथुरा	10	0	10	0	0	0	10	0	10	
66	अलीगढ़	12	0	12	12	0	12	6	0	6	
67	एटा	8	0	8	8	0	8	0	0	0	
68	हाथरस	7	0	7	7	0	7	0	0	0	
69	कासगंज	7	0	7	7	0	7	0	0	0	
70	कानपुर नगर	10	0	10	10	0	10	0	0	0	
71	औरैया	7	64	71	9	0	9	62	0	62	अभिलेख अनुपलब्धता
72	कानपुर देहात	10	0	10	10	0	10	0	0	0	
73	फर्रुखाबाद	7	13	20	7	0	7	0	13	13	सहवर्ग की कमी
74	कन्नौज	8	0	8	0	0	0	8	0	8	सहवर्ग की कमी
75	इटावा	8	0	8	8	0	8	0	0	0	अभिलेख उपलब्ध न होना

<u>त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22</u>

<u>प्रारूप 1 ग्राम पंचायत</u>

प्रारूप-1					
वर्ष **<u>2021-22</u>** में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या					
क्र0 सं0	नाम संस्था	वर्ष में लेखा परीक्षा योग संस्थाओं की सं0	वर्ष में लेखा परीक्षित संस्थाओं की सं0	वर्ष के अन्त में अवशेष संस्थाओं की सं0 (3-4)	लेखा परीक्षा न होने का कारण
1	2	3	4	5	6

		चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	चालू	बकाया	योग	
1	लखनऊ	494	0	494	494	0	494	0	0	0	
2	रायबरेली	988	0	988	988	0	988	0	0	0	
3	उन्नाव	1044	0	1044	1044	0	1044	0	0	0	
4	हरदोई	1306	0	1306	1306	0	1306	0	0	0	
5	सीतापुर	1600	0	1600	1600	0	1600	0	0	0	
6	लखीमपुर-खीरी	1167	0	1167	1094	0	1094	73	0	73	
7	गोरखपुर	1294	0	1294	1292	0	1292	2	0	2	
8	देवरिया	1185	0	1185	1185	0	1185	0	0	0	
9	महाराजगंज	882	0	882	882	0	882	0	0	0	
10	कुशीनगर	1003	0	1003	1003	0	1003	0	0	0	
11	बस्ती	1185									
12	संतकबीर नगर	740	0	740	740	0	740	0	0	0	
13	सिद्धार्थ नगर	1136	0	1136	1136	0	1136	0	0	0	
14	अमरोहा(जे. पी.नगर)	597	2929	3526	597	0	597	0	2929	2929	अभिलेख अनुपलब्धता
15	मुरादाबाद	643	0	643	643	0	643	0	0	0	
16	सम्भल	670	0	670	670	0	670	0	0	0	
17	रामपुर	680	2506	3186	680	0	680	0	0	0	
18	बिजनौर	1123	0	1123	1123	0	1123	0	0	0	
19	अम्बेडकर नगर	902	0	902	902	0	902	0	0	0	
20	अमेठी	682	0	682	682	0	682	0	0	0	
21	अयोध्या	794	0	794	794	0	794	0	0	0	
22	बाराबंकी	1161	0	1161	1161	0	1161	0	0	0	
23	सुल्तानपुर	979	0	979	979	0	979	0	0	0	

24	बहराइच	1045	0	1045	1045	0	1045	0	0	0	
25	गोण्डा	1214	0	1214	1214	0	1214	0	0	0	
26	बलरामपुर	800	0	800	800	0	800	0	0	0	
27	श्रावस्ती	397	0	397	397	0	397	0	0	0	
28	आजमगढ़	1858	9715	11573	1858	0	1858	0	9715	9715	
29	बलिया	940	4128	5068	940	0	940	0	4128	4128	
30	मऊ	671	0	671	671	0	671	0	0	0	
31	झांसी	496	0	496	496	0	496	0	0	0	
32	ललितपुर	415	0	415	415	0	415	0	0	0	
33	जालौन	574	0	574	574	0	574	0	0	0	
34	चित्रकूट	328	0	328	328	0	328	0	0	0	
35	बाँदा	469	0	469	469	0	469	0	0	0	
36	महोबा	273	2093	2366	273	214	487	0	1879	1879	अभिलेख अनुपलब्धता
37	हमीरपुर	330	0	330	330	0	330	0	0	0	
38	प्रतापगढ़	1193	0	1193	1193	0	1193	0	0	0	
39	प्रयागराज	1540	0	1540	1540	0	1540	0	0	0	
40	कौशाम्बी	451	0	451	451	0	451	0	0	0	
41	फतेहपुर	834	0	834	834	0	834	0	0	0	
42	बुलन्दशहर	946	0	946	946	0	946	0	0	0	
43	गौतमबुद्ध नगर	88	0	88	88	0	88	0	0	0	
44	गाजियाबाद	161	0	161	161	0	161	0	0	0	
45	हापुड़	273	0	273	273	0	273	0	0	0	
46	मेरठ	479	0	479	479	0	479	0	0	0	
47	बागपत	244	169	413	244	0	244	0	169	169	अभिलेख अनुपलब्धता
48	मुजफ्फर नगर	498	0	498	498	0	498	0	0	0	
49	सहारनपुर	884	0	884	884	0	884	0	0	0	
50	शामली	230	0	230	230	0	230	0	0	0	

51	वाराणसी	694	0	694	694	0	694	0	0	0	
52	चन्दौली	734	0	734	734	0	734	0	0	0	
53	जौनपुर	1739	4821	6560	1739	0	1739	0	4821	4821	
54	गाजीपुर	1238	0	1238	1238	0	1238	0	0	0	
55	मीरजापुर	809	78	887	809	0	809	809	78	78	अभिलेख अनुपलब्धता
56	सोनभद्र	629	0	629	629	0	629	0	0	0	
57	भदोही	546	1924	546	546	0	546	0	0	0	अभिलेख अनुपलब्धता
58	बरेली	1193	0	1193	1193	0	1193	0	0	0	
59	पीलीभीत	720	5905	6625	720	0	720	0	5905	5905	
60	बदायूँ	1037	1338	2375	693	552	1245	344	786	1130	
61	शाहजहाँपुर	1069	0	1069	1069	0	1069	0	0	0	
62	आगरा	695	0	695	695	0	695	0	0	0	
63	फिरोजाबाद	564	0	564	564	0	564	0	0	0	
64	मैनपुरी	549	0	549	549	0	549	0	0	0	
65	मथुरा	504	0	504	504	0	504	0	0	0	
66	अलीगढ़	869	0	869	869	0	869	0	0	0	
67	एटा	575	0	575	575	0	575	0	0	0	
68	हाथरस	463	0	463	463	0	463	0	0	0	
69	कासगंज	423	0	423	423	0	423	0	0	0	
70	कानपुर नगर	590	0	590	590	0	590	0	0	0	
71	औरैया	477	3827	4304	475	0	475	3829	0	3829	
72	कानपुर देहात	618	0	618	618	0	618	0	0	0	
73	फर्रुखाबाद	594	6119	6713	594	0	594	0	6119	6119	अभिलेख अनुपलब्धता
74	कन्नौज	499	0	499	374	0	374	125	0	125	सहवर्ग

											की कमी
75	इटावा	471	0	471	471	00	471	0	0	0	

<u>प्रारूप 5 जिला पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2021-22</u>

<u>जिला पंचायत की लेखा परीक्षा प्रगति निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरणः-</u>

क्र0सं0	जनपद	लेखापरीक्षा प्रगति			सामान्य प्रतिवेदन			अधिभार प्रतिवेदन		
		कुल जिला पंचायत	लेखा परीक्षित	बकाया	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं.	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं.	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन की सं.
1	लखनऊ	1	1	0	1	0	1	1	0	1
2	रायबरेली	1	0	1	0	0	0	1	0	1
3	उन्नाव	1	1	0	1	0	1	1	0	1
4	हरदोई	1	1	0	1	0	1	1	0	1
5	सीतापुर	1	1	0	0	0	0	3	0	0
6	लखीमपुर-खीरी	1	1	1	2	0	2	2	0	2
7	गोरखपुर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
8	देवरिया	1	1	0	1	0	1	1	0	1
9	महाराजगंज	1	1	0	1	1	0	1	1	0
10	कुशीनगर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
11	बस्ती	1	1	0	1	0	1	1	0	1
12	संतकबीर नगर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
13	सिद्धार्थनगर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
14	अमरोहा(जे.पी.नगर)	2	2	0	0	0	0	2	0	0
15	मुरादाबाद	1	1	0	1	0	1	1	0	1
16	सम्भल	1	0	0	0	0	0	0	0	0
17	रामपुर	1	0	1	0	0	0	**0**	**0**	**0**
18	बिजनौर	1	1	0	1	0	1	1	1	0
19	अयोध्या	1	1	0	0	0	0	0	0	0
20	बहराइच	1	1	0	1	0	1	1	0	1
21	गोण्डा	1	1	0	1	0	1	1	0	1

22	बलरामपुर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
23	श्रावस्ती	1	1	0	1	0	1	1	0	1
24	अमेठी	1	1	0	1	0	1	1	0	1
25	सुल्तानपुर	1	**0**	1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	बाराबंकी	1	1	0	1	0	1	1	0	1
27	अम्बेडकर नगर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
28	आजमगढ़	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
29	बलिया	1	1	0	1	0	1	1	0	1
30	मऊ	1	1	0	1	0	1	1	0	1
31	जालौन	1	1	0	1	0	1	1	0	1
32	ललितपुर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
33	झांसी	1	1	0	1	0	1	1	0	1
34	हमीरपुर	1	0	1	0	0	0	1	0	1
35	बाँदा	1	1	0	1	0	1	1	0	1
36	चित्रकूट	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
37	महोबा	1	1	1	1	0	1	1	0	0
38	प्रतापगढ़	1	1	0	1	0	0	3	0	3
39	प्रयागराज	1	1	0	1	0	**0**	1	0	1
40	कौशाम्बी	1	1	0	1	0	1	1	0	1
41	फतेहपुर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
42	बुलन्दशहर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
43	गौतमबुद्ध नगर	5	5	0	5	4	1	4	2	2
44	गाजियाबाद	1	1	0	1	0	0	1	0	0
45	हापुड़	1	1	0	1	0	1	1	0	1
46	मेरठ	6	3	3	3	0	3	3	0	3
47	बागपत	4	4	0	4	0	4	4	0	4
48	मुजफ्फर नगर	1	1	0	1	0	1	0	0	0
49	सहारनपुर	1	3	0	3	0	3	3	0	3
50	शामली	1	1	0	1	0	1	0	0	0
51	वाराणसी	1	1	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
52	चन्दौली	1	1	0	1	0	1	1	0	1
53	जौनपुर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
54	गाजीपुर	1	0	1	0	0	0	0	0	0
55	मीरजापुर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
56	सोनभद्र	1	1	0	1	0	1	1	0	1
57	भदोही	1	0	1	1	0	1	1	1	0

58	बरेली	4	4	0	4	0	4	4	0	4
59	पीलीभीत	1	0	1	1	0	0	1	1	1
60	बदायूँ	1	0	0	0	0	0	0	0	0
61	शाहजहाँपुर	10	7	3	7	0	7	5	0	5
62	आगरा	1	1	0	1	0	1	1	0	1
63	फिरोजाबाद	1	1	0	1	0	1	1	0	1
64	मथुरा	1	0	1	0	0	0	0	0	0
65	मैनपुरी	1	**0**	1	1	0	1	1	0	1
66	अलीगढ़	1	1	0	1	0	1	1	0	1
67	एटा	1	0	0	0	0	0	0	0	0
68	हाथरस	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
69	कासगंज	1	1	0	1	0	1	1	0	1
70	कानपुर नगर	1	1	0	1	0	1	1	0	1
71	औरैया	2	1	1	1	0	1	1	0	1
72	कानपुर देहात	1	1	0	1	0	1	1	0	1
73	फर्रुखाबाद	1	1	0	1	0	1	1	0	1
74	कन्नौज	1	1	0	1	0	1	1	0	1
75	इटावा	1	1	0	1	0	1	1	0	1

<u>प्रारूप 5 क्षेत्र पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2021-22</u>

<u>क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा प्रगति निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरणः-</u>

क्र0 सं0	जनपद	लेखापरीक्षा प्रगति			सामान्य प्रतिवेदन			अधिभार प्रतिवेदन		
		कुल क्षेत्र पंचायत	लेखा परीक्षित	बकाया	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं.	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं.	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन की सं.
1	लखनऊ	8	5	0	5	0	8	5	0	5
2	रायबरेली	18	17	1	17	0	17	5	0	5
3	उन्नाव	16	16	0	13	0	13	4	0	4

4	हरदोई	19	9	10	9	0	9	9	0	9
5	सीतापुर	19	0	0	0	0	0	0	0	0
6	लखीमपुर-खीरी	15	15	0	15	0	15	3	0	3
7	गोरखपुर	20	10	10	10	0	10	0	0	0
8	देवरिया	16	8	8	8	1	7	7	1	6
9	महाराजगंज	12	3	9	3	0	3	1	0	1
10	कुशीनगर	14	0	14	0	0	0	0	0	0
11	बस्ती	14	14	0	14	0	14	14	0	14
12	संतकबीर नगर	9	9	0	9	0	9	9	0	9
13	सिद्धार्थनगर	14	13	1	13	0	13	13	0	13
14	अमरोहा(जे.पी .नगर)	3	0	6	0	0	0	3	0	0
15	मुरादाबाद	8	8	0	18	0	18	17	0	17
16	सम्भल	8	0	0	0	0	0	0	0	0
17	रामपुर	6	0	0	0	0	0	0	0	0
18	बिजनौर	11	11	0	11	0	11	8	0	8
19	श्रावस्ती	5	2	0	0	0	0	0	0	0
20	बहराइच	14	14	0	14	0	14	5	1	5
21	गोण्डा	16	16	0	16	0	16	8	0	8
22	बलरामपुर	9	9	0	2	0	2	2	0	2
23	अमेठी	13	13	0	13	0	13	13	0	13
24	अयोध्या	11	11	0	11	0	11	0	0	0
25	सुल्तानपुर	14	0	0	14	0	14	2	0	2
26	बाराबंकी	15	13	2	13	0	13	9	0	9
27	अम्बेडकर नगर	**9**	**9**	0	**9**	0	9	**2**	0	**2**
28	आजमगढ़	22	22	0	22	0	22	16	0	16
29	बलिया	17	11	6	11	0	11	8	0	8
30	मऊ	9	9	0	9	0	9	2	0	2
31	ललितपुर	6	6	0	6	0	6	6	0	6
32	जालौन	9	1	8	9	0	9	4	0	4
33	झांसी	8	8	0	8	0	8	8	2	6
34	बाँदा	8	8	0	8	8	0	8	0	0
35	हमीरपुर	7	3	4	3	0	3	0	0	0
36	चित्रकूट	5	4	1	4	0	4	3	0	3

37	महोबा	4	0	4	0	0	0	0	0	0
38	प्रतापगढ़	17	17	0	17	0	0	17	0	17
39	प्रयागराज	23	8	15	8	0	8	4	0	4
40	कौशाम्बी	8	7	1	7	0	7	7	0	7
41	फतेहपुर	13	13	0	13	0	13	1	0	1
42	बुलन्दशहर	16	16	0	16	0	16	10	0	10
43	गौतमबुद्ध नगर	3	3	0	3	0	3	2	0	2
44	गाजियाबाद	4	4	0	4	0	0	3	0	0
45	हापुड़	4	4	0	4	0	4	0	0	0
46	मेरठ	26	22	4	12	0	12	7	0	7
47	बागपत	6	6	0	6	0	6	0	0	0
48	मुजफ्फर नगर	9	9	0	9	0	9	8	0	8
49	सहारनपुर	11	11	0	11	0	11	11	0	11
50	शामली	5	6	2	6	0	6	6	0	6
51	वाराणसी	8	6	2	6	0	6	6	2	4
52	चन्दौली	9	9	0	9	0	9	9	0	9
53	जौनपुर	21	19	2	18	0	18	17	0	17
54	गाजीपुर	16	15	1	15	0	15	15	0	15
55	मीरजापुर	12	10	2	10	0	10	9	0	9
56	सोनभद्र	10	10	0	10	0	10	10	9	1
57	भदोही	6	6	0	6	0	6	3	0	3
58	बरेली	15	4	11	4	0	4	1	0	1
59	पीलीभीत	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60	बदायूँ	241	0	241	0	0	0	0	0	0
61	शाहजहाँपुर	90	15	75	15	0	15	15	0	15
62	आगरा	15	15	0	15	0	15	4	0	4
63	फिरोजाबाद	9	9	0	9	0	9	8	0	8
64	मथुरा	10	0	10	0	0	0	0	0	0
65	मैनपुरी	9	9	0	9	0	9	3	0	3
66	अलीगढ़	12	12	0	12	0	12	12	0	12
67	एटा	8	2	6	2	0	2	2	0	2
68	हाथरस	7	7	0	7	0	7	7	0	7
69	कासगंज	7	7	0	10	0	10	10	0	10
70	कानपुर नगर	10	10	0	10	0	10	9	0	9

71	औरैया	71	9	62	9	0	9	7	0	7
72	कानपुर देहात	10	10	0	10	0	10	7	0	7
73	फर्रुखाबाद	7	7	0	7	0	7	7	0	7
74	कन्नौज	8	0	8	0	0	0	2	0	2
75	इटावा	8	8	0	8	0	8	3	0	3

प्रारूप 5 ग्राम पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2021-22

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा प्रगति निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरणः-

क्र0 सं0	जनपद	लेखापरीक्षा प्रगति			सामान्य प्रतिवेदन			अधिभार प्रतिवेदन		
		कुल ग्राम पंचायत	लेखा परीक्षित	बकाया	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं.	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन	कुल निर्गत	प्राप्त अनुपालन की सं.	अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन की सं.
1	लखनऊ	494	494	0	494	0	494	23	0	23
2	रायबरेली	988	988	0	988	0	988	57	0	57
3	उन्नाव	1044	1044	0	934	0	934	110	0	110
4	हरदोई	1306	1306	0	1306	0	1306	41	0	41
5	सीतापुर	1600	1600	0	1600	0	0	91	0	0
6	लखीमपुर-खीरी	1165	1165	0	1165	0	1165	89	0	89
7	गोरखपुर	1294	1292	2	1292	0	1292	106	0	106
8	देवरिया	1185	1185	0	1185	0	1185	51	3	48
9	महाराजगंज	882	882	0	882	0	882	31	0	31
10	कुशीनगर	1003	1003	0	1003	0	1003	223	0	223
11	बस्ती	1185	1185	0	1185	0	1185	110	0	110
12	संतकबीर नगर	740	740	0	740	0	740	48	0	48
13	सिद्धार्थनगर	1136	1136	0	1136	0	1136	59	0	59
14	अमरोहा(जे.पी.नगर)	597	597	0	597	0	597	25	5	20
15	मुरादाबाद	643	643	0	643	0	643	413	0	413
16	सम्भल	670	670	0	670	0	670	44	0	44
17	रामपुर	680	680	0	680	0	680	45	0	45
18	बिजनौर	1123	1123	0	1123	0	1123	225	0	225

19	श्रावस्ती	397	397	0	0	0	0	0	0	0
20	बहराइच	1045	1045	0	1045	0	1045	20	0	20
21	गोण्डा	1214	1214	0	1214	0	1214	82	0	82
22	बलरामपुर	800	397	0	800	0	800	81	0	81
23	अमेठी	682	682	0	682	0	682	16	0	16
24	अयोध्या	794	794	0	794	0	794	43	0	43
25	सुल्तानपुर	979	979	0	979	0	979	16	0	16
26	बाराबंकी	1161	1161	0	1161	0	1161	100	0	100
27	अम्बेडकर नगर	**902**	**902**	0	**902**	902	0	**59**	0	**59**
28	आजमगढ़	1858	1858	0	1858	0	1858	49	0	49
29	बलिया	940	940	0	940	0	940	114	0	114
30	मऊ	671	671	0	671	0	671	26	0	26
31	जालौन	574	574	0	574	0	574	22	0	22
32	ललितपुर	415	415	0	415	0	415	15	0	15
33	झांसी	496	496	0	496	0	496	16	1	15
34	बाँदा	469	469	0	469	0	0	16	0	0
35	हमीरपुर	330	330	0	330	0	330	8	0	8
36	चित्रकूट	**331**	**331**	**0**	**331**	**0**	**331**	**45**	**0**	**45**
37	महोबा	273	156	117	204	0	156	67	0	67
38	प्रतापगढ़	1193	1193	0	1193	0	0	53	0	53
39	प्रयागराज	1540	1540	0	1540	0	1540	64	0	64
40	कौशाम्बी	451	451	0	451	0	451	26	0	26
41	फतेहपुर	834	834	0	834	0	834	19	0	19
42	बुलन्दशहर	946	946	0	946	0	946	19	17	2
43	गौतमबुद्ध नगर	88	88	0	88	0	88	6	0	6
44	गाजियाबाद	161	161	0	161	0	0	6	0	0
45	हापुड़	273	273	0	273	0	3	9	0	9
46	मेरठ	479	479	0	479	0	479	35	0	35
47	बागपत	244	244	0	239	0	239	5	0	5
48	मुजफ्फरनगर	498	498	0	498	0	498	22	0	22
49	सहारनपुर	884	884	0	884	0	884	29	0	29
50	शामली	230	230	0	230	0	230	15	0	15
51	वाराणसी	694	694	**0**	694	**0**	694	**21**	**4**	**17**
52	चन्दौली	734	734	0	734	0	734	**54**	**0**	**54**
53	जौनपुर	1740	1740	0	1740	0	1740	88	0	88

54	गाजीपुर	1238	1238	0	1238	0	1238	48	0	48
55	मीरजापुर	809	809	0	809	0	809	69	0	69
56	सोनभद्र	629	629	0	629	0	629	59	0	59
57	भदोही	546	546	0	546	0	546	39	1	38
58	बरेली	1193	1193	0	1193	0	1193	24	0	24
59	पीलीभीत	720	720	0	720	0	720	79	0	79
60	बदायूँ	2375	1245	1130	693	0	693	18	0	18
61	शाहजहाँपुर	1069	1069	0	1069	0	1069	9	0	9
62	आगरा	695	695	0	695	0	695	67	0	67
63	फिरोजाबाद	564	564	0	564	0	564	23	0	23
64	मथुरा	504	504	0	504	0	504	26	0	26
65	मैनपुरी	549	549	0	549	0	549	56	0	56
66	अलीगढ़	869	869	0	869	0	869	167	0	167
67	एटा	575	575	0	552	0	552	23	0	23
68	हाथरस	463	463	0	463	0	463	119	0	119
69	कासगंज	423	423	0	423	423	0	93	0	93
70	कानपुर नगर	590	590	0	590	0	590	149	0	149
71	औरैया	4304	475	3829	475	0	475	23	0	23
72	कानपुर देहात	618	618	0	618	0	618	72	0	72
73	फर्रुखाबाद	594	594	0	594	0	594	86	0	86
74	कन्नौज	504	389	115	389	0	389	25	0	25
75	इटावा	471	471	0	471	0	471	4	0	4